खण्ड-293, अंक-1
शुक्रवार, 10 पौष, शक संवत् 1893
(31 दिसम्बर, 1971 ई0)

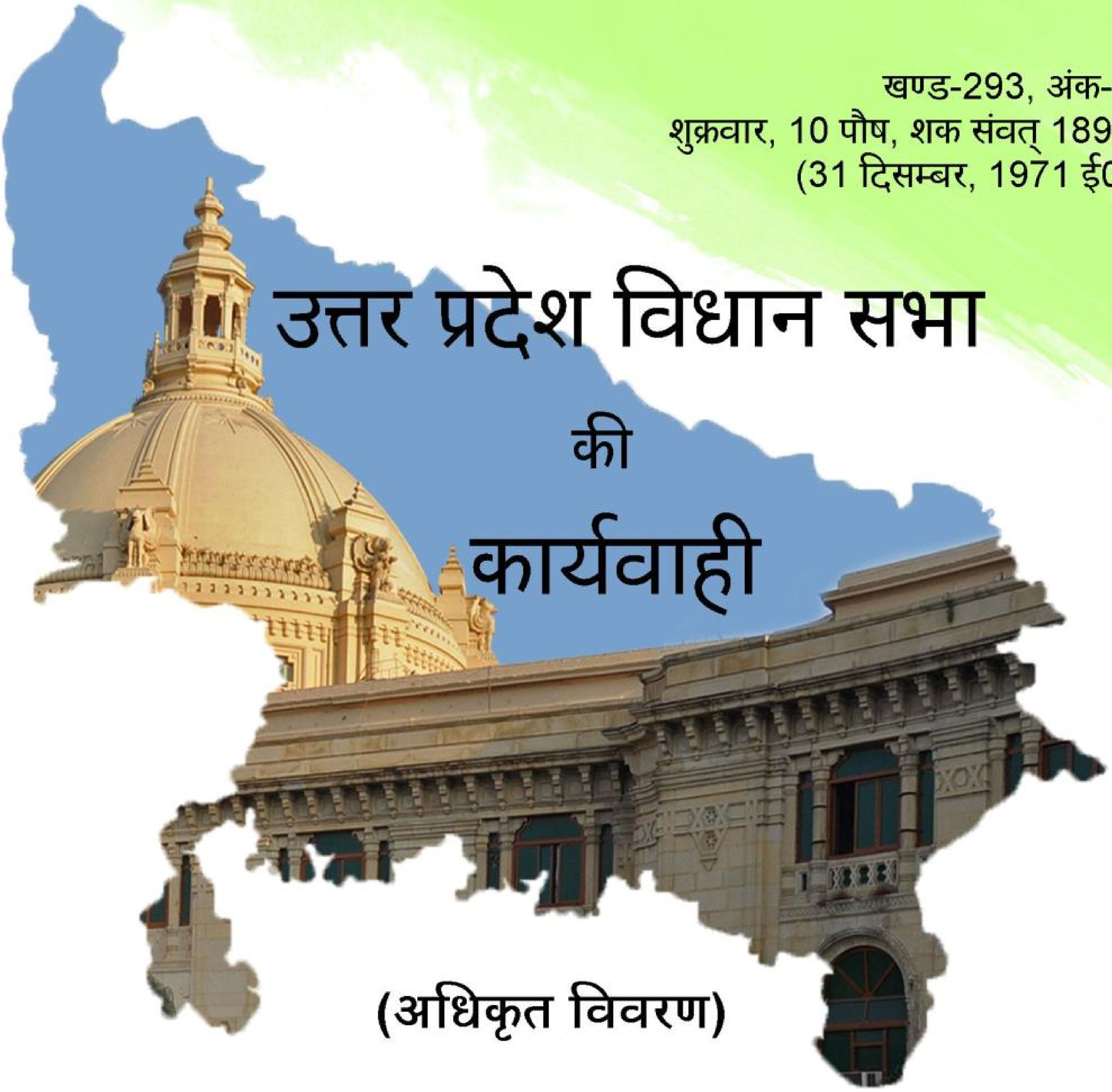

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 293 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1972

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ सं०
उपस्थित सदस्य	1–5
प्रश्नोत्तर .. .	5–60
विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में जानकारी	60
भूतपूर्व सदस्य सर्वश्री हुकुम सिंह, भगवान दीन वैद्य, चन्द्रदेव तिवारी, यशपाल सिंह, रमेश चन्द्र शर्मा व शुगन चन्द्र शर्मा तथा श्री विक्रम अम्बालाल साराभाई व श्री गुलाम मोहम्मद सादिक के निधन पर शोकोद्गार ..	60–69
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समितियों (अस्थायी व्यवस्था) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखा गया)	69
उत्तर प्रदेश (भौमिक अधिकार संक्रामण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखा गया)	69
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखा गया)	69
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखा गया)	69
उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखा गया)	69
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखा गया)	70
उत्तर प्रदेश एकसाइज (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखा गया) ..	70
उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1971 (पटल पर रखी गयी	70
पंचायत संस्थाओं के सम्प्रेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन, 1969-70 (पटल पर पर रखा गया)	70
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, 1957 में प्रख्यापित संशोधन (पटल पर रखी गयी)	70
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) नियमावली, 1970 (पटल पर रखा गया)	70
बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 1971 (पटल पर रखी गयी)	71
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) की (पंचम संशोधन) नियमावली, 1971 (पटल पर रखी गयी)	71
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वर्ष 1969-70 का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र (पटल पर रखी गयी)	71
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन) नियमावली, 1971 (पटल पर रखा गया)	71
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1971 (पटल पर रखी गयी)	72
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1971 (पटल पर रखी गयी)	72
उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 1971 (पटल पर रखी गई)	72

प्रेषक
निदेशक पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

विषय	पृष्ठ सं०
उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1971 (पटल पर रखी गयी)	72
उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 (राज्यपाल की घोषणा)	73
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, 1971 (राष्ट्रपति की घोषणा)	73
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 (राष्ट्रपति की घोषणा)	73
उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेंट ऐंड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971, (राष्ट्रपति की घोषणा)	73
श्री महेश चन्द, एस० पी०, जिला बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	74
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	74–79
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन के कार्यक्रम की सूचना	79
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के लिये तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	79–80
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	80
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	80
सीतापुर जनपद के शिक्षाधिकारी एवं श्री राम कुमार भार्गव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	81
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 (पुरःस्थापित किया गया)	81–82
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	82–87
बांगला देश से सम्बन्धित प्रस्ताव किये जाने वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह द्वारा सुझाव	87–91
पाकिस्तान के आक्रमण, बांगला देश की मुक्ति, भारतीय सेना की वीरता, केन्द्रीय सरकार के परिपक्व नेतृत्व तथा रूस एवं पोलैन्ड के सहयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव (जारी)	91–92
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन), विधेयक, 1971 (पारित) ..	92–111
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969 (पारित) ..	111–114
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	114–118
नत्थियां	119–140

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रेषक
विधान पुस्तकालय
उत्तर प्रदेश

शुक्रवार, दिनांक 31 दिसम्बर, 1971

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, उपाध्यक्ष श्री वासुदेव की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 383

अजब सिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्त राम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पाण्डेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद लूत खां, श्री
अहमदुल्ला, खां, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री

ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेंद्र सिंह, श्री

गणेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायण सिंह, कुंवर
चन्द्र भान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेंद्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिंहा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायण बन, श्री
दीपनरायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपालसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट,
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पाण्डेय श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मन्साराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
मही लाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेंद्र दत्त दुबे, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजा राम, श्री
राजित राम पाडेय, श्री
राजेंद्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेंद्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री

रामकुमार दीक्षित, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
राम जियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल द्विवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम वचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पांडे, श्री
रामलखन, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम बिलास पान्डेय, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरष मिश्र, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय पाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवा, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री

शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्री कृष्ण वाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखवीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोनहन लाल घुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा फतेहाबाद)
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 31 दिसम्बर, 1971

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

थाना शिवरतनगंज (रायबरेली) में कत्ल एवं डकैती

**** 1—श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—**

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना शिवरतनगंज, जिला राय बरेली के अन्तर्गत माह अगस्त से माह अक्तूबर, 1971 तक हुये कत्ल तथा डकैतियों की कितनी रिपोर्ट दर्ज की गई ? क्या यह सही है कि दिनांक 25 सितम्बर, 1971 की रात को ग्राम इन्होना में हुये कत्ल की रिपोर्ट थाने वालों ने लिखने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह उप मन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)—

माह अगस्त से माह अक्तूबर, 1971 की अवधि में थाना शिवरतनगंज, जिला राय बरेली में 3 कत्ल एवं 1 डकैती की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई । यह सही नहीं है कि ग्राम इन्हौना में दिनांक 25/26 सितम्बर, 1971 की रात में हुई हत्या की रिपोर्ट लिखने से पुलिस ने इनकार कर दिया ।

श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

इन कत्ल और डकैती की वारदातों में क्या 25 सितम्बर की घटना भी शामिल है ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

जी हां ।

भय, आतंक और अफवाह फैलाने वालों के सम्बन्ध में शासन के निर्देश

**2—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों में पाकिस्तान की खतरनाक हरकतों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने प्रदेश में भय और आतंक फैलाने वाली अफवाहों और साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश रखने के लिये जिलाधिकारियों को कोई आदेश हाल में दिये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

जी हां, शासन ने सम्बन्धित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी कर दिये हैं ।

श्री राम सिंह खन्ना—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह आदेश कब जारी हुये और यह आदेश क्या थे ?

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

22 अक्तूबर, 1971 को यह आदेश जारी हुये थे, यह अत्यन्त गोपनीय हैं । इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य उसके लिये मांग न करें कि उसको यहां सदन में रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह बहुत पुराना है, उसके बाद बहुत से डेवलपमेंट भी हुये हैं, इसलिये इस पर बहुत प्रश्न नहीं होना चाहिये ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून))—

क्या माननीय गृह मन्त्री जी को पता है कि देहरदून जो एक सीमावर्ती जिला है वहां एक रिहाना नाम की लड़की पकड़ी गयी है जो 3 हिन्दू नामों—लीला आदि नामों से लड़कियों का एक गिरोह बनाकर आर्डिनेंस फैक्टरी तथा छावनी आदि से अपना तालमेल करके जाल सा बिछाये हुई थी जिसकी सूचना बार-बार यहां के अधिकारियों को दी गयी ।

लिखकर दी गई, समाचार पत्रों में छपी और सी० आई० डी० ने रिपोर्ट दी, किन्तु फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई, और कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्या यह सही है ? क्या यह भी सही है कि उसको बचाने में किसी बड़े अफसर का हाथ है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

जो प्रश्न किया गया था, उससे इसका ताल्लुक नहीं । इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता होगी, यह तो बड़ा लम्बा मांग रहे हैं ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

जब से आपने यह आदेश दिया है, तब से अफवाह और आतंक फैलाने वाले कितने पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये हैं ?

कमलापति त्रिपाठी--

कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन कितनी गिरफ्तारी की गई, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या आदेश दिये गये थे, तो उनको देखते हुये अब कोई नया प्रश्न आवे तो पूरे नाम, यदि उन्हें गोपनीय रखना जरूरी न हुआ, सदन की मेज पर जरूर रखे जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

जब का यह प्रश्न है---अक्तूबर से आज तक जो घटनाएं हुई हैं, उनके क्रम पर नजर रखते हुए तो प्रश्न ऐसा नहीं है कि इस पर ज्यादा प्रश्न किये जाएं।

श्री बांके लाल--

सीमान्त क्षेत्र के नहीं मैं गोरखपुर आदि जिलों के बारे में पूंछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपने ब्यौरे के प्रश्न को यदि लिखकर भेज दें तो सरकार से जवाब दिला दिया जाएगा।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साम्प्रदायिक विशेष की हवा को भड़काने और तनाव पैदा करने के आरोप में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मैंने निवेदन किया बहुत सी कार्यवाहियां की गई है, बहुत सी उनमें ऐसी होंगी जो गोपनीय होंगी। किन्तु फिर भी जितनी सूचना देने वाली होगी दे दी जाएगी, लेकिन इसके लिए सवाल अलग से आए तभी यह हो सकता है। यह प्रश्न तो दूसरा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बावजूद इन जासूसी की हरकतों के प्रदेश में कोई साम्प्रदायिक दंगे तो नहीं हुए ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, बिलकुल दंगे नहीं हुए हैं। यह इस प्रदेश के लोगों की निष्ठा, देशभक्ति, राष्ट्र-प्रेम का द्योतक रहा है कि इस काल में जब संकट आया है हमें सभी का सहयोग मिला है। जैसा मैंने पहले भी कहा है गिरहकटों, राहजनों और चोरी करने वालों का भी सहयोग प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह घटनाएं इस अवधि में बहुत कम हुई हैं।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश के प्रसारित होने के बाद प्रदेश में कुल गिरफ्तारियां कितनी हुई ? संख्या ही बता दें, नाम नहीं सही, जो इस आदेश के उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--

मैंने निवेदन किया, पुनः निवेदन करता हूं आपकी आज्ञा से कुछ लोग गिरफ्तार किये गये, उनमें उचित कार्यवाही हुई। लेकिन अच्छा होगा, क्योंकि यह अत्यन्त सुरक्षा सम्बन्धी गोपनीय बात है, यदि इसके लिए माननीय सदस्य कृपा पूर्वक आग्रह न करें, प्रश्न न करें, मांग न करें।

श्री बांकेलाल---

संख्या बाताने से कहीं गोपनीयता भंग होती है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आप प्रश्न करेंगे तो जवाब दिलवा दूंगा ।

अधिकतम जोत सीमा विधेयक लाने की मांग

** 3---श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार भूमि की अधिकतम जोत सीमा बाग, बंजर सहित 30 एकड़ रखने हेतु सीलिंग ऐक्ट में संशोधन करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

इस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और अंतिम निर्णय लेने के पश्चात् शीघ्र ही संशोधन विधेयक विधान मण्डल में पुरःस्थापित किया जायगा ।

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि वे विभिन्न पहलू क्या हैं, जिन पर सरकार अभी तक विचार कर रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण)---

विभिन्न पहलुओं में---यह सीमा क्या हो, हमारी जो ईकाई होगी वह परिवार होगी या काश्तकार होगी, तो इसके परिवार के लोग हैं उनके बारे में किसी प्रकार की सहूलियतें दी जाएं या नहीं--जमीन की किस्म कहां पर कैसी है, बाग के बारे में हम क्या करेंगे, यह इसके भिन्न-भिन्न पहलू हैं जिनके ऊपर विचार हो रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि यह जो शीघ्र ही विधेयक लाया जायगा क्या इसी सत्र में विधेयक ले आया जायगा ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

श्रीमन्, सम्भवतः इस सत्र में नहीं आ सकेगा लेकिन निश्चयपूर्वक बजट सत्र में आयेगा और यह सम्भव है कि उसके पहले ही हम आध्यादेश के रूप में जारी कर दें ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)---

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि सीमा कितनी रहेगी, 10 एकड़, 20 एकड़ या 25 एकड़, इतना तो आप बता सकते हैं ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

यह बताना मुनासिब नहीं होगा ।

श्री बांकेलाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अधिकतम जोत की जो सीमा रखेंगे उसमें परिवार में जो नाबालिग बच्चे रहते हैं उनका भी ध्यान रखेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

विभिन्न पहलुओं में से एक पहलू यह भी है ।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि अधिकतम जोत सीमा और शहरी सम्पत्ति की सीमा का निर्धारण करने के एक साथ कदम उठाने का प्रयास करेंगे और दोनों का आधार मूल्य होगा, न कि एकड़ या सम्पत्ति, और इकाई परिवार न होते हुए व्यक्ति होगा ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया इसी पर विचार किया जा रहा है ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा आपने अभी बताया कि गांव की जमीन पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार हो रहा है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शहरी सम्पत्ति के बारे में भी इसी संदर्भ में विचार हो रहा है, शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाने के लिए ?

श्री उदितनाराण शर्मा--

शहरी सम्पत्ति के ऊपर भी विचार हो रहा है लेकिन इसके साथ नहीं । इससे अलहदा ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या मंत्री जी यह जरा बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरह से आप सीलिंग लाने जा रहे हैं, उसमें आप बाग को भी जोड़ करके करेंगे, जैसे अभी है,लोग बाग को अलग करके जमीन बचाना चाहते हैं, बाग और जोत सब को मिला कर सीमा लगाएंगे या बाग को अलग करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

मैंने निवेदन किया बाग शरीक होंगे, या नहीं होंगे विभिन्न पहलुओं में एक अहम पहलू है और उस पर विचार हो रहा है ।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछले सत्र में बहुमत विधायकों का एक रेजोल्युशन आपके पास गया था जिसमें मांग की गयी थी कि शहरी सम्पत्ति पर और देहाती सम्पत्ति पर जो आप सिलिंग लगाने जा रहे हैं दोनों में एकरूपता हो, उस पर राजस्व मंत्री का क्या विचार है।

श्री उदित नारायण शर्मा--

यह दोनों एक दूसरे से बहुत ही भिन्न प्रश्न हैं । और इस लिए इनके विचार के आधार भी भिन्न हैं लेकिन मैं सिर्फ यह बता देना चाहता हूं कि इन दोनों मसलों पर विचार हो रहा है, दोनों ही मसलों पर कानून बनने वाले हैं ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस विधान सभा के अधिकतम विधायकों ने यह लिख कर दिया था कि शहरी सम्पत्ति और गांव की सम्पत्ति का वैलुएशन लगा कर तब सीलिंग करें, क्या सरकार इस बात पर ध्यान रखेगी कि अगर देहात की सम्पत्ति पर जो सीलिंग हो तो उसी के मुताबिक शहर में हो, फिर जैसे पश्चिम के मुकाबले में पूर्व में जमीन का मूल्य कम है,वहां की जमीन 15-16 हजार की बिकती है, पूर्व में जमीन की कीमत उससे आधी है, इसका भी सीलिंग में खयाल रखा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, इस समय इस पर बहस का अवसर नहीं है। सीलिंग कानून आने वाला है और वह आयेगा। माननीय सदस्य उस समय जो कुछ सुझाव देंगे उस पर विचार किया जायगा।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

पिछली बार जब इसी सदन में सीलिंग के बारे में प्रश्न उठाया गया था तो माननीय मुख्य मंत्री ने जोरदार शब्दों में यह कहा था कि देहातों की सीलिंग ही नहीं आयेगी बल्कि शहर की भी सीलिंग आयेगी और दोनों एक साथ एक रूपता में आयेगी तो क्या माननीय मुख्य मंत्री अब भी उसी बात पर दृढ़ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मेरी राय जो तब थी वही अब भी है। लेकिन किसी कारण से अगर एक की सीलिंग आने में देरी हो तो दूसरे की सीलिंग रुकेगी नहीं।

श्री रामगोपाल संड--

क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि देहात में जितनी सम्पत्ति एक नागरिक रखे उतनी शहर में भी रख सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जब सरकार सारे पहलू पर विचार कर रही है तो यह पहलू भी सामने होगा ही।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जहां तक शहरी सम्पत्ति का सवाल है उसके बारे में सरकार केन्द्र को अधिकार देने जा रही है इस चीज को दृष्टि में रखते हुए क्या माननीय मुख्य मंत्री इस बात का स्पष्ट आश्वासन देंगे कि शहरी सम्पत्ति की सीलिंग के बारे में इन्तजार किये बिना ही वह देहात की सम्पत्ति का बिल सदन के अन्दर लायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सरकार का मंशा यही है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया था कि सारा मामला विचाराधीन है तो क्या वह केबिनेट सब कमेटी में विचाराधीन है और उसकी रिपोर्ट केबिनेट के सामने जा चुकी है और वह केबिनेट के सामने विचाराधीन है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

केबिनेट सब कमेटी भी विचार करेगी और केबिनेट भी विचार करेगी। हमारा यह विचार भी है कि विरोधी दल के नेताओं से तथा उनके दलों के कुछ साथियों को भी बुला कर उनके विचार जान लिये जायेंगे ताकि जब बिल आये तो उन सबके विचार उसमें समावेश हो सकें।

श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के आवश्वासन से सम्बन्धित यह जानकारी चाहता हूं कि इसके पूर्व सरकार कोई निर्णय ले, वह इस सदन के विभिन्न दलों के लोगों की एक समिति बनाकर उसमें विचार करेंगे और तब उसमें कोई फैसला लेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका तो वे जवाब दे चुके हैं.....

श्री कमला पति त्रिपाठी--

मान्यवर, यह तो प्रवर समिति के हाथ में है, मुख्य मंत्री के हाथ में नहीं है । जहां तक बिल पेश करने का ताल्लुक है उसको पेश करने के पूर्व विभिन्न दलों के साथियों से--अगल-अलग या एक साथ राय ले ली जायेगी ताकि उनके भी विचार मालूम हो जांय । क्योंकि यह बड़ा व्यापक बिल है इसलिये अपने विरोधी दलों के साथियों से राय लेना मैं उचित समझता हूं ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्लांनिग कमीशन ने भी इस पर कोई सुझाव दिया है । अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिये क्या उत्तर प्रदेश शासन इस बात को मानता है या उसमें रद्दोबदल करने पर विचार कर रहा है ?

श्री कमला पति त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इन सारी बातों पर विचार हो रहा है । खाली आपको प्लानिंग कमीशन ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में क्या और कैसे हो रहा है उस पर भी विचार कर रहे हैं और आपकी राय लेने के बाद ही वह आपके सामने आयेगा ।

पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

*4--श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 3 दिसम्बर, 1971 से आज तक कितने पाक जासूस ट्रांसमीटर व फोटो कैमरों के साथ इस प्रदेश में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार 3 दिसम्बर, 1971 से 23 दिसम्बर, 1971 तक कोई भी पाक जासूस इस प्रदेश में गिरफ्तार नहीं किया गया ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तरांकित प्रश्न]

ग्राम हुसेनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर (फैजाबाद) के निवासियों का नाजायज पट्टे सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

*1--श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)--

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1 मई, 1971 को उनके कार्यालय में ग्राम हुसैनपुर सकरवारी, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के निवासियों का कोई प्रार्थना पत्र नाजायज पट्टों के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

श्री विश्वनाथ सिंह ग्राम हुसैनपुर सकरवारी तहसील अकबरपुर जिला फैजाबाद का एक प्रार्थना-पत्र नाजायज पट्टों के विषय में राजस्व मंत्री जी के कार्यालय में मई, 1971 में प्राप्त हुआ था । जिला अधिकारी, फैजाबाद से जांच कराई गई तो विदित हुआ कि इस प्रार्थना-पत्र में लिखे गये ग्राम हुसैनपुर सकरवारी के सर्वश्री देवेन्द्र प्रताप सिंह तथा तिलकधारी सिंह को पट्टे इस गांव सभा के प्रस्ताव दिनांक 25-8-1965 के अनुसार दिये गये थे । प्रारम्भिक जांच में यह अनियमित पाये गये और पट्टेदारों के विरुद्ध धारा 198(2) जेड० ए० एल० आर० ऐक्ट की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इन दोनों मामलों में अभी निर्णय नहीं हो पाया है । सम्बन्धित अधिकारी को ताकीद कर दी गई है कि वह इनका फैसला शीघ्र कर दें ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या राजस्व मंत्री, जिन अनियमित पट्टों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है, उनके सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी ने यह अनियमित कार्य किया है उसके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

निश्चयपूर्वक की जायेगी ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी को ताकीद किया गया उसका फैसला सरकार करे और किसी दूसरे अधिकारी से उसकी ताकीद कराने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

श्रीमन्, इसकी जांच, जिस अधिकारी ने गलत की है, उससे न कराकर दूसरे अधिकारी से कारवायी जायेगी ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन आदमियों के अनियमित पट्टे किये गये हैं, वे भूमिहीन हैं अथवा नहीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

उनके पास जमीन थी और इसीलिए उनके खिलाफ दफा 198 की कार्यवाही हो रही है । ये पट्टे अनियमित माने गये ।

श्री इन्द्रलाल---

क्या माननीय मंत्री महोदय उन अधिकारियों के नाम बातायेंगे और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

अभी तो इसकी जांच की जा रही है अतः इस पर सूचना की जरूरत होगी ।

श्री इन्द्रलाल---

मैंने तो सिर्फ उनके नाम पूछे हैं ।

श्री उदित नारायण शर्मा---

इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी और इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को ताकीद किया गया है कि उन्हें समय से उसे भेज देना चाहिए था किन्तु वह रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ज्यादातर नाजायज पट्टे अधिकारियों ने किये हैं तो क्या उनको सीरदारी न करके असामी कर देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यह कहना संभव नहीं है क्योंकि सीरदारी के अधिकार पैदा हुआ करते हैं और आसामी के प्राप्त हुआ करते हैं । यदि सही किये गये हैं और जायज किये गये तो सीरदार के ही अधिकार उनको हैं और यदि जायज नहीं हैं तो न तो सीरदारी के और न असामी के अधिकार मिलेंगे और उनको बेदखल कर दिया जायगा ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

जिन कर्मचारियों ने फरजी पट्टे किये हैं और वह अवैध घोषित कर दिये गये हैं तो उन कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्व मंत्री कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

जिन पट्टों का जिक्र है वह जिन व्यक्तियों के हैं उनको नाजायज करार नहीं दिया गया है, मुकदमे चल रहे हैं।

श्री पारस नाथ (जिला बहराइच)—

क्या मंत्री जी को ज्ञान है कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी, जैसे कि बहराइच है, ऐसे फरजी पट्टे हुए हैं। अगर हुए हैं तो उनकी जांच क्या हुई और मंत्री जी गांव-गांव में किसी उच्च अधिकारियों को भेज कर भूमिहीनों और पट्टेदारों को आमने-सामने बुलाकर तुरन्त फैसला करने की कृपा करेंगे जिससे वास्तविकता का ज्ञान हो सके जोकि किसी कमरे में बैठ कर कानून के अन्दर छिपायी जाती है और बहराइच जिलेके लिए विशेष रूप से ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जनरल सवाल है और नीति का मामला है, इस प्रश्न से उठता नहीं। एक अलग सवाल है, उपयुक्त है। आप अलग से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

क्योंकि यह प्रदेश भर से संबंधित नीति का सवाल है मैं इस सरकार से चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि पूरे प्रदेश में जहां नाजायज पट्टे हुए हैं उनको रद्द करके भूमि को हरिजनों और भूमिहीनों को दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं स्वीकार करता हूं कि यह ठीक प्रश्न है, लेकिन इससे उठता नहीं है। अगर मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री उदित नारायण शर्मा—

सभी सदस्यों को मालूम है कि 1967 में इस प्रकार के जनरल आर्डर्स किये गये थे और सारे पट्टे जितने हुए हैं उन सब की जांच की गयी थी। (आवाजें—जांच नहीं हुई) मेरी बात सुन लीजिये। यद्यपि मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि उस जांच में जितनी अच्छी तरह से मुकम्मिल कार्य होना चाहिये था वह नहीं हुआ। अब एक ही चारा है। मैंने सब जगह कह रखा है और सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि स्पेसिफिक केसेज नोटिस में एक भी ला दें तो मैं स्वतः जांच कराता हूं और कराऊंगा। आमने-सामने बैठकर निर्णय लेना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कानूनी आपत्तियां आयेंगी कि रेवेन्यू मिनिस्टर जबरदस्ती कब्जा दिलाते हैं। उसकी अलग प्रक्रिया है। जब मालूम हो जाता है कि गलत पट्टा है तो अलग से काम करना पड़ता है।

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अकबरपुर तहसील, फैजाबाद में कितने फरजी पट्टे हुए ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह ब्योरे का प्रश्न है।

तहसील बिन्दकी (जिला फतेहपुर) के कतिपय गांवों में कृषि योग्य भूमि

*2—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत ग्राम कोड़ा, मलाकापुर तथा घनश्यामपुर में राज्य सरकार के स्वामित्व में कृषि योग्य कितनी भूमि है और उसका प्रबन्ध किसके द्वारा और किस-किस प्रकार हो रहा है तथा शासन को उससे प्रति वर्ष कितनी-कितनी आय हो रही है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जिला फतेहपुर की तहसील बिन्दकी में कोड़ा नाम का गांव नहीं है। 'कस्बा कोड़ा' नाम का गांव अवश्य है जिसमें राज्य सरकार के स्वामित्व में कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। खेवट के इन्दराजों के आधार पर ग्राम मलाकापुर व घनश्यामपुर में कुछ भूमि ऐसी अवश्य है जो चकबन्दी योजना में बनाये गये अभिलेखों में मिल्कियत सरकार दिखाई गई है परन्तु यह इन्दराज संदिग्ध प्रतीत होते हैं। इन की छानबीन कराई जायगी।

*3—श्री इन्द्रजीत—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि का उपयोग, क्या कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अपने निजी हितों में कर उसका लाभ ले रहे हैं ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक के अधिपत्य में कितनी-कितनी भूमि है तथा शासन ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

ग्राम मलाकापुर में जमींदारी विनाश से पूर्व खाता-खेवट के मालिकान आद्यासरन सिंह आदि थे। इस खाते से संबंधित तीन काश्तकारी खाते दो जुमा मस्जिद और एक राजेंद्र प्रताप सिंह पुत्र आद्यासरन सिंह व श्रीमती सुशीला देवी पत्नी राजेन्द्र प्रताप सिंह के नाम रफाये आम की भूमि पर असामी की श्रेणी में दर्ज थे। वर्ष 1359 फसली की खतौनी में राजेंद्र प्रताप सिंह व श्रीमती सुशीला देवी के नाम 4—2—0 भूमि बलगानी 6—50 रुपये बमुद्दत दो वर्ष दर्ज थी। जमींदारी विनाश के उपरान्त बनी खतौनी में भी यही इन्दराज कायम रखा गया। इसी प्रकार ग्राम घनश्यामपुर में भी जमींदारी विनाश से पूर्व खाता-खेवट 1 के मालिकान आद्यासरन सिंह आदि थे और वर्ष 1359 फसली की खतौनी में इस खेवट से संबंधित 58 बीघा, 7 बिस्वा भूमि पर असामियान भूमि रिफय-आम की श्रेणी में आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल, जहानाबाद बसरबराकारी राजेंद्र प्रतापसिंह पुत्र आद्यासरन सिंह का नाम बिला लगानों बमुद्दत एक साल दर्ज था और जमींदारी विनाश के उपरान्त बनी खतौनी में उसी इन्दराज को कायम रखा गया। इन दोनों गांवों में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत बने अभिलेखों में उक्त भूमि को मिल्कियत सरकार दिखाते हुए उन्हीं लोगों व संस्था के खातों में रखा गया, जिन का इन्दराज जमींदारी विनाश से पूर्व से चला आ रहा था। मिल्कियत सरकार का यह इन्दराज कहां तक ठीक है इसकी छानबीन किये बिना शासन द्वारा और कार्यवाही करना संभव नहीं है।

श्री इन्द्रजीत—

मान्यवर, राजस्व मंत्री जी ने कहा है कि ग्राम कौड़ा नाम का कोई गांव नहीं है। कस्बा कोड़ा माना है, यह जमीन टाउन एरिया की है और यहां पर बहुत बड़ा बाजार लगता है और मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कागजात इन्दराज गलत हैं तो जिन्होंने गलत इन्दराज किया है क्या उनके खिलाफ मंत्री जी कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

अभी तक यह निश्चय नहीं हुआ है कि इन्दराज गलत हैं । इसकी जांच हो रही है । इसका संदेह हो रहा है कि संभव है इन्दराज गलत हों, यदि इंदराज गलत पाये गये तो जो कार्यवाही मुनासिब होगी की जायेगी ।

श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या मंत्री जो बतायेंगे कि कौड़ा ग्राम की चकबन्दी कब समाप्त हुई और जो जमीन सरकार के नाम में दर्ज है, उसकी सरकार को कब जानकारी हुई ?

श्री उदितनारायण शर्मा---

अभी वहां चकबन्दी नहीं हुई होगी । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री इन्द्रजीत---

वहां पर चकबन्दी हो गयी है और अगर उसमें ऐसी रिकार्ड की गलती हुई है तो क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

यदि चकबन्दी हो गयी है तो उसके संबंध में एक और दिक्कत पैदा हो गयी । क्योंकि चकबन्दी में जो निर्णय लिये जाते हैं वे अदालत के निर्णय होते हैं । अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसमें सुधार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा ।

श्री धर्मवीर---

श्रीमन्, ऐसे प्रश्न मुश्किल के माननीय सदस्यों की नजर में आते हैं और उनको फिर यहां हाउस में सरकार के सामने रखा जाता है और सरकार की ओर से जांच करके उचित कार्यवाही करने का आश्वासन मिलता है, लेकिन उसके बाद उसकी जानकारी माननीय सदस्यों और सदन को नहीं करायी जाती । क्या इस मामले में सरकार निश्चित रूप से माननीय सदस्य और सदन को इसकी सूचना देंगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

सम्मानित सदस्यों को जो आश्वासन दिया जाता है उसकी पूर्ति की जाती है और उसकी सूचना भी दी जाती है । उसके लिये सदन की एक आश्वासन समिति है । अगर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो वहां पकड़ में आ जाती है । इसके विषय में भी सूचना दी जायगी ।

जमींदारी विनाश के फलस्वरूप वन विभाग को प्राप्त जमीन की वापसी

4---श्री हरनारायन (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो भूमि जमींदारी विनाश के बाद वन विभाग को दी गई और जिस पर अब तक वन विभाग ने न कब्जा किया, न पेड़ लगाये उस खेती योग्य भूमि को पुनः राजस्व विभाग को लौटाने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)---

जी नहीं ।

शाहजहांपुर एवं पीलीभीत जिलों में वन बन्दोवस्त अधिकारी की नियुक्ति

*5—श्री हरनारायण (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खेती योग्य भूमि के विवादों को जांच कर तय करने के लिये जिला शाहजहांपुर एवं पीलीभीत में कोई फारेस्ट सैटिलमेंट अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जिला शाहजहांपुर व पीलीभीत में इस समय कोई पूर्णकालिक वन बन्दोबस्त अधिकारी नहीं हैं । इन जिलों में संबंधित परगना अधिकारी जिन्हें वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया है अपने उप खंडों में अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ वन बन्दोबस्त का कार्य भी कर रहे हैं । शाहजहांपुर में एक पूर्णकालिक वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करने के प्रश्न पर शासन विचार कर रही है । जिला पीलीभीत में पूर्णकालिक वन बन्दोबस्त अधिकारी नियुक्त करने का शासन का कोई विचार नहीं है।

पिथौरागढ़ जिले में ओलों से फसल को हुई क्षति की पूर्ति हेतु सहायता

*6—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिथौरागढ़ जिले में ओलों में से इस वर्ष फसल की क्षति होने पर शासन द्वारा कृषकों को क्या राहत दी गई ? प्रति परिवार कितनी राहत दी गई ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

ओला से पीड़ित व्यक्तियों को 11,550 रुपये अहेतुक सहायता वितरित की गई तथा 25,000 रुपये तकावी के रूप में वितरित किये जाने की व्यवस्था की गई । राहत की मात्रा परिवार की आर्थिक स्थिति व उसको हुई क्षति के अनुसार भिन्न-भिन्न दी गई ।

(व्यवधान)

श्री गोपालदत्त ओझा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिन क्षेत्रों में ओला गिरा उनके कृषकों को शासन के द्वारा कब धनराशि स्वीकृत हुई और कितने महीने के बाद वह उन व्यक्तियों को दी गयी ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वहां पर ओले से कितने प्रतिशत क्षति हुई थी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो क्षतिपूर्ति दी गयी है वह उसी हिसाब से दी गयी है जिस प्रतिशत से हानि हुई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कोई प्रतिशत नहीं लगाया गया और न ऐसा कोई आधार ही संभव है।

कलेक्ट्रेट व सिविल कोर्ट के कर्मचारियों का प्रान्तीय स्तर पर स्थानान्तरण

*7—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कलक्ट्रेट व सिविल कोर्ट के कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रान्तीय स्तर पर करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

कलेक्ट्रेट व सिविल कोर्ट के कर्मचारियों का सम्वर्ग (केडर) प्रांतीय आधार पर न होने के कारण प्रांतीय स्तर पर उनका स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस प्रकार से सिंचाई, ट्रांसपोर्ट और विद्युत् आदि अनेक विभागों में प्रांतीय स्तर पर छोटे-छोटे कर्मचारियों के तबादले होते हैं फिर अदालतों के लिये प्रांतीय स्तर पर कोई केडर बनाने में सरकार को क्या दिक्कत है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

शासन की नीति अभी तक यही रही है कि जो छोटी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी हैं यथा संभव उनका जिले से बाहर तबादला न किया जाय और उसी के अनुसार नियम बने हुये हैं । इसलिये उनका तबादला नहीं किया जा सकता ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

अन्य विभागों में इस नीति के बिल्कुल उल्टा क्यों हो रहा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता होगी । मैं नहीं कह सकता कि दूसरे विभागों में क्या होता है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—

इसको सूचना मान कर कि अन्य विभागों में जो कर्मचारियों का ट्रांसफर होता है, उदाहरण के लिये सप्लाई वगैरह में, तो क्या इस नीति में परिवर्तन करने पर विचार करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रश्न यह होगा कि राजस्व विभाग में जो हो रहा है, उसमें परिवर्तन किया जाय या दूसरी जगह जो हो रहा है उसे परिवर्तित किया जाय ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, कैबिनेट की सम्मिलित जिम्मेदारी है । माननीय सदस्य का सवाल था कि एक विभाग में जिस नीति को आप बरत रहे हैं दूसरे विभागों में वह नीति नहीं है । शासन के विभागों में अलग-अलग नीति है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह प्रश्न विस्तृत हो जाता है और विस्तृत सवाल का जवाब देना हर मंत्री के लिये संभव नहीं है और संबंधित मंत्री के लिये भी संभव नहीं है ।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

राजस्व मंत्री जी ने पिथौरागढ़ के संबंध में, जब एक सदस्य ने यह पूछा कि हानि कितने प्रतिशत थी तो, कहा कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। फिर जब दूसरे सदस्य ने प्रश्न किया कि आधार क्या था तो कहा गया कि कोई आधार नहीं था। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मैनुअल है क्षतिपूर्ति के लिये उसमें एक निश्चित आधार दिया हुआ है कि 50 प्रतिशत से कम अगर हानि हो तो कोई सहायता नहीं मिलती। तो क्या आप राजस्व मंत्री जी से इस बात की सफाई करायेंगे कि इसमें जो क्षतिपूर्ति दिखाई गई उसका आधार क्या था और अगर आधार नहीं था तो वह सहायता क्यों दी गई ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह प्रश्न पूरा हो चुका और हम उससे आगे चले गये। इसके बारे में आपके पास जो उपचार है उसके द्वारा आप मंत्री जी को पाबन्द कर सकते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

व्यवस्था का प्रश्न है कि मंत्री लोगों को सही जवाब देने के लिये आप हिदायत तो कर दें।

श्री उपाध्यक्ष---

पहले यह साबित होना चाहिये कि यह जवाब गलत है। उसके लिये उपचार आपके पास है।

श्री बांकेलाल ---

उस कुर्सी की मर्यादा इसी में है कि आप मंत्री जी से उत्तर दिलवायें। मंत्री जी सही उत्तर दें। उनका इस तरह से उत्तर देना कि क्षतिपूर्ति का अन्दाजा नहीं है, सूचना की आवश्यकता है, यह कहां तक उचित है ?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर आप सरकार से बिल्कुल उपयुक्त उत्तर दिलवाने के लिये कहते हैं तो उपयुक्त सवाल भी होना चाहिये। आपको ऐसे सवाल जिनका जवाब उस सवाल से न निकलता हो नहीं करने चाहिये।

वर्ष 1971-72 के बजट में जनपद चमोली में मोटर तथा अश्व पैदल मार्ग का प्राविधान

*8---श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली) (अनुपस्थित)---

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1971-72 के बजट में विभाग द्वारा जनपद चमोली में कितने किलोमीटर मोटर तथा पैदल मार्ग बनाने का प्राविधान है और कहां-कहां ?

श्री अजीत प्रताप सिंह---

वर्ष 1971-72 के बजट में वन विभाग द्वारा जनपद चमोली में जितने किलो-मोटर मोटर तथा पैदल मार्ग जहां बनाने का प्राविधान है। उसका विवरण निम्न प्रकार है:---

क्रम-संख्या	जहां बनाने का प्राविधान है	लम्बाई कि0 मी0 में
1	मोहनलाल---चोप्ता मोटर मार्ग (भाग) (श्रेणी 1-वन प्रभाग)	3

2—गोचर-श्रीकोट मोटर मार्ग (भाग) (श्रेणी–1 वन प्रभाग)	..	4
3—देवाल-सुयालकोट मोटर मार्ग (भाग) (उत्तरी गढ़वाल वन प्रभाग)	..	4
4—दिवाड़ी खाल-दैडा मोटर मार्ग (भाग) (पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग)	..	3
योग मोटर मार्ग	..	14
5—धोतीधर-बछेड़ अश्व/पैदल मार्ग (भाग) (श्रेणी–1 वन प्रभाग)	..	8
6—धनपुर-डोम अश्व/पैदल मार्ग (भाग) (श्रेणी–1 वन प्रभाग)	..	7
योग अश्व/पैदल मार्ग	..	15

*9—श्री शेरसिंह दानू (अनुपस्थित)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली में वन विभाग द्वारा आज तक जितने भी मोटर मार्ग बनाये गये हैं उनमें से एक में भी मोटरें नहीं चल रही हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और कब तक ये मार्ग मोटर यातायात योग्य बन जायेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जनपद चमोली में वन विभाग द्वारा आज तक जितने भी मोटर मार्ग बनाये गये हैं उनमें से कितनों में मोटरें नहीं चल रही हैं उसका विवरण कारण सहित संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 119 पर।)

सहकारिता विभाग के निरीक्षकों (वर्ग–2) का स्थायीकरण

*10—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहकारिता विभाग में कितने ग्रुप 2 निरीक्षक वर्तमान समय में काम कर रहे हैं और इसमें कितने स्थायी किये जा चुके हैं ? उनकी ग्रेडेशन सूची बनाई गई या नहीं, अगर नहीं बनाई गई तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री अशरफ अली खां)—

सहकारिता विभाग में वर्तमान समय में कुल 1052 कर्मचारी वर्ग–2 निरीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं । इनमें से 215 कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं जिनकी ज्येष्ठता सूची बनाई जा चुकी है।

श्री दलसिंगार यादव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ग 2 के जो 215 निरीक्षक स्थायी किये गये हैं वह हर जिले में ऐसे कितने-कितने कर्मचारी हैं और उनके स्थायी करने का मापदंड क्या रहा है?

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---

जिलेवार सूचना के लिये तो नोटिस चाहिये ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

जो वर्ग 2 के निरीक्षक स्थायी नहीं हुये हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो 5 साल से या ज्यादा से काम कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

यह निश्चित संख्या तो हमारे पास इस समय नहीं है, लेकिन 450 को स्थायी करने का विचार चल रहा है।

श्री रामगोपाल संड---

श्रीमन्, लगभग 500 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि करीब 5 वर्ष से अस्थायी हैं, क्या मंत्री जी उन को शीघ्र ही स्थायी करने की कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

मैंने अभी निवेदन किया था कि 450 को स्थायी करने का मामला विभाग के विचाराधीन है।

श्री रामधारी शास्त्री---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन में से 3 साल से अधिक से काम करने वाले कर्मचारी हैं और उनको स्थायी करने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

3 वर्ष से अधिक वाले कर्मचारियों की तादाद तो नहीं मालूम है लेकिन मैंने अभी बताया कि 450 को स्थायी करने पर विचार हो रहा है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

यह प्रश्न श्रीमन् 27-8-71 का है जिसे 4 मास हो गये और मंत्री जी ने बताया कि जिलेवार सूचना नहीं है तो वह अब कृपा करके इतना ही बता दें कि सूबे के स्तर पर वर्ग 2 के कितने कर्मचारी हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

सूबे में कितनी संख्या है वह तो मुख्य उत्तर में अभी मैं बता चुका हूं ।

देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में वित्तीय अनियमिततायें

*11---श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून की दुग्ध योजना में पिछले दो-वर्षों में भारी अनियमिततायें एवं आडिट आपत्तियों की शिकायत मिली है ? क्या यह भी सच है कि उपरोक्त दुग्ध योजना भारी घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

कुंवर अशरफ अली खां--

देहरादून दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ में पिछले वर्षों में हुई कुछ वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है जो कि मुख्यतः स्वीकृत मदों, के बजाय अन्य मदों पर व्यय किये जाने से

संबंधित हैं । इस काल से संबंधित सम्प्रेक्षण आपत्तियां भी प्राप्त हुई हैं । बैलेंस शीट के अनुसार संघ को पिछले कुछ वर्षों में घाटा रहा है । संघ के संचालक मंडल को विभाग द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि शासन के नोटिस में सबसे पहली बार यहां की अनियमिततायें कब आई और किन-किन अनियमितताओं की सूचना मिलने पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जैसे ही सूचना आई उस पर विभागीय कार्यवाही हो रही है और जांच के लिये आदेश हो चुके हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

उपाध्यक्ष जी, मैं आप का संरक्षण चाहता हूं क्योंकि बार-बार प्रश्न को टालने का प्रयत्न होता है । मैं जानना चाहता हूं कि कब उन को सूचना मिली तथा उस पर कितने दिन बाद कार्यवाही की गई, कितने रुपये का गोलमाल है और जिन्होंने गोलमाल किया उन के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

1968-69 में सूचना मिली थी, वैसे ही निलंबित कर दिया गया था और जो वहां पर अनियमिततायें हुयीं हैं, उनकी जांच की कार्यवाही हो रही है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, कई सालों से वहां पर घोटाला चल रहा है । तो सरकार को कब इसकी सूचना मिली ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

1968-69 में सूचना मिली । कोई निश्चित तिथि नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपयों का घोटाला है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

यह तो जांच होने के उपरान्त ही पता चल सकेगा ।

श्री धर्मवीर--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने सारे प्रश्नों के उत्तरों को टाल दिया है । जब प्रश्न रखे जाते हैं तो सदस्य आशा करते हैं कि उन्हें कोई निश्चित सूचना मिलेगी । अगर इस संबंध में माननीय मंत्री जी तैयार नहीं हैं तो आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें । यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि निश्चित तारीख का पता नहीं है, जांच हो रही है आदि ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री बांके लाल--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को जब सही उत्तर नहीं देना आता और जांच जो ये करा रहे हैं उसकी रिपोर्ट इनके सामने नहीं है, तो मैं यह चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई प्रश्न नहीं है । आप कृपया बैठें ।

श्री राम गोपाल संड--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने कितने अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित किया है और जिनको निलंबित किया है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो प्रश्न प्रस्तुत है वह बिल्कुल स्पष्ट है और यह आशा की जाती है कि जो अनुपूरक प्रश्न पूछे जायं तो उनके बारे में माननीय मंत्री जी विस्तृत सूचना एकत्रित करें । आश्चर्य है प्रश्न पूछा गया कि कितने रुपये का गोलमाल है, उत्तर गायब, फिर प्रश्न पूछा गया कि किस तारीख को शिकायत सरकार के पास पहुंची तो उत्तर गायब । तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आप मंत्री जी को आदेश दें कि वे सदन में तैयारी के साथ आया करें और उन्हें यह भी आज्ञा दें कि वे उत्तर दें कि कितने रुपये का गोलमाल हुआ और किस तारीख को उन्हें शिकायत मिली ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने बता दिया है कि 1968-69 में शिकायत मिली। रुपये के बारे में उन्होंने कहा है कि जांच हो रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

श्रीमन्, मेरी प्रार्थना है कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें और माननीय मंत्री जी पूरी सूचना एकत्रित करके अपना उत्तर सदन में दें । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे बताने की कृपा करें कि क्या उनको इस बात की स्पष्ट शिकायत मिली है कि वहां पर केवल गोलमाल ही नहीं बल्कि गबन भी हुआ है ? यदि हां, तो उन्होंने मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

विभागीय जांच के उपरान्त ही मामला पुलिस को दिया जा सकता है । दूसरे मुख्य प्रश्न में जो उत्तर मांगा गया था उतना दे दिया गया है। जहां तक अनियमितताओं का प्रश्न है उसके बारे में भी उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री रामगोपाल संड--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने कर्मचारी व अधिकारी निलंबित हुए हैं और अब तक उनके खिलाफ कौनसी कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

कर्मचारी निलंबित नहीं हुये हैं । बोर्ड के निलंबन का प्रश्न है । बोर्ड निलंबित हुआ है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये का गबन हुआ ? यदि नहीं, तो पिछले वर्षों में कितने रुपये का नुकसान हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

68–69 में नुक्सान 104,659.5 रु0 का हुआ है। 69–70 में 6,45000 रुपये का नुकसान हुआ है और 70–71 में 3,39,000 रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 68–69 के अन्दर एक लाख कुछ हजार का घाटा हुआ और उसके बाद 6 लाख का घाटा हुआ। उसको उस अवधि के अन्दर रोक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कार्यवाही उसी वक्त शुरू हुई और बोर्ड उसी वक्त ससपेन्ड कर दिया गया।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

यह जो गड़बड़ी हुई है उसमें केवल बोर्ड के सदस्यों का ही हाथ रहा है या कर्मचारियों का भी हाथ रहा है। अगर कर्मचारियों का हाथ रहा है तो कितने कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

कर्मचारियों के लिये जांच हो जावेगी और उसके नतीजे के बाद कार्यवाही की जायेगी।

तहसील सगड़ी (आजमगढ़) का पंचसाला बन्दोबस्त पूरा होने में विलम्ब

*12—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ का पंचसाला बन्दोबस्त सन् 1963 से चल रहा है ? यदि हां, तो अब तक न समाप्त होने का क्या कारण है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद—

जी हां। अब तक कार्य पूरा न होने का कारण रेगुलर स्टाफ जिसके द्वारा यह कराया जाता है, की सामान्य प्रशासन के अन्य कार्यों जैसे बाढ़ सहायता, चुनाव, जमाबंदियां बनाना, अल्पबचत योजना, जनगणना आदि में व्यस्तता है।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 63 से बन्दोबस्त का काम चालू किया गया। इसका लक्ष्य कब तक था ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

इसमें लक्ष्य कोई नहीं होता है। लेकिन जल्दी-जल्दी खत्म किया जाता है।

श्री मैनेजर सिंह—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि बाढ़, चुनाव और जनगणना में इनके अधिकारी फंसे रहे। 63 से काम शुरू हुआ है। कब समाप्त हुआ। अब तक किन-किन वर्षों में वे किन-किन कार्यों में रहे हैं। बाढ़ में चुनाव में और जनगणना में वे कितने-कितने दिन रहे हैं ? शासन की तरफ से क्या उपाय किये जा रहे हैं कि कार्य पूरा हो ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

श्रीमन्, बाढ़ और इसी किस्म के जो दूसरे काम है वे इसी वर्ष नहीं हुए हैं और वर्षों में भी वे होते रहते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है जितना विलम्ब होना चाहिये उससे अधिक हुआ है यह सही है। शासन का ध्यान उस तरफ है और विचार किया जा रहा है। पंचवर्षा कागजात तैयार किये जाते हैं। उसके लिये एक संगठन बना दिया जाय और वह देखा करे। इस पर राजस्व परिषद् ने विचार किया है और उसका निर्णय लिया जायेगा।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

63 का बन्दोबस्त 71 में हो गया। 63 से 68 तक पांच साल होते हैं जिनका बन्दोबस्त नहीं शुरू किया ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

अभी जब तक इनका बन्दोबस्त तय नहीं हो जायेगा इन गांवों का कब होगा।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

श्रीमन् जिस तरह से सगड़ी तहसील में पांच साला बन्दोबस्त शुरू नहीं हुआ और वह प्रदेश में भी पूरा नहीं हुआ तो उसे किस तरह पूरा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

उत्तर प्रदेश में तथा कथित दूध का अभाव

*13—श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया) तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर दूध की फैक्टरियों की स्थापना के कारण एवं उत्तर प्रदेश के दूध का निर्यात अन्य प्रांतों में होने के कारण इस प्रदेश में दूध का अभाव होने से बच्चों तक को दूध नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या शासन इस संबंध में कोई आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करने जा रही है ?

कुअर अशरफ अली खां—

ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब इस प्रश्न के जवाब देने की अंतिम तिथि 17 मई, 1971 थी तो इस दौरान उन्होंने कोई सूचना एकत्रित करने का प्रयास किया है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां, प्रयास किया गया मगर इस तरह की सूचना नहीं मिली।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—

उस समय शासन ने यह आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करायेंगे। तो क्या इस सूचना को सही मानकर मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां करायेंगे।

नोट—तारांकित प्रश्न 13 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

ताकुला महिला आश्रम (नैनीताल) की आश्रिता कुमारी भगवती जोशी द्वारा तथा कथित आरोप

*14—सर्वश्री शिवानन्द नौटियाल, रामकरन सिंह, गोविन्द सिंह नेगी, नित्यानन्द स्वामी, सुखपाल पांडेय, त्रिवेणी सहाय, राम गोपाल सण्ड, सतीश चन्द्र (जिला एटा), कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) तथा राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के "ताकुला, महिला आश्रम" से भगाई गई एक आश्रिता कुमारी भगवती जोशी ने एस० डी० एम० कोर्ट, नैनीताल में दिनांक 15 जुलाई, 1971 को इस आश्रम की संचालिका और एक अन्य व्यक्ति जिनका इस आश्रम से घनिष्ठ संबंध है, पर यह दोषारोपण किया है कि यह आश्रम अनैतिकता और अनाचार का अड्डा है तथा स्वयं कुमारी जोशी को बेच कर वेश्यावृत्ति करने के लिये ये लोग विवश कर रहे थे? यदि हां, तो सरकार कुमारी जोशी तथा इस आश्रम के कार्य-कलापों के साथ संचालिका के बयानों को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

एस० डी० एम०, नैनीताल की अदालत में कुमारी भगवती जोशी के बयान दिनांक 15 जुलाई, 1971 में प्रश्नगत दोषारोपण नहीं किये गये थे।

जिला सहकारी संघ लि०, एटा से बकाये ऋण की वसूली

*15—श्री बदन सिंह यादव (जिला एटा) तथा श्री गंगासिंह यादव (जिला एटा)—

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, एटा पर राजकीय वित्तीय वर्ष सन् 1965 से 1971 तक ऋण कितना लगा हुआ है और कितनी धनराशि फेडरेशन पर बकाया पड़ गई है और उसकी वसूली के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं? क्या मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सहकारी जिला फेडरेशन लि०, एटा की प्रबन्ध समिति में कितने सदस्य प्रतिनिधि नहीं रहे है और कितने सदस्य बकाया सहकारी संघों के प्रतिनिधि हैं? प्रबन्ध समिति अवैधानिक होते हुये अब तक संचालक मंडल (प्रबन्ध समिति) को क्यों नहीं अवक्रान्त किया गया?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

राजकीय वित्तीय वर्ष सन् 65 से 71 तक जिला सहकारी संघ लि०, एटा पर 6,50,000.00 रु० शासकीय ऋण के रूप में लगा हुआ है। 31 मार्च, 1971 को उक्त ऋण का कुल 1,20,278 रु० (83,652 ऋण की किस्त का 36,626 रु० ब्याज) बकाया पड़ गया है जिसकी वसूली हेतु जिला संघ को समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा लिखा जाता रहा है।

जिला सहकारी संघ, एटा की प्रबन्ध समिति में 10 निर्वाचित सदस्य हैं और एक स्थान रिक्त है तथा दो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संचालक सदस्य हैं। इन 10 निर्वाचित सदस्यों में से 9 ऐसी समितियों के सदस्य हैं जिन के ऊपर पी० सी० एफ० के खाद का बकाया हो जाने से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली, 1968 के नियम 453 (1) (ट) के अधीन अनर्हता के अन्तर्गत आ जाते हैं और जिन्हें अपने पद से हटाने की कार्यवाही करने के लिये नियमावली के नियम 454 के अन्तर्गत फेडरेशन की प्रबन्ध कमेटी को ही अधिकार प्राप्त है।

प्रबन्ध समिति के सदस्यों को अनर्हता के अन्तर्गत आ जाने पर प्रबन्ध समिति को अवक्रांत नहीं किया जाता है बल्कि उ० प्र० सहकारी समिति अधिनियम की धारा 30 के

अनुसार सुनवाई का अवसर देकर ऐसे सदस्यों को पद से हटा दिया जाता है। जिला सहकारी फेडरेशन लि०, एटा, की प्रबन्ध समिति द्वारा कार्यवाही न करने पर उप निबन्धक, आगरा इस पर समुचित कार्यवाही कर रहे हैं।

प्रबन्ध संचालक जिला सहकारी बैंक, अल्मोड़ा द्वारा तथाकथित अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

*16—श्री इन्द्रमणि (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या यह सत्य है कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा बैंक के 67-68 वर्ष के शुद्ध लाभ में से अनियमित रूप से 2,000 (दो हजार) रुपये मानदेय ले लेने पर निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश ने उनसे 1245.52 रु० तुरन्त बैंक को वापस करने को लिखा था ? यदि हां, तो निबन्धक का आदेश बैंक को कब मिला, और उक्त धनराशि को प्रबन्ध के संचालक द्वारा किस तिथि को जमा की गई ? क्या सरकार द्वारा इस अनियमितता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

यह सही है कि प्रबन्ध संचालक जिला सहकारी बैंक, अल्मोड़ा ने वर्ष 1967–68 में बैंक के शुद्ध लाभ में से दो हजार रुपया दिनांक 15 जुलाई, 1968 को मानदेय के रूप में बैंक के दिनांक 25 जून, 1967 के प्रस्ताव के अनुसार प्राप्त किया जब कि नियमानुकूल बैंक की 5 प्रतिशत की दर से कुल 758.48 रु० मिलना था।

निबन्धक सहकारी समितियों ने अपने पत्र दिनांक 3 मई, 1969 में बैंक को अतिरिक्त धनराशि वापस करने हेतु लिखा था जो सहायक निबन्धक के कार्यालय में 17 मई, 1969 को प्राप्त हुआ। किन्तु बैंक ने सूचित किया कि वह पत्र बैंक में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता।

प्रबन्ध संचालक ने मानदेय की अतिरिक्त धनराशि मुवलिग 1245.52 रु० प्रबन्ध समिति के प्रस्ताव दिनांक 31 अगस्त, 1969 के अनुसार वापस कर दिया।

जहां तक तथा कथित अनियमितता के खिलाफ कार्यवाही करने की बात है, चूंकि विभागीय निर्देशों के अनुसार मानदेय की धनराशि बैंक द्वारा प्रस्ताव पारित करके वापस कर दी गई अतः और कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*17—इन्द्रमणि—

क्या यह भी सत्य है कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा विगत 2 सितम्बर, 1969 को वर्ष 1968-69 के मानदेय के रूप में 2,000 (दो हजार) रुपये अनियमित एवं अवैधानिक रूप से ले लिया गया जबकि बैंक संचालक मंडल अथवा साधारण सभा ने वर्ष 1968-69 के लाभ में से उक्त धनराशि मानदेय के रूप में चुकाने का कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया था ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह सही है कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक के प्रबन्ध संचालक द्वारा वर्ष 1968-69 में 2,000 (दो हजार रुपया) मानदेय दिनांक 2 सितम्बर, 1969 को प्राप्त किया गया है। मानदेय प्रबन्ध संचालक को बैंक के वार्षिक साधारण अधिवेशन दिनांक 25 जून, 1967 के प्रस्ताव संख्या 12 के अनुसार भुगतान किया गया है। जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि प्रबन्धक संचालक को भविष्य में भी बैंक द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत अथवा 2,000 (दो हजार रुपया) जो भी कम हो मानदेय दिया जायगा।

इस भुगतान के सम्बन्ध में बैंक के संचालक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 31 अगस्त, 1969 के प्रस्ताव संख्या 5 (1) के अनुसार वर्ष 1968-69 के पारितोषिक 2,000 (दो हजार रुपये) के भुगतान की स्वीकृति दी है तथा तदनुसार ही प्रबन्ध संचालक द्वारा दो हजार रुपया (2,000 रु०) मानदेय का प्राप्त किया गया है।

बैंक के प्रबन्ध संचालक को वर्ष 1968-69 के लाभ से 2,000 रु० के मानदेय के भुगतान से सम्बन्धित बैंक के संचालक मंडल का दिनांक 31 अगस्त, 1969 का प्रस्ताव होने पर भी उक्त भुगतान अनियमित है क्योंकि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन बनी नियमावली, 383 के अनुसार किसी समिति के सभापति, उप सभापति या प्रबन्ध कमेटी के किसी सदस्य को कोई मानदेय नहीं किया जा सकता है। अतः बैंक व सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त मानदेय की धनराशि वापस करने को लिखा जा रहा है।

रामपुर मथुरा ब्लाक (सीतापुर) में चकबन्दी

*18--श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा ब्लाक में सरकार चकबन्दी कराने का विचार रखती है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं, अभी तक ऐसा विचार नहीं है। कारण यह है कि यह भूमि दो नदियों के प्रवाह व कटाव से प्रभावित होती है। इसमें काफी जमीन की स्थिति स्थिर नहीं रहती। अतः चकबन्दी कराना कठिन भी होता है और लाभदायक भी नहीं होता।

ग्राम उमगरा, (जिला फर्रुखाबाद) के काश्तकारों के चकबन्दी सम्बन्धित मिसलों के गायब होने की शिकायत

*19--श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम उमगरा, तहसील कन्नौज, जिला फर्रुखाबाद के कुछ काश्तकारों के चकबन्दी मुकदमें से सम्बन्धित मिसले डी० डी० आर० के यहां मार्च से जून, 1969 के बीच जिला चकबन्दी अधिकारी, फतेहगढ़ के आवश्यक सुनवाई के लिये भेजी गयी थी जिसको कार्यालय से गायब कर दिया गया ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में तुरन्त सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने की कृपा करेगी और सम्बन्धित काश्तकारों को उचित सुविधा प्रदान करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार डी० डी० सी० आर० के न्यायालय के अभिलेखों में ग्राम उमगरा, तहसील कन्नौज का कोई भी मुकदमा मार्च से जून, 1969 के बीच दर्ज हुआ नहीं पाया गया। अतः मिसलों के गायब किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम राजेपुर ग्रन्ट, जिला उन्नाव के अनियमित पट्टों की जांच

*20--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम राजेपुर ग्रंट, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव में नियम विरुद्ध पट्टे किये जाने के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, उन्नाव को प्रश्नकर्त्ता द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 5 मार्च, 1970 के सम्बन्ध में, क्या कार्यवाही की गई और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री उदितनारायण शर्मा--

प्रश्नगत पत्र में उल्लिखित विषय की जांच कराई गई जिस के फलस्वरूप 10 पट्टे अनियमित पाये गये। इनमें से तीन पट्टों का दाखिल खारिज नहीं हुआ था और इन पट्टों की भूमि गांव सभा में पूर्ववत निहित रही। शेष सात पट्टों को जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 198 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही करके निरस्त किया जा चुका है।

ग्राम खूटा सील, (जिला बलिया) के किसानों द्वारा शिकायत की जांच

*21--श्री श्यामलाल कनौजिया (जिला आजमगढ़) तथा श्री बनारसी राम (जिला आजमगढ़)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक 11 जून, 1970 को मौजा रपेटा, परगना सिकन्दरपुर गरबी, तहसील रसड़ा, जिला बलिया के किसानों से चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों की अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र राजस्व मन्त्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पत्र का विवरण क्या है और उनकी मांगें क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी हां। परन्तु वह ग्राम रपेटा नहीं ग्राम खूंटा के सम्बन्ध में था। उसमें निम्नलिखित मांग की गई थी:--

पुनः चकबन्दी कराई जाये, सार्वजनिक मार्ग एवं आबादी के लिये भूमि की व्यवस्था हो, गांव सभा की भूमि का स्थायीकरण तथा छोटे-छोटे छुटपुट चकदारों का एक चक बनाया जाय इत्यादि।

इस शिकायती पत्र पर जांच कराई गई तथा यह पाया गया कि इस ग्राम की चकबन्दी प्रायः सन्तोषजनक हुई है। सार्वजनिक उपयोग व आबादी व हरिजन आबादी के लिये भूमि कुछ कम छोड़ी अवश्य पाई गई। इस सम्बन्ध में उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। खलिहान, श्मशान, खाल निकालने के स्थान इत्यादि के लिये भी भूमि सुरक्षित करा दी गई है। लेकिन गांव में पुनः चकबन्दी कराने का कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता।

कार्बेट नेशनल पार्क की गाड़ी सम्बन्धित तथा कथित दुर्घटना

*22--कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कार्बेट नैशनल पार्क की गाड़ी गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद के बीच हाल में लड़ जाने से रद्द हो गई?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

कार्बेट नेशनल पार्क की कोई भी गाड़ी गढ़मुक्तेश्वर और मुरादाबाद के बीच में हाल में लड़ जाने से रद्द नहीं हुई है।

*23--कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि उस गाड़ी में वन विभाग के चीफ कन्जरवेटर का परिवार था और वह गाड़ी लगभग 6 दिन दिल्ली में थी? उन्होंने उसका किराया व भाड़ा दिया कि नहीं? उसको ठीक करने में जो पैसा लगेगा वह कौन देगा?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

कार्बेट नैशनल पार्क की गाड़ी नं० यू० पी० एच० 8604, 3 जुलाई, 71 को उप-अरण्यपाल, मेरठ की ड्यूटी पर दिल्ली से बरेली लिये जा रही थी और उनके साथ चीफ कन्जरवेटर का परिवार भी था इस गाड़ी को अरण्यपाल, वन्य जन्तु परिक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश 21 जून को दिल्ली ले गये थे, और 3 जुलाई को उप-अरण्यपाल, मेरठ इस गाड़ी में बरेली आ रहे थे चूंकि यह गाड़ी सरकारी ड्यूटी पर उप-अरण्यपाल, मेरठ के चार्ज में बरेली आ रही थी इसलिये चीफ कन्जरवेटर से किराया व भाड़ा लेने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसको ठीक कराने में जो व्यय होगा उसका भुगतान सरकारी मद से किया जायगा।

जिला फतेहपुर के 345 ग्रामों में चकबन्दी हेतु कार्यवाही

*24—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद के उन 450 ग्रामों में जहां निर्माण के कारण चकबन्दी नहीं कराई जा सकती अब चकबन्दी कराने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक, अगर नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला फतेहपुर के 345 ग्रामों में चकबन्दी क्रियायें नहर निर्माण के कारण नहीं कराई गयी थी। अब इन ग्रामों में नहर निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। अतः इन ग्रामों का पुनः सर्वेक्षण के पश्चात् चकबन्दी के उपयुक्त पाये गये ग्रामों में चकबन्दी करने हेतु कार्यवाही की जायगी।

तहसील फतेहपुर बिन्दकी के कुछ ग्रामों से सरकारी वसूली का स्थगन

*25—श्री जयनारायण सिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जनपद में खरीफ 71 में वर्षा से भारी क्षति होने के कारण हर प्रकार की सरकारी वसूली चाहे वह लगान, सिंचाई, तकावी या सरकारी ऋण के रोकने का विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या इससे सम्बन्धित आदेश शीघ्र देने की कृपा करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। तहसील फतेहपुर के 10 ग्रामों में तथा तहसील बिन्दकी के 15 ग्रामों में दिनांक 6 नवम्बर, 1971 के शासनादेश के अनुसार वसूली स्थगित की गई।

प्रदेश के कतिपय जिलों में चकबन्दी का कार्य

*26—श्री फरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर), श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश के किन-किन जिलों में चकबन्दी सम्बन्धी कार्य चल रहा है? क्या गोरखपुर में चकबन्दी हो रही है? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता ने इसी माह (जुलाई, 1971) में कोई पत्र लिखा था जिसमें धोबीघाट एवं हरिजन बस्ती छोड़ने की चर्चा की थी? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस समय प्रदेश के जिला मेरठ, एटा, मैनपुरी, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, इलाहाबाद, कानपुर, जालौन, वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोखपुर, देवरिया, आजमगढ़,

बस्ती, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, गोन्डा, बहराइच, रायबरेली सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, नैनीताल तथा बिजनौर में चकबन्दी का कार्य चल रहा है।

गोरखपुर जिले में तहसील सदर, फरेन्दा तथा बांसगांव में चकबन्दी क्रियायें चल रही हैं।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

अलीगढ़ जिले में गंगा की कटाव से क्षति पूर्ति एवं ग्रामों की सुरक्षा

*27—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1968–69, 1969–70 तथा 1970–71 में जिला अलीगढ़ की तहसील अतरौली के अन्तर्गत ग्राम हारनपुर कलां, किरतोली तथा उसको निकटवर्ती ग्रामों में अलग-अलग कितनी भूमि और कितने-कितने मकान गंगा की धारा से कट चुके हैं तथा क्षतिपूर्ति के रूप में किस-किस को कितनी-कितनी धनराशि का अनुदान एवं अन्य सहायता प्रदान की गई? क्या उपरोक्त कटाव को रोकने के लिये क्या उपरोक्त ग्रामों की सुरक्षा हेतु गंगा नदी पर बन्धों को बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो बन्धे कहां-कहां तथा कब-कब स्थापित हो जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

गंगा की धारा से कटी हुयी जमीन और मकानों की संख्या संलग्न सूची में दिखा दी गई है (परिशिष्ट–क)। प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के लिये किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाती। फिर भी कुल 91 व्यक्तियों को अहेतुक सहायता एवं गृह निर्माण अनुदान के रूप में 3,700 रुपये और आपदा तकावी के रूप में 211 व्यक्तियों को 5,500 रुपये दिया गया। सूची विधान सभा पुस्तकालय में अवलोकनार्थ रख दी गई है।

ग्रामों की सुरक्षा हेतु गंगा नदी पर कोई बांध बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन इस समय नहीं है क्योंकि सिंचाई अनुसंधान केन्द्र, रुड़की की राय में इतनी बड़ी नदी पर बांध बनाना उपयुक्त नहीं होगा।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृ० 121 पर।)

उत्तर प्रदेश के नये बाजारों से तथा कथित घाटा

*28—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने नये बाजार हैं? क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पिछले पांच वर्षों में इन नये बाजारों से सरकार को लगभग 5 करोड़ का घाटा हुआ? यदि हां, तो सरकार क्या इन नये बाजारों को बन्द करने की सोच रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रदेश में पांच नये बाजार हैं। यह बात सत्य नहीं है कि पिछले पांच वर्षों में इन नये बाजारों से सरकार को लगभग 5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

सरकार इन नये बाजारों को बन्द करने को नहीं सोच रही है क्योंकि ये बाजार बढ़ती हुई कीमतों के समय में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर एवं शुद्ध उपभोक्ता वस्तुओं को उपलब्ध कराने एवं मूल्य रेखा को स्थिर रखने में सहायता करते हैं।

उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था के चेयरमैन तथा आय-व्यय

*29—श्रीमती मानवती देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेशीय महिला तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित प्रशासकीय बोर्ड का चेयरमैन कौन तथा कब से है और इसको सरकार द्वारा कितना अनुदान दिया जाता है तथा वह अनुदान प्रशासकीय बोर्ड द्वारा किस प्रकार खर्च किया जाता है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्रश्न गत प्रशासकीय बोर्ड में 1959 से चेयरमैन के पद पर श्रीमती सावित्री श्याम आसीन हैं।

बोर्ड को शासन द्वारा कोई निश्चित धनराशि अनुदान के रूप में नहीं दी जाती। गत तीन वर्षों में स्वीकृत अनुदान की धनराशि निम्निलिखित है—

वर्ष	अनुदान की धनराशि (रुपये में)	अभ्युक्ति
1968-69 ..	41,780	बोर्ड को पूर्व वर्ष में स्वीकृत अनुदान में से बची धनराशि (अर्थात् 13,500 रु०) इसमें सम्मिलित है।
1969-70 ..	45,000	बोर्ड को पूर्व वर्ष में स्वीकृत अनुदान में से बची हुई धनराशि (अर्थात् 4,078 रु०) इसमें सम्मिलित है।
1970-71 ..	43,830	बोर्ड को पूर्व वर्ष मे स्वीकृत अनुदान में से बची धनराशि (अर्थात् 6,068 रु०) इसमें सम्मिलित है।

उक्त धनराशि बोर्ड द्वारा मुख्यतः निम्नांकित मदों पर व्यय की जाती है—

मद	औसत वार्षिक व्यय
	रु०
(1) कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ते इत्यादि पर	28,000
(2) यात्रा भत्ता	3,500
(3) भवन किराया	1,500
(4) अन्य आकस्मिक व्यय इत्यादि	5,000

कल्यानपुर सेटिलमेंट, कानपुर की जमीन का आवंटन

*30—श्री श्रीकृष्ण बाजपेई (जिला कानपुर)—

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कल्यानपुर सेटिलमेंट की जो जमीन वहां के निवासियों में कृषि के लिये आवंटित होनी थी वह अभी तक क्यों नहीं की गई ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

भूमि वितरण संबंधी अन्तिम आदेश शासन द्वारा 16 जुलाई, 1970 को दिये गये थे, जिसके पश्चात् यह मामला जिलाधिकारी, कानपुर तथा निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण के अन्तर्गत विचाराधीन रहा। शासन के आदेशानुसार निदेशक द्वारा भूमि वितरण की अधिकृत सूची 21 सितम्बर, 1971 को जिलाधिकारी कानपुर को भेज दी गई। प्राप्त सूचना के अनुसार अब जिला स्तर पर भूमि वितरण संबंधी कार्यवाही कर दी गई है।

*31—श्री उमा शंकर शुक्ल—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

परगना अगोरी नजरी (मिर्जापुर) नक्शा गैर पैमाइशी क्षेत्र में रिकार्ड आपरेशन में तथा कथित अशुद्धियां

*32—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के परगना अगोरी नजरी नक्शा गैर-पैमाइशी क्षेत्र में एकाएक किये गये रिकार्ड आपरेशन की अशुद्धियों के काश्तकारों को राहत देने के लिये सर्वे सेटिलमेंट कराने की कोई आज्ञा हाल में जारी की गई है? यदि हां, तो कब से कार्य प्रारम्भ होगा?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस प्रकार की कोई आज्ञा जारी नहीं की गयी है; शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जिलों में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी तथा उनके कार्य का मुख्यालय

*33—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा) तथा श्री राम वचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जहां सीनियर चकबंदी अधिकारी एक से अधिक इस आदेश के होते हुए भी कि वे अपना हेड क्वार्टर वहीं बनायें जहां के लिये उनको नियुक्त किया गया है, जिला हेड क्वार्टर पर ही काम कर रहे हैं? क्या उनमें से केवल उतरौला एस० डी० सी० को तत्काल अपने क्षेत्र में जाकर काम करने का आदेश दिया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सीनियर चकबन्दी अधिकारी से प्रश्नकर्त्ता महोदय का तात्पर्य शायद बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से है। केवल दस जिलों इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद, गोन्डा, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ में एक से अधिक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कार्य कर रहे हैं। इनमें से बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बलरामपुर को छोड़कर जिनका मुख्यालय तहसील बलरामपुर में है—बाकी सब अपने जिलों के मुख्यालय पर ही कार्य कर रहे है, ऐसा प्रशासनिक कारणों व काश्तकारों को सुविधा के लिये किया जा रहा है। बन्दोबस्त अधिकारी उतरौला को आदेश दिये गये हैं कि वह अपना मुख्यालय, तहसील उतरौला में बनाये। दो अन्य बन्दोबस्त अधिकारी को भी ऐसे ही आदेश दिये गये हैं। वह आदेश काश्तकारों की सुविधा तथा कार्यकुशलता के हित में दिये गये हैं। नई इकाईयों के यथासम्भव मुख्यालय तहसील ही में रखने का प्रयत्न किया जाता है।

ग्राम सिधौरा, जिला बहराइच के हरिजनों द्वारा चकबन्दी से छोड़ी गई जमीन न मिलने की शिकायत

*34—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच), श्री धूम प्रसाद, (जिला फैजाबाद), श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ), श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्राम सिधौरा, परगना चरदा, जिला बहराइच में चकबन्दी के सिलसिले में हरिजनों के मकान बनाने हेतु कोई जमीन छोड़ी गयी थी और उस पर कुछ सवर्ण लोगों ने कब्जा कर मकान बनवा लिया है ? तथा उक्त ग्राम के हरिजनों ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों के पास शिकायत की थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम लाल बोझी, परगना चरदा, जिला बहराइच के मजरा सिधौरा में हरिजनों की आबादी हेतु भूमि सुरक्षित की गई थी । इस पर हरिजनों का ही कब्जा है तथा किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति ने अनाधिकार कब्जा करके मकान नहीं बनाया है । इस भूमि के सम्बन्ध में कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

ननकऊ, पुत्र छेदा व वाऊर, पुत्र सरजू, निवासी ग्राम सिधौरा दाखिली लाल बोझी ने शिकायती प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रधान, ग्राम समाज ने गैर कानूनी ढंग से ग्राम सभा की भूमि का बन्दोबस्त ग्राम के कुछ सवर्ण जातियों के साथ कर दिया है । यह शिकायत सामान्य आबादी हेतु सुरक्षित भूमि से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के न्यायालय में कार्यवाही चल रही है ।

1970–71 में पिछड़ी जातियों को प्राप्त छात्र-वृत्ति की संख्या तथा धनराशि

*35—श्री हबीबुर्रहमान नोमानी (जिला आजमगढ़)—

सन् 1970–71 वित्तीय वर्ष में पिछड़ी जातियों के कुल कितने विद्यार्थियों को छात्र-वृत्ति दी गई और उस पर कितना धन व्यय हुआ ; उसमें कितने विद्यार्थी मोमिन अन्सार के हैं और उनको दिये गये छात्र वृत्ति की मात्रा कितनी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वर्ष 1970–71 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को छोड़कर अन्य पिछड़ी जातियों के कुल 17,755 विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां दी गई जिस पर 16,80,723 रु० व्यय हुआ ।

इनमें मोमिन अन्सार जाति के 1,439 विद्यार्थी थे और उन पर 1,24,370 रु० व्यय हुआ, किन्तु इन आंकड़ों में नगरपालिकाओं के विद्यालयों में पढ़ने वाले मोमिन अन्सार जाति के विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियों से संबंधित संख्या तथा धनराशि सम्मिलित नहीं है क्योंकि उसके आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते ।

विकास खण्ड मिल्कीपुर, फैजाबाद में अनुसूचित जातियों को कृषि उत्थान हेतु अनुदान

*36—श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खण्ड, मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में हरिजनअनुदान वर्ष 1970–71 का वितरण कितने रुपये का कितने काश्तकारों को खण्ड विका

अधिकारी, मिल्कीपुर द्वारा हरिजनों को वितरित किया गया तथा उक्त अनुदान बी०डी०सी० की बैठक में स्वीकृत करा कर किया गया है या नहीं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

वर्ष 1970-71 में विकासखंड मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद में अनुसूचित जातियों के चार व्यक्तियों को कृषि उत्थान हेतु 250 रु० प्रति व्यक्ति, अर्थात् कुल 1,000 रु० का अनुदान वितरित किया गया। उक्त अनुदान संबंधित खंड विकास समिति द्वारा 16-3-71 को बैठक में स्वीकृत किये गये थे।

कृषि कार्यों के लिये कृषकों को अल्पकालीन ऋण

*37--श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बता सकेंगे कि प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये कृषकों की आवश्यकता का कितना-कितना प्रतिशत ऋण सहकारी संस्थायें, सरकार, व्यावसायिक व राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अलग-अलग दिया गया है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव--

वर्ष 1970-71 में प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये कृषकों की अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता 106 करोड़ रुपया आंकी गई थी जिसमें से 52.35 करोड़ रुपया ऋण सहकारी समितियों द्वारा और 24.70 करोड़ रु० कृषि तकावी सरकार द्वारा बांटी गई थी जो निर्धारित धनराशि का क्रमशः 49 प्रतिशत व 23 प्रतिशत आता है। व्यवसायिक व राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कितना ऋण बांटा इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

नैनीताल जिले में थारू तथा बोक्स ग्रामों को वन विभाग से अप्राप्य हक-हकूकों सम्बन्धी शिकायत

*38--श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या वन मन्त्री को जानकारी है कि सन् 66 के वन बन्दोबस्त में नैनीताल जिले में थारू तथा बोक्सा ग्रामों के अलावा कई गैर थारूओं के ग्राम भी वन विभाग से मिलने वाले हक हकूकों से वंचित रह गये हैं ? क्या नैनीताल जिले के टनकपुर नामक गोठ ग्राम सभा जमोर तथा मझोला आदि ग्राम सभाओं के सभापतियों तथा ग्रामीणों द्वारा हक हकूक न मिलने की शिकायतें पिछले साल सन् 1970-71 में अधिकारियों तथा राज्य सरकार को मिली हैं ? क्या वह मामला भी उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित कमेटी की कार्यवाही का एक हिस्सा मान लिया गया था? कमेटी ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

सन् 1966 के वन बन्दोबस्त में नैनीताल जिले में थारू तथा बोक्सा के ग्रामों के अलावा कुछ गैर थारूओं के ग्रामों को भी वन से मिलने वाले हक-हकूक नहीं मिले हैं। नैनीताल जिले के ग्राम, जमौर तथा मझौला आदि को हक-हकूक न मिलने की शिकायतें ग्रामीणों तथा ग्राम सभा के सभापतियों द्वारा सन् 1970-71 में राज्य सरकार तथा अधिकारियों को मिली हैं। टनकपुर नामक गोठ ग्राम कोई नहीं है और न इससे कोई शिकायत मिली है। टनकपुर गैर थारू ग्राम है जिसे वन बन्दोबस्त क समय हक-हकूक प्रदान किया गया है। जमौर और मझौला थारू ग्राम हैं जो हक हकूक से बंचित रह गये हैं और जिन्हें वन सम्बन्धी हक हकूक दिये जाने के हेतु प्रश्नगत समिति न संस्तुति की है।

गैर थारूओं तथा गैर बोक्सा ग्रामों के मामलों को उक्त समिति की कार्यवाही का हिस्सा नहीं माना गया था। अतः कथित समिति ने इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की।

ग्राम डेला, जिला रायबरेली के सार्वजनिक तालाबों के पानी का उपयोग

*39—श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम डेला, परगना परसदेपुर, तहसील सलौन, जिला रायबरेली में स्थित सार्वजनिक तालाब से वहां किसानों को सिंचाई आदि के लिये पानी प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध को हटायेगी और पानी को जनता द्वारा प्रयोग करने की इजाजत देगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम डेला के सार्वजनिक तालाबों के पानी का किसानों द्वारा सिंचाई के उपयोग में लाने पर सरकार की ओर से कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया ।

तारांकित प्रश्न

[दि० 31 दिसम्बर, 1971 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री पारसनाथ सिंह, श्री धूम प्रसाद, श्री मोहन लाल कपूर तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

तहसील नानपारा (बहराइच) में सीलिंग से प्राप्त भूमि क वितरण

*2—श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच), श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद), श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ), श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद में तहसील नानपारा के अन्दर कितनी भूमि सीलिंग में प्राप्त हुई थी और उसमें से कितनी भूमि सीरदारी अधिकार पर भूमिहीनों में दिनांक 31 जुलाई, 1971 तक आवंटित की गई तथा शेष की क्या व्यवस्था चल रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद, बहराइच की तहसील, नानपारा में सीलिंग के अन्तर्गत 6387.79 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, जिसमें से 3180 एकड़ भूमि दिनांक 31 जुलाई, 1971 तक भूमिहीनों को पट्टे पर दे दी गई है । शेष 3207.79 एकड़ भूमि में से 1412.79 एकड़ भूमि कृषि के योग्य नहीं है तथा 1795 एकड़ भूमि अस्थाई रूप से पट्टे पर उठी हुई है ।

*3—श्री राम सिंह खन्ना—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

प्रदेश के रिक्शा चालक, सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण

*4—श्री राम सिंह खन्ना (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रिक्शा पुलर्स सोसाइटी रजिस्टर्ड हैं ? उनमें से पिछले वर्ष 1970–71 में किसको कितना-कितना ऋण सहकारिता बैंकों ने दिया है ? ऋण दिये जाने की शर्तें क्या हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

उत्तर प्रदेश में कुल 40 रिक्शा चालक सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हुई हैं । उनमें से केवल जौनपुर तथा सुल्तानपुर जनपदों में एक एक समिति को क्रमशः रु० 23,000 तथा रु० 7,000 अर्थात् कुल 30,000 रुपये का ऋण वर्ष 1970–71 में दिया जा चुका है । सम्बन्धित

जिला सहकारी बैंकों से उनके नियमानुसार यह ऋण इन समितियों को दिया गया है। ऋण की मुख्य मुख्य शर्तों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 122 पर।)

नौगढ़ तहसील (जिला-बस्ती) में वन विभाग द्वारा जमुआर नदी के किनारे की भूमि का तथाकथित अध्यापन

*5—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील में जमुआर नदी के किनारे-किनारे वन विभाग के लिये गांवसभा में निहित जो भूमि एक्वायर की है उसमें ऐसी जमीन भी एक्वायर हो गई है, जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व सीर खुदकाश्त एवं दखिलकारी की भूमि थी तथा यह भी सत्य है कि गांव भंडेहर ग्राम और गायघाट में भी उपरोक्त प्रकार के काश्तकारों की जमीन ली गई है? यदि हां, तो क्या सरकार उसमें सुधार करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं। वन विभाग को दी गई भूमि में ऐसी भूमि शामिल नहीं है जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व खुदकाश्त या दखिलकारी की भूमि रही हो।

प्रदेश के सहायक विकास अधिकारियों (सहकारिता) का स्थायीकरण

*6—श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोन्डा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितने सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता ऐसे हैं जो अभी तक अस्थायी हैं? क्या सरकार उन्हें स्थायी करने की योजना बना रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रदेश में 607 सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) ऐसे हैं जो अभी तक अस्थायी हैं। इनके स्थायीकरण की कोई विशेष योजना नहीं बनाई जा रही है। सहकारिता विभाग में जो स्थायी पद उपलब्ध हैं, उनपर उपर्युक्त सहायक विकास अधिकारियों को सहकारिता विभाग के वर्ग-2 के अन्य निरीक्षकों के साथ शीघ्र ही स्थायी किया जायगा।

ग्राम चैनपुर खास (जिला गोंडा) के निवासियों द्वारा खेतों की पुनः पैमाइश की मांग

*7—श्री सूरजलाल गुप्त—

क्या राजस्व मंत्री को जनपद गोंडा के तहसील, बलरामपुर के चैनपुर खास ग्राम के कुछ लोगों द्वारा उनके खेतों की पुनः पैमाइश कराने के लिये दिनांक 1 फरवरी, 1971 से 10 मार्च, 1971 के बीच की तिथियों में उप सचिव को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। कथित तिथियों के अन्दर इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ था। मामले में जिला स्तर पर जांच कराई गयी और उसी के आधार पर दिनांक 16 मार्च, 1971 को प्रार्थियों के चकों की पैमाइश कराई गयी। उसके बाद दिनांक 5 नवम्बर, 1971 को पैमाइश की पुनः जांच करा ली गयी है। पैमाइश ठीक पाई गयी।

विकास खण्ड भाटपार रानी, जिला देवरिया के बाढ़ और वर्षा से पीड़ित किसानों की मांगों पर कार्यवाही

*8—श्री बांके लाल तथा श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया विकास खण्ड भाटपार रानी के बी० डी० ओ० के समक्ष गत दिनांक 27 सितम्बर, 1971 को बाढ़ और वर्षा से पीड़ित किसानों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ ? यदि हां, तो प्रदर्शनकारियों की मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने अपने ज्ञापन में 13 मांगें रखी थीं। मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 तथा 13 पर राजस्व विभाग द्वारा कार्यवाही हो चुकी है (परिशिष्ट-ख के अनुसार)। मांग 9—10 तथा 11 क्रमशः श्रम, उद्योग तथा विद्युत विभागों से संबंधित हैं। खेतिहर मजदूरों को मजदूरी निर्धारित करने से संबंधित मांग संख्या 9 शासन के श्रम विभाग में अभी विचाराधीन है। मांग संख्या 10 में गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। उत्पादकों को गन्ने का पिछला बकाया मूल्य अदा करने के बारे में प्रदेश सरकार की ओर से कार्यवाही हो चुकी है। निजी नलकूपों पर पावर कर से संबंधित मांग संख्या 11 के बारे में विद्युत विभाग से आदेश जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 123 पर।)

जिला चमोली के नन्दप्रयाग घाट एवं समीपवर्ती ग्राम निवासियों को बाढ़ एवं भूस्खलन से सहायता

*9—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत सितम्बर में नन्द प्रयाग घाट व समीपवर्ती कितने गांवों, आदमियों तथा पशुओं का बाढ़ से, भू-स्खलन से कुल कितना नुकसान हुआ है और सरकार की ओर से अब तक कुल कितनी सहायता प्रदान कर दी गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सितम्बर के बजाय जून, जुलाई, अगस्त 1971 में चमोली जिले के नन्दप्रयाग घाट एवं उनके समीपवर्ती 75 गांवों के 2936 व्यक्ति बाढ़ एवं भू-स्खलन से पीड़ित हुये। 2 मनुष्यों और 78 पशुओं की मृत्यु हुई। 100 मकान और 182 गौशालायें क्षतिग्रस्त हुई। 997 नाली खेतिहर भूमि भी क्षतिग्रस्त हुई। पीड़ितों को गृह निर्माण अनुदान के रूप में 29,250 रूपये और अहेतुक सहायता के रूप में 5,475 रुपये सरकार की ओर से दिये गये।

*10—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत माह बादप्रयाग (चमोली) में आई बाढ़ से 20 गांवों के 400 परिवार तथा 150 हरिजन परिवार बेघर हो गये हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इन परिवारों को बसाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कुल 368 परिवार प्रभावित हुये जिनमें से 33 परिवार हरिजनों के हैं। बेघर बार हुये परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिये अस्थायी सुविधा दे दी गई है किन्तु वे परिवार स्थायी पुर्नवासन हेतु अपने गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते।

तहसील, तिलहर (शाहजहांपुर) के ग्रामों की वर्षा और बाढ़ से क्षति

*11—श्री सुरेन्द्र विक्रम, (जिला शाहजहांपुर) श्री धर्मवीर तथा श्री राम विलास पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर की तहसील, तिलहर के कितने ग्राम अगस्त तथा सितम्बर, 1971 में हुई वर्षा व बाढ़ से कितने प्रभावित हुए तथा कितने एकड़ फसल नष्ट तथा क्षतिग्रस्त हुई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

244 ग्राम प्रभावित हुए तथा 28,200 एकड़ क्षेत्र में बोई फसल नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त हुयी ।

*12—श्रीमती मसाली देवी—

[2रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतिवर्षा पीड़ित क्षेत्रों में सहायता वितरण में जन प्रतिनिधियों का सहयोग

*13—श्री सुरेन्द्र विक्रम श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को सितम्बर अथवा अक्तूबर, 1971 में एक आदेश भेजा जिसमें कहा गया है कि बाढ़ और अत्याधिक वर्षा से पीड़ित क्षेत्र में जो सहायता बांटी जाये वह जन प्रतिनिधियों की जानकारी में बांटी जाय ? यदि हां, तो क्या गाजीपुर जिले मेव शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में जो सहायता बांटी गई अथवा बांटी जा रही है उसकी सूचना तहसीलदारों द्वारा क्षेत्र के विधायकों और लोक सभा के सदस्यों को लिखित दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

लिखित रूप में सहायता वितरण के कार्यक्रम या वितरण की सूची क्षेत्र के विधायकों या लोक सभा सदस्यों को देने का कोई शासकीय आदेश सितम्बर अथवा अक्तूबर, 1971 में जारी नहीं किया गया। हां, नवम्बर 1971 में सभी जिलों को ये आदेश अवश्य भेजे गये हैं कि वितरित सहायता की सूची लिखित रूप में क्षेत्र के विधायक को दी जाय । सहायता वितरण में जन प्रतिनिधियों का सहयोग बराबर लिया जाता रहा है और प्रश्नगत दोनों जिलों में सहायता कार्यक्रम से क्षेत्र के विधायकों तथा लोकसभा सदस्यों को यथासंभव अवगत रखा गया है । सितम्बर तथा अक्तूबर, 1971 में जो सहायता वितरित की गई उसकी सूची विधायकों को नहीं दी गई क्योंकि उस समय ऐसा आदेश नहीं था ।

उप-अरण्यपाल, दक्षिणी खीरी, वन प्रखंड का स्थानान्तरण

*14—श्री बंशीधर पांडेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली), श्री रामविलास पान्डे तथा श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)—

क्या वन मन्त्री को पता है कि उप-अरण्यपाल दक्षिणी खीरी, वन प्रखंड का स्थानान्तरण फैजाबाद को हो गया ? और 15 जुलाई, 1971 को चार्ज छोड़कर लखनऊ आये किन्तु उन्हें फिर खीरी वापिस किया गया ? यदि हां, तो क्यों और जो उन्होंने टी०ए०, डी०ए० प्राप्त किया तबादिले के सम्बन्ध में, उसके लिये कौन उत्तरदायी है ?

अजीत प्रताप सिंह—

यह सही है कि उप-अरण्यपाल, दक्षिणी खीरी वन प्रभाग का स्थानान्तरण फैजाबाद को हो गया था और 15 जुलाई, 1971 को अपरान्ह में कार्यभार से अवमुक्त होने पर वे लखनऊ आये थे । प्रशासकीय कारणों से उनका उस समय का स्थानान्तरण निरस्त करने के निर्णय के कारण उन्हें पुनः खीरी वापस किया गया ।

संबंधित उप-अरण्यपाल ने खीरी वापस जाकर दिनांक 17–7–71 को 15 जुलाई, 1971 के कार्यभार से अवमुक्त किये जाने से संबंधित प्रमाण-पत्र (चार्ज सार्टीफिकेट) को स्वयं निरस्त कर दिया। अतः उन्हें इस संबंध में टी०ए० एवं डी०ए० देय नहीं होगा।

प्रदेश के वन विभागों के ठेकेदारों पर बकाया धनराशि

*15—श्री वंशीधर पान्डेय, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री राम प्रसाद, श्री राम विलास पांडेय तथा श्री महातम प्रसाद तिवारी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वन विभाग के ठेकेदारों पर 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1969–70 में कितना धन वन विभाग का बकाया है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्रदेश के वन विभाग के ठेकेदारों पर 1966–67, 1967–68, 1968–69 तथा 1969–70 में बकाया धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	बकाया धनराशि (रुपयों में)
1966–67	5,36,059
1967–68	8,88,770
1968–69	21,15,929
1969–70	56,59,894

ग्राम मेदवरा, तहसील केराकत में चकबन्दी के फलस्वरूप तथाकथित अनियमिततायें

*16—श्री दर्लसिगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर, तहसील केराकत, ग्राम भदुरा में चकबन्दी हुई और किसानों को बीस व उससे भी अधिक चक मिले ? यदि हां, तो क्या हुआ ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील केराकत, जिला जौनपुर में ग्राम भदुरा नाम का कोई ग्राम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत नहीं है जिसमें किसानों को 20 या उससे भी अधिक चक प्रदिष्ट किये गये हों। वैसे केराकत तहसील में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत ग्राम भेदवरा है जिसमें किसी भी किसान को 20 या उससे अधिक चक प्रदिष्ट नहीं किये गये हैं।

*17—श्री दर्लसिगार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों ने इसके निमित्त माननीय मुख्य मन्त्री, माननीय राजस्व मन्त्री तथा आयुक्त, चकबन्दी के यहां दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ऐसी कोई दरख्वास्त का दिया जाना नहीं प्रतीत होता।

*18–19—श्रीमती मसाली देवी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

धारा 34 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट के अन्तर्गत विवादाग्रस्त दाखिल खारिज के मुकदमों में रिवीजन व अपील पर विचार

*20—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि धारा 34 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट मुकदमा दाखिल खारिज के अन्तर्गत रिवीजन के अलावा अपील किये जाने का प्राविधान स्वीकार किये जाने संबंधी संशोधन सरकार के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी कब तक संभावना है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इस मामले पर राजस्व संहिता समिति ने विचार किया है और यह संस्तुति की है कि दाखिल खारिज का मुकदमा यदि विवादग्रस्त हो जाता है तो वह घोषणात्मक वाद (डिक्लेरेटरी सूट) की भांति तय होगा। उस आदेश के विरुद्ध अपील होगी। राजस्व संहिता (रेवेन्यू कोड) बनाते समय उस संस्तुति पर विचार होगा।

जिला हरिजन तथा समाज कल्याण समितियों के पुनर्गठन पर विचार

*21—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरिजन तथा समाज कल्याण समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

पुनर्गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

मेरठ स्थित "आपका बाजार" में वर्ष 1969–70 व 1970–71 में हानि का विवरण

*22—श्री राम गोपाल संड—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ में स्थित "आपका बाजार" में वर्ष 1969–70 व 1970–71 में एवं 30 सितम्बर, 1971 में कितने रुपये की हानि हुई है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मेरठ में स्थित 'आपका बाजार' में वर्ष 1969–70 व 1970–71 में एवं 30, सितम्बर, 1971 तक हुई हानि का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष 1969–70	..	रु० 65,477
वर्ष 1970–71	..	रु० 88,678
दिनांक 1–7–71 से 30–9–71 तक		रु० 26,273 (अनुमानित)

जिलाधिकारी, देवरिया के समक्ष बाढ़ व वर्षा से पीड़ित किसानों का प्रदर्शन तथा उनकी मांगें

*23—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, देवरिया के समक्ष दिनांक 6 अक्तूबर, 1971 को बाढ़ एवं वर्षा से पीड़ित किसानों का एक विशाल प्रदर्शन हुआ ? यदि हां, तो पत्रक में क्या-क्या बातें थीं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शनकारियों द्वारा दिये गये मांग पत्रक में 21 मांगें थीं। (प्रतिलिपि संलग्न परिशिष्ट–क)।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 124 पर।)

*24—श्री हरिवंश सहाय—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त मांगों में कौन-कौन-सी मांगे पूरी की जा रही है? तथा जो मांगें पूरी नहीं की जा रही हैं उसका कारण क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

पत्रक में उल्लिखित मांग संख्या 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17 का संबंध शासन के राजस्व विभाग से है जिन पर कार्यवाही हो चुकी है। शेष मांगे शासन के विभिन्न विभागों में विचाराधीन हैं। उन पर की गई कार्यवाही की सूचना संकलित की जा रही है।

तहसील डेरापुर (कानपुर) के भूमिहीनों पर बेदखली के मुकदमें

*25—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में बेदखली के कितने मुकदमें भूमिहीन और हरिजन के ऊपर चल रहे हैं और क्या उन मुकदमों को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सरकार कोई निर्णय लेने जा रही है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

तहसील, डेरापुर में गत 15 नवम्बर, तक बेदखली के कुल 37 मुकदमें जमींदारी विनाश नियमावली के नियम 115–डी के अन्तर्गत विचाराधीन थे। उक्त मामलों में 3 भूमिहीन सम्मिलित हैं परन्तु कोई हरिजन नहीं है। चूंकि न्यायिक कार्यवाही में शासकीय हस्तक्षेप सम्भव नहीं। अतः शासन द्वारा निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति की संस्तुतियों पर विचार

*26—श्री उदय नाथ (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हरिजन कल्याण योजना मूल्यांकन समिति, जो आचार्य जुगल किशोर की अध्यक्षता में गठित की गई थी, की सिफारिशें सरकार का कब प्राप्त हुई थीं? क्या समिति के प्रतिवेदन के अध्याय 6 की सिफारिशों को मान लिया गया है? यदि हां, तो सरकार कब तक उन्हें लागू कर देगी?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

हरिजन कल्याण योजना—मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट सरकार को अगस्त, 1969 में प्राप्त हुई थी।

उक्त रिपोर्ट के अध्याय 6 में समिति ने जो संस्तुतियों की हैं उनका सारांश अध्याय 62 में संस्तुति संख्या 246 से 291 पर दिया हुआ है। यह संस्तुतियां मुख्यतः प्रशासकीय व्यवस्था व कार्यप्रणाली से संबंधित हैं, इनमें से जिन संस्तुतियों का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है, उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

शेष संस्तुतियां विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 127 पर।)

हरदोई–लखनऊ सड़क के किनारे कृषि योग्य भूमि का बन्दोबस्त

*27––श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)––

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के हरदोई सड़क के दोनों तरफ हजारों एकड़ जो भूमि पड़ी है और जिस पर खेती नहीं होती है, उस जमीन को खेतिहर मजदूरों को खेती के लिए देने व स्वयं खेती करने के लिए कोई योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा––

हरदोई–लखनऊ सड़क के किनारे पड़ी गांव सभा में निहित जो भूमि कृषि योग्य है उसका बन्दोबस्त किया जा चुका है। तहसील, हरदोई के लगभग 208 एकड़ भूमि को उठाने की कार्यवाही चल रही है परन्तु इस सड़क के किनारे की अधिकांश भूमि ऊसर होने के कारण कृषि योग्य नहीं है और इस कारण पट्टों पर नहीं उठायी जा सकी है। प्रदेश मे ऊसर भूमि का सदुपयोग करने के विषय में योजना शासन के विचाराधीन है। अभी इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना है।

*28––श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बाढ़ सहायता एवं दीर्घकालीन बाढ़ सुरक्षा कार्यों सम्बन्धित गोष्ठियों के प्रतिवेदनों पर विचार

*29––श्री जगवीर सिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 22 और 23 अक्तूबर, सन् 1971 में बाढ़ सहायता एवं दीर्घकालीन सुरक्षा कार्यों के संबंध में विचारार्थ राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों का द्वि-दिवसीय सम्मेलन लखनऊ में सम्पन्न हुआ ? जिसमें बाढ़ सुरक्षा कार्यों से संबंधित 7 गोष्ठियों की रिपोर्टों पर भी विचार हुआ ? यदि हां, तो इन रिपोर्टों का विवरण क्या है, और सम्मेलन में कौन-कौन से प्रस्ताव पारित किये ?

श्री उदित नारायण शर्मा––

जी हां। पूर्ण विवरण संलग्न पुस्तिका† में अंकित है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृ० 129 पर।)

जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर में गड़बड़ी के फलस्वरूप कार्यवाही

*30––श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)––

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिला सहकारी बैंक में गड़बड़ी एवं गबन तथा अपव्यय होने के कारण पिछले तीन वर्षों से रिजर्व बैंक आफ इंडिया एवं उत्तर प्रदेशीय सहकारी बैंक ने कर्जे देना बन्द कर दिया है जिसके कारण सहकारी संस्थाओं का लेन-देन ठप्प है ? यदि हां, तो सरकार ने उस संदर्भ में क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

यह सही है कि जिला सहकारी बैंक लि०, कानपुर में गड़बड़ी, गबन तथा अपव्यय होने के कारण पिछले वर्षों में रिजर्व बैंक आफ इंडिया एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि० ने इस बैंक को कर्ज देना बन्द कर दिया था। फलतः गत वर्ष बैंक की प्रबन्ध कमेटी को दिनांक 11 अगस्त, 1970 से निलम्बित करके बैंक का प्रबन्ध प्रशासक को सौंप दिया गया है।

---

†पुस्तिका छापी नहीं गयी।

उसके पश्चात् वर्ष 71–72 के निमित्त उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक ने इस बैंक को अल्पकालीन ऋण वितरण हेतु 50.00 लाख रुपयों की नियमित साख सीमा स्वीकार कर दी है और समितियों को नियमानुसार ऋण वितरण हो रहा है।

कानपुर स्थित सहकारी निर्माण परिषद् में तथाकथित गबन

*31—श्री राम कुमार दीक्षित—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी निर्माण परिषद्, जिला कानपुर में हजारों रुपया का गबन पाया गया है ? यदि हां, तो इस गबन से किसका संबंध है ? तथा विभाग इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कानपुर स्थित सहकारी निर्माण परिषद् में किसी प्रकार का कोई गबन प्रकाश में नहीं आया है। अस्तु विभाग द्वारा कार्यवाही करन का प्रश्न नहीं उठता।

*32—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों (आजमगढ़ जिला) में भूसा व चारे का प्रबन्ध

*33—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सरकार ने पशुओं के चारे के लिए अक्तूबर, माह 1971 में कितना क्विन्तल भूसा भेजा, किन-किन तहसील क्षेत्रों के किन-किन गांवों में बिक्री किया गया ? पूरा विवरण क्या है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहकारी सोसाइटी भानपुर (बाबू) जिला बस्ती के कर्मचारियों द्वारा तथाकथित गबन

*34—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहकारी सोसाइटी, भानपुर (बाबू), तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के कर्मचारियों द्वारा सन् 1969 में ग्राम सभा बड़ोखर के लगभग 40 किसानों के नाम 30 हजार रुपया गलत लिख कर गबन कर लिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सहकारी सोसाइटी, भानपुर (बाबू) तहसील, डुमरियागंज जिला बस्ती में कर्मचारियों द्वारा 1969 में कोई गबन नहीं किया गया और न ग्राम सभा, बड़ोखर का कोई किसान उक्त समिति का सदस्य ही है।

बुन्देलखण्ड वन प्रखण्ड, झांसी के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*35—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी)—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड वन प्रखण्ड, झांसी में फारेस्टर पद पर कितने ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें कार्य करते दस वर्ष हो गये फिर भी वे स्थायी नहीं किये गये ? और क्या उनके स्थायीकरण के संबंध में विचार करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

बुन्देलखण्ड वन प्रखण्ड, झांसी में केवल आठ ही ऐसे फारेस्टर हैं जिन्हें फारेस्टर के पद पर सेवा करते दस वर्ष हो गये ह और वे स्थायी नहीं हैं। इन फारेस्टरों के स्थायीकरण का मामला अभी विचाराधीन है।

हंडिया तहसील (इलाहाबाद) के चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध तथा कथित शिकायत

*36--श्री कल्याण सिंह तथा श्री हिम्मत सिंह--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद के हंडिया तहसील के कुछ चकबन्दी अधिकारियों के विरुद्ध दिनांक 27 सितम्बर, 1971 को जनता द्वारा प्रेषित शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

जी नहीं। दिनांक 27 सितम्बर, 1971 का कोई शिकायती-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

मुहम्मदाबाद गोहना, तहसील (आजमगढ़) में बाढ़ से ग्रामवासियों को सहायता

*37--श्री श्याम लाल कनौजिया--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़, जिलान्तर्गत मुहम्मदाबाद गोहना, तहसील क्षेत्र में टौंस नदी एवं अन्य नदियों की गत बाढ़ से कौन-कौन से गांव प्रभावित हुए ? कितने मकान ध्वस्त हुए ? और किन-किन गांवों में किन-किन व्यक्तियों को कितने रुपये मकान का अनुदान सरकार द्वारा वितरित किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

253 गांव प्रभावित हुए। कुल 277 मकान पूर्ण ध्वस्त हुए तथा 1,677 मकान अर्धध्वस्त हुए। कुल 929 व्यक्तियों को 52,525 रु० अनुदान वितरित किया गया। प्रभावित गांवों एवं सहायता प्रदत्त गांवों और व्यक्तियों की सूची विधान सभा पुस्तकालय में अवलोकनार्थ रख दी गई है। अनुदान वितरण का काम अभी जारी है।

बलिया जिले में रबी 1371 फसली की भू-राजस्व की वसूली

*38--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में वर्ष 1371 की रबी की फसल का लगान की वसूली 12 जुलाई, सन् 1971 तक कितना प्रतिशत कर ली गई है ?

श्री उदित नारायण शर्मा--

बलिया जिले में रबी 1371 फसली की भू-राजस्व की कुल मांग 16,32,931 रु०, 71 पैसे थी जिसमें लगभग 12,32,000 रु० सवा छः एकड़ तक के खातों की माफ हुई और 3,30,404 रु०, 31 पैसे की वसूली असामयिक अतिवृष्टि, बाढ़ तथा जल प्लावन के कारण निलम्बित हुई और शेष धनराशि 69,768 रु० 70 पैसे 12 जुलाई, 1971 तक वसूल कर ली गई।

जिला बुलन्दशहर में खाद की तकावी की वसूली

*39—श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द गुप्त (जिला लखनऊ)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बुलन्दशहर में किसानों पर वर्ष 1971 तक खाद की तकावी का रुपया काफी मात्रा में बकाया है ? यदि हां, तो सरकार इस बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, जिला बुलन्दशहर में किसानों पर 1 नवम्बर, 1971 तक खाद की तकावी की रु0 95,30,972.85 पैसे की धनराशि बकाया है। इस बकाया की वसूली के लिये विशेष प्रयत्न किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और दो सौ अमीन वसूली कार्य के लिये लगाये गये हैं।

जौनपुर में बाढ़ की अवधि में चकबन्दी की अदालतों के खुले होने की शिकायत

*40—श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर में 1971 की बाढ़ के कारण जिले की सभी अदालतें 3 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 1971 तक बन्द रहीं लेकिन जिलाधिकारी के बार-बार आदेश के बावजूद भी चकबन्दी की कुछ अदालतें चल रही थीं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिलाधिकारी, जौनपुर के आदेशानुसार बाढ़ के कारण सभी चकबन्दी की अदालतें दिनांक 6 सितम्बर, 1971 से 3 अक्तूबर, 1971 तक बन्दी थीं। केवल उप संचालक चकबन्दी (प्रशासनिक) उन क्षेत्रों में जो बाढ़ से प्रभावित नहीं थे, यदा-कदा निरीक्षण या जांच के लिए गए और जहां पर पक्षों की उपस्थिति सरलता से प्राप्त हो सकी, चक की निगरानियों का निस्तारण भी साथ-साथ किया। उनका जौनपुर स्थित न्यायालय इस बीच बन्द रहा।

ग्राम छिवैया (जिला इलाहाबाद) में उपलब्ध भूमि का आवंटन

*41—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव छिवैया, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद में 600 बीघा जमीन अर्सा 20 वर्ष से गांव सभा के रजिस्टर में दर्ज है ? यदि हां, तो इस जमीन को भूमिहीन हरिजनों को अब तक वितरित न करने का क्या कारण है ? और सरकार कब तक उसे पट्टे पर देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम छिवैया में निहित कुल 621 बीघा भूमि में से 114 बीघा भूमि तालाब, आबादी तथा नियोजित उपयोग के लिए सुरक्षित भूमि को छोड़कर 507 बीघा भूमि पट्टे पर उठाने के लिये उपलब्ध है। उपरोक्त 507 बीघा भूमि के संबंध में गांव सभा तथा ग्राम वासियों के बीच दीवानी अदालत में मुकदमा चल रहा है। मुकदमें के निर्णय के पश्चात् ही भूमि का आबंटन किया जा सकेगा।

इलाहाबाद की तहसीलों में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

*42—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में तहसीलवार कुल कितनी भूमि अधिकतम जोत सीमा में 30 सितम्बर, सन् 1961 तक प्राप्त हुई है? और क्या वह जमीन भूमिहीन हरिजनों को पट्टे पर देने की सरकार की कोई स्कीम है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इलाहाबाद जिले में 30 सितम्बर, 1971 तक कुल 8,422.90 पैसे एकड़ भूमि जिसका तहसीलवार विवरण संलग्न है। अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त हुई है। इसमें से 1193.47 एकड़ वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है तथा 1,021 एकड़ भूमि भूमिहीन हरिजनों तथा 551 एकड़ भूमि अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को वितरित की जा चुकी है। शेष भूमि में से कृषि योग्य भूमि की अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनयम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत वितरित करने की कार्यवाही हो रही है।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृ० 130 पर।)

तहसील, सरधने में चकबन्दी से किसान को तथा कथित अनियमित चक

*43—श्री प्यारे लाल शर्मा (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि चकबन्दी होने के बाद भी तहसील, सरधने में एक कृषक के 8 या 9 चक बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी नहीं।

जिला नैनीताल के भावर सब-डिवीजन में आबंटित भूमि का वितरण

*44—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा की बैठक 20 अगस्त, 1971 ई० को नत्थी (ग) में प्रश्न संख्या 2 के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री बतावेंगे कि जिला नैनीताल के भावर सब-डिवीजन में जो 207.49 एकड़ भूमि इसी सब-डिवीजन के निवासियों को आबंटित की गई है यह किन-किन ग्रामों में किन व्यक्तियों को किस माह में की गई? और इसके आबंटित करने का आधार क्या बनाया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री जगदीश प्रसाद के निमित्त पोलिटिकल सफरर होने सम्बन्धित भ्रम

*45—श्री इन्द्र लाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक 16 जुलाई, 1971 ई० को नत्थी (घ) में प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के क्रम पर क्या राजस्व मंत्री कृपया बतावेंगे कि जब यह कहा जा चुका है कि श्री जगदीश प्रसाद पोलिटिकल सफरर नहीं हैं, तो दिनांक 29 अप्रैल, 1970 को नियम 29(4) के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में किस आधार पर सदन में यह सूचना दी गई थी कि श्री जगदीश प्रसाद पोलिटिकल सफरर हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

दिनांक 29 अप्रैल, 1970 को प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में तत्कालीन राजस्व मंत्री ने श्री जगदीश प्रसाद को जो कांग्रेस मण्डल, कालाडुंगी, नैनीताल के अध्यक्ष थे मालूम होता है कि इसी भ्रम में पालिटिकल वर्कर के स्थान पर पोलिटिकल सफरर कह दिया।

सेन्ट्रल स्टडी टीम द्वारा गत बाढ़ सम्बन्धित रिपोर्ट की मांग

*46—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर या अक्तूबर, 1971 म बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु केन्द्र से कोई सेन्ट्रल स्टडी टीम आई थी ? यदि हां, तो क्या यह टीम जनपद, गोरखपुर में अक्तूबर, 1971 के प्रथम सप्ताह में गई थी ? यदि हां, तो इस टीम ने गोरखपुर से संबंधित क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। केन्द्रीय सरकार से एक सेन्ट्रल स्टडी टीम आई थी जिसने गोरखपुर तथा अन्य जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का 1 अक्तूबर 71 से 3 अक्तूबर 71 तक दौरा किया था। इस टीम द्वारा किसी जिला विशेष के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई।

ग्राम, शाहजहांपुर खालसा (जिला फतेहपुर) की शासकीय भूमि सम्बन्धित शिकायत

*47—श्री इन्द्रजीत (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी तहसील के अन्तर्गत ग्राम शाहजहांपुर खालसा में शासन के स्वामित्व की बहुत सी वर्ग 6(2) किस्म की भूमि पर अनियमित ढंग से निहित स्वार्थ के कुछ व्यक्तियों ने अल्प समय से कागजात सरकारी में अपने नाम अंकित करा कर कब्जे में कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि का संपूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ?

*48—श्री इद्रजीत—

क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्तांकित किस्म की शासकीय भूमि को मुक्त कराने के लिए शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इस दिशा में क्या कोई कार्यवाही करने का इरादा शासन का है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री उदित नाराण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

समाज कल्याण विभाग में अराजपत्रित पदों व कर्मचारियों का स्थायीकरण

*49—श्री छांगूर राम (जिला आजमगढ़)—

क्या समाज कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि समाज कल्याण विभाग में अराजपत्रित पदों के कितने पद स्थायी घोषित हो चुके हैं और उनमें कितने पद पर कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जा चुका है जिन कर्मचारियों को स्थायी नहीं घोषित किया जा सका है उन्हें क्या इस वर्ष के अन्त तक स्थायी घोषित कर दिया जायगा ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इस विभाग में कुल 229 अराजपत्रित पद स्थायी घोषित हो चुके हैं, और उनमें से 120 पदों पर कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जा चुका है। शेष पदों पर कर्मचारियों को स्थायी करने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है जिसे पूरा होने में कुछ समय लगना स्वाभाविक है। अतः इस वर्ष के अन्त तक सभी स्थायी पदों पर स्थायीकरण संभव नहीं है।

आजमगढ़ जिले में भूमि व्यवस्था समिति का गठन

*50—श्री छांगुर राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी आदेशानुसार प्रान्त के सभी जिलों में जिला भूमि व्यवस्था समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो जिला आजमगढ़ में दिनांक 8 जनवरी, 1971 के बाद अब तक जिला भूमि व्यवस्था समिति की बैठक न बुलाने का क्या कारण है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां, आजमगढ़ जिले में भूमि व्यवस्था समिति का गठन 8 जनवरी, 1971 को हो चुका है। समिति की बैठक 16 अप्रैल, 1971 को हुई थी। असामयिक वर्षा तथा बाढ़ व अन्य प्रशासनिक कारणों एवं दिसम्बर, 1971 में आपात कालीन स्थति की घोषणा से अप्रैल के बाद समिति की अब तक कोई बैठक नहीं हो सकी।

सीमान्त जिलों में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी की नियुक्ति का प्रश्न

*51—श्री शेर सिंह दानू (जिला चमोली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीमान्त जिला चमौली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के पदों का सृजन का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इन जिलों में कब तक ये अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*52—श्री राम निहोर राय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

देहरादून जिले में 45 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाली संस्थाएं

*53—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून जिले में कौन-कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास 45 एकड़ से ज्यादा जमीन हैं? जिन संस्थाओं के पास ज्यादा जमीनें हैं वह कितनी-कितनी हैं? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

देहरादून जिले की उन संस्थाओं की जिनके पास 45 एकड़ से ज्यादा भूमि है। सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 131 पर।)

गाँव सभा, सिकन्दरपुर (जिला बस्ती) तालाब की नीलामी मछली सम्बन्धित बकाये की वसूली

*54—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या सरकार बताने कृपा करेगी कि ग्राम समाज सिकन्दरपुर, जिला बस्ती का तालाब मछली के लिये सन् 1967 से सन् 1971 तक कितने बार कितने-कितने रुपये में नीलाम हुआ ? प्रत्येक वर्ष में कितने रुपये वसूल हुए और कितना ठेकेदारों के जिम्मे बकाया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्ष 1966–67 से 1971–72 में गांव सभा, सिकन्दरपुर का तालाब मछली के लिये प्रत्येक वर्ष एक एक बार नीलाम हुआ। इन वर्षों में ठेकेदारों द्वारा देय नीलाम की धनराशि, वसूल की गई धनराशि और बकाया धनराशि निम्न प्रकार है :—

नीलाम का वर्ष		नाम ठेकेदार	नीलाम की धनराशि	वसूल की गई धनराशि	बकाया
1966–67	..	श्री सरजू	2,110.00	2,110.00	..
1967–68	..	श्री सुकई	3,000.00	1,80.00	1,200.00
1968–69	..	श्री सन्तोषी	1,870.00	935.00	935.00
1969–70	..	श्री भीखी	8,000.00	4,000.00	4,000.00
1970–71	..	श्री रामकिशोर	5,100.00	3,150.00	1,950.00
1971–72	..	श्री देवी प्रसाद	7,500.00	1,875.00	5,625.00

ग्राम गोधना (जिला मिर्जापुर) की चकबन्दी सम्बन्धित पैमाइश

*55—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोधना, तहसील व जिला मिर्जापुर की पैमाइश के लिए कितने लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? और उनके जमीन की पमाइश अभी तक न किये जाने का क्या कारण है ? यदि पैमाइश की जायेगी तो कब तक ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम गोधना, तसहील व जिला मिर्जापुर, जो चकबन्दी योजना के अन्तर्गत है, में अक्तूबर, 1971 के अन्त तक पैमाइश के लिए 59 प्रार्थना-पत्र दिये गये थे जिसमें से 50 प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। शेष 9 प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित चकों में भू-अभिलेख सम्बन्धी अशुद्धियां पाई गई थीं और उनका निराकरण धारा 48(3) के अन्तर्गत उप-संचालक चकबन्दी के आदेश 24 नवम्बर, 1971 द्वारा हो चुका है कागजात में उक्त आदेश का अनुपालन एवं जांच एक माह के अन्दर हो जाने की आशा है।

ग्राम मानकी (जिला हमीरपुर) के भूमिहीनों को भूदान समिति द्वारा वितरित भूमि पर जंगल विभाग का नाजायज कब्जा

*56—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मानकी, तहसील चरखारी, जिला हमीरपुर में भूदान समिति ने 64 भूमिहीन खेत मजदूरों तथा हरिजनों के नाम स्थायी सीरदारी

के पट्टे कर दिये हैं परन्तु जंगल विभाग के कर्मचारी उस जमीन पर अनधिकार कब्जा किये हुए हैं ? इसकी शिकायत उक्त काश्तकारों ने माननीय राजस्व मन्त्री को दिनांक 23 जुलाई, 1971 और 19 अगस्त, 1971 को प्रार्थना-पत्र देकर की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? और काश्तकारों को कब्जा दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की खराब गाड़ियों की नीलामी

*57—श्री सजीवन लाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य समाज कल्याण बोर्ड में कितनी जीप, मोटर तथा अन्य गाड़ियां हैं जो खराब पड़ी हैं तथा कब से और क्या उन खराब गाड़ियों को सरकार नीलाम करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के पास इस समय पांच जीप गाड़ियां खराब स्थिति में हैं । राज्य सरकार का इन गाड़ियों से कोई सम्बन्ध नहीं है । इन 5 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां पांच वर्ष से अधिक खराब पड़ी हैं, जिनको नीलाम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही उक्त बोर्ड द्वारा की जा रही है । शेष 3 गाड़ियां हाल ही में खराब हुई हैं तथा मरम्मत किये जाने योग्य हैं । अतः बोर्ड द्वारा इनके मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है ।

विकास क्षेत्र, सकीट तथा सिड़पुरा, जिला एटा में हरिजनों को दिये गये अनुदान

*58—श्री बदन सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र सकीट सिड़पुरा, जिला एटा के अन्तर्गत सन् 1969–70, सन् 1970–71 तक हरिजनों को पेय जल कूप आवास गृह, कृषि सम्बन्धी कितना अनुदान किन-किन पंचायतों में किन-किन व्यक्तियों को दिया गया ? और उनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए और कितने अपूर्ण हैं ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 132 पर)

*59–60—श्री अनन्तराम जायसवाल—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

रोजिन बनाने हेतु लीसा प्राप्त करने सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

*61—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रोजिन बनाने के लिये लीसा का कोटा प्राप्त करने के लिये वर्ष 1970–71 में उनके विभाग को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? और उनमें से कितने व्यक्तियों को और कितनी मात्रा में लीसा एलाट किया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

मुरादाबाद जिले में चार वर्ष से अधिक कार्य करने वाले तहसीलदार

*62—श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में कितने तहसीलदार ऐसे हैं जिनका एक तहसील में ही कार्य-काल चार वर्ष हो गया है तथा इसका क्या कारण है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला मुरादाबाद में ऐसा कोई तहसीलदार नहीं है जिसका एक तहसील में ही कार्यकाल चार वर्ष हो गया हो। अतः प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

तहसील, ठाकुरद्वारा (मुरादाबाद) की ग्राम सभाओं की भूमि पर अवैधानिक कब्जा

*63—श्री मही लाल—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि तहसील ठाकुर द्वारा, जिला मुरादाबाद की ग्राम सभाओं की लगभग बारह सौ एकड़ भूमि अवैधानिक तरीके से बड़े-बड़े किसानों को दे दी गई है और उनको सीरदार भी बना दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद, चमोली के कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*64—श्री शेर सिंह दानू—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, चमोली के कलेक्ट्रेट में विगत 10 वर्षों से कितने कर्मचारी सेवारत हैं और इन कर्मचारियों का स्थानान्तरण इतने वर्षों से क्यों नहीं किया गया ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला चमोली कलेक्ट्रेट में विगत 10 वर्षों से 27 कर्मचारी (तृतीय श्रेणी के) सेवा करते आ रहे हैं। इनका स्थानान्तरण एक स्थान एवं पद से समयानुसार सदर कार्यालय, परगना मजिस्ट्रेट के न्यायालय एवं तहसील में होता रहा है। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों की सेवायें जिला स्तरीय हैं इसलिये उनका जिले से बाहर स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

*65–66—श्री शिवदास तिवारी—

[3रे बुधवार में प्रश्न संख्या 37–38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री महादेव मल्लाह, निवासी ग्राम दुबरी देवारा (आजमगढ़) की विधवा पत्नी को अहेतुक सहायता

*67—श्री लालसा (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला आजमगढ़, तहसील घोसी के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र ग्राम दुबारी देवारा का निवासी, श्री महादेव मल्लाह, पुत्र, श्री जगसर मल्लाह जो

माह सितम्बर, 1971 में बाढ़ के समय ग्राम मोलनापुर महुआनी में गल्ला एवं तकावी लेने आ रहा था रास्ते में ही एक नाले में डूब कर मर गया ? यदि हां, तो क्या इस मृतक के विधवा पत्नी को कोई बाढ़ सहायता दी गई ? यदि दी गई, तो क्या सहायता दी गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कुछ लोगों का कहना है कि श्री महादेव मल्लाह नहाते समय नाले में डूब कर मर गया किन्तु उसकी पत्नी का कहना है कि वह तकावी लेने जा रहा था और मार्ग में नाले में डूब गया। मृतक की विधवा पत्नी को 50 रुपये नकद अहेतुक सहायता के रूप में, 60 किलो ग्राम गेहूं और एक ऊनी कम्बल दिया गया।

*68—श्री शंकर प्रसाद जायसवाल—

(निरस्त।)

1957—58 बैज के सुपरवाइजर कानूनगो का स्थायीकरण का प्रश्न

*69—श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई में वर्ष 1957—58 के बैज से अब तक ट्रेनिंग प्राप्त किये हुए कितने सुपरवाइजर कानूनगो कन्फर्म (स्थाई) किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और उपरोक्त सभी सुपरवाइजर कानूनगो को कब तक कन्फर्म (स्थाई) करने का सरकार विचार रखती है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्यारह। बहुत से स्थायी सुपरवाइजर कानूनगो उच्च पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं और जब तक वे अपने उच्च पदों पर स्थायी नहीं हो जाते तब तक शेष प्रशिक्षित कानूनगोओं का स्थायीकरण करना सम्भव नहीं है।

अछल्दा, विधूना एवं ऐरवा कटरा ब्लाकों (जिला इटावा) के सहकारी समितियों में चुनाव का अभाव व गड़बड़ियां

*70—श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिला इटावा के अछल्दा ब्लाक, विधूना ब्लाक ऐरवा कटरा में कितने सहकारी संघ व साधन सहकारी समितियां हैं जिनके चुनाव गत 5 वर्ष से नहीं हुए ?

*71—श्री गजेन्द्र सिंह—

उक्त तीनों ब्लाकों में कितनी सोसाइटियां हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ? उन पर क्या कार्यवाही हो रही हैं ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कोआपरेटिव सीड स्टोर मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर में तथा कथित गबन की शिकायत

*72—श्री उमानाथ सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव सीड स्टोर, मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर में हजारों रुपये का गबन है ? यदि हां, तो सीड स्टोर की स्पेशल आडिट कराने की कृपा करेंगे तथा कब तक ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

कोआपरेटिव सीड स्टोर, मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर में वित्तीय वर्ष 1969–70 तक किसी प्रकार के गबन की रिपोर्ट नहीं मिली है। अतएव स्पेशल आडिट कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सहायक निबन्धक, (सहकारिता) आजमगढ़ के कार्यालय से वेतन प्राप्त करने वाले निरीक्षकों पर टी० ए० सम्बन्धित व्यय

*73—श्री हबीबुर्रहमान—

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक (सहकारिता), आजमगढ़ के कार्यालय से वेतन प्राप्त करने वाले ग्रुप 1, ग्रुप 2 तथा ग्रुप 3 निरीक्षकों पर वित्तीय वर्ष 1970–71 में कितना धन टी० ए० में व्यय हुआ और किन-किन व्यक्तियों को कितना दिया गया?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*74—श्री कृष्णानन्द राय—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित।]

भोगांव तहसील (मैनपुरी) के गांवों का विगत बाढ़ में जिला धिकारियों द्वारा निरीक्षण व सहायता

*75—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद की भोगांव तहसील के कौन-कौन से ग्राम वर्ष 1971 ई० की विगत बाढ़ से प्रभावित थे? और क्या जिलाधिकारी, हाकिम परगना अथवा तहसीलदार महोदय ने स्वयं उपरोक्त तहसील के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का कभी कोई निरीक्षण किया? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रभावित ग्रामों की सूची संलग्न है। जिलाधिकारी, हाकिम परगना, तहसीलदार तथा अन्य राजस्व अधिकारियों ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया था तथा बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों में 100 रु० अहेतुक सहायता, 10,000 रु० गृह निर्माण सहायता और 42,000 रु० तकावी वितरित की गई। तकावी वितरण का कार्य अब भी जारी है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 134 पर)

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ द्वारा जापान से यानमार पावर टिलर का आयात

*76—श्री श्रीकृष्ण बाजपेई तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 77 यानमार जापानी पावर टिलर तीन चार वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ द्वारा जापान से आयात किये गये थे? क्या मंत्री को विदित है कि इनके पार्ट्स उपलब्ध नहीं हैं और इस कारण किसानों द्वारा खरीदे गये थे? सारे पावर टिलर बेकार पड़े हैं? क्या कृषि मंत्री इनके पार्ट्स जापान से मंगाने की कृपा करेंगे?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

उत्तर प्रदेश सहकारी संघ ने वर्ष 1966–67 में जापान की येन क्रेडिट योजना के अन्तर्गत 70 यानमार पावर टिलर का आयात किया था जिनकी बिक्री निम्न प्रकार से की जा चुकी है :—

(1) 47 टिलर प्रदेश में।

(2) 23 टिलर प्रदेश के बाहर।

प्रदेश अथवा प्रदेश के बाहर बेंचे गये टिलर्स के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के पास किसी पार्टस के उपलब्ध न होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को टिलर के खरीदारों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी खरीदार का कोई पावर टिलर बेकार पड़ा है। प्रश्न नहीं उठता।

*77—श्री त्रिवेणी सहाय—

[4थे गुरुवार में प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

सहकारिता विभाग के सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रम का सूचना विभाग से तथाकथित सम्बन्ध

1—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)—

क्या यह सत्य है कि सहकारिता विभाग शिक्षा एवं प्रचार उप विभाग का 8/10 भाग कार्यसूचना विभाग को सौंप दिया गया है? यदि हां, तो विभाग का कितना स्टाफ व व्यय कम हुआ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सहकारिता विभाग के सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रम का कोई भी भाग सूचना विभाग को नहीं सौंपा गया। केवल विभाग का प्रचार सम्बन्धी कार्य सूचना विभाग के माध्यम से सम्पन्न होता है। प्रचार कार्य से पूर्णतया सम्बद्ध कर्मचारी वर्ग जो निम्नलिखित है, कम कर दिया गया है तथा विभागीय बजट में अब इस कार्य हेतु कोई प्राविधान नहीं रखा गया है :

जन सम्पर्क अधिकारी	1
पब्लिसिटी असिस्टेंट	1
फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट	1
आर्टिस्ट	1
पब्लिसिटी सुपरवाइजर	2

सम्बन्धित व्यय में कमी की धनराशि की सूचना तभी दी जानी सम्भव होगी जब किसी वर्ष विशेष के सम्बन्ध में सूचना मांगी जाय।

राज्य में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों तथा सहकारी यूनियनों का प्रशासनिक सम्बन्ध

2—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश के सभी राज्यों में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का काय उनके अपने-अपने प्रान्तीय सहकारी यूनियनों के सुपुर्द किया जा चुका है तो

उत्तर प्रदेश म एसा क्यों नहीं किया गया ? तथा सन् 1964–65 में कितने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र थे और अब कितने हैं ? तथा इनके चलाने में सरकार क्यों लालायित है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव––

देश के सभी राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्रों का कार्य सम्बन्धित सहकारी यूनियनों को सुपुर्द नहीं किया गया है, तथा बिहार, हरियाना, पंजाब, मणिपुर, जम्मू काश्मीर और नागालैण्ड में स्थित उत्तर प्रदेश की ही भांति है। सन् 1964–65 में इस प्रदेश में छः सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र थे, और अब केवल दो हैं। सहकारिता आन्दोलन के प्रति सहकारिता विभाग के निर्धारित उत्तरदायित्वों को निभाने हेतु, वास्तविक तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में तथा सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को देखते हुये, इन सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों को सरकार द्वारा चलाया जाना आवश्यक समझा गया है।

तिलहर के गांवों में अहेतुक सहायता और आवास अनुदान का वितरण

3––श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री धर्मवीर तथा श्री राम विलास पाण्डेय––

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि 1 सितम्बर, 1971 से 30 अक्तूबर, 1971 तक तिलहर के कितने गांव में किन-किन तारीखों में अहेतुक सहायता तथा मकानों का अनुदान बांटा गया और क्या उनकी सूचना सदस्य, लोक सभा व सदस्य, विधान सभा को भी तहसीलदार द्वारा दी गई ? यदि हां, तो कब ?

श्री उदित नारायण शर्मा––

अपेक्षित सूचना संलग्न तालिका में दे दी गई है।

सहायता वितरण की सूचना लोक सभा व विधान सभा सदस्यों को दी ही जाय ऐसे कोई आदेश नहीं हैं पर इस तहसील में सहायता वितरण कार्य क्रम की सूचना अधिकांश मामलों में सदस्य लोक सभा व विधान सभा को दी गई उसका विवरण भी संलग्न तालिका में अंकित है। नवम्बर, 1971 में जिलाधिकारियों को यह आदेश दे दिये गये हैं कि सहायता बांटने के बाद उसकी सूची क्षेत्र विधायक को भी दे दी जाय जिससे सहायता बांटने में किसी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता की शिकायत न हो।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ 135 पर)

जिला गोंडा के बाढ़ पीड़ित गांवों को सरकारी सहायता

4––श्री गंगा प्रसाद––

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि परगना महादेवा, परगना नवाबगंज, तहसील तरबगंज, विकास क्षेत्र, नवाबगंज, वजीरगंज, तरबगंज जनपद, गोंडा में कितने गांव इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुए, राजकीय सहायता क्या-क्या दी गई है और कौन-कौन अधिकारी गांवों में गये और कितने धन की पशुओं के चारे के लिये तकावी दी गई और कितना धन मुहताजी के रूप में बांटी गया और कितना धन मकान बनाने हेतु बांटा गया किस अधिकारी द्वारा ?

श्री उदित नारायण शर्मा––

इस वर्ष 302 गांव बाढ़ से प्रभावित हुये। पीड़ितों को सरकार की ओर से सहायता के रूप में 3,206 लीटर मिट्टी का तेल, 4,454 किलो चना, 4,985 किलो नमक, 4,138 अदद माचिस, 3,400 किलो आटा तथा 12 किलो सत्तू और नगद अहेतुक सहायता बांटी गयी। नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, स० ओ० सी०, बी० डी० ओ०, जिलाधिकारी एवं आयुक्त, फैजाबाद मंडल विभिन्न पीड़ित गांवों में गये। चारा, तकावी के रूप में 34,680

रुपये तथा अहेतुक सहायता के रूप में 2,880 रुपये नकद तहसीलदार तरबगंज तथा डिप्टी कलेक्टर द्वारा वितरित किये गये। इसके अलावा 3,500 रुपये गृह निर्माण अनुदान बांटा गया और गृह निर्माण तकावी बांटने की योजना बनाई जा रही है।

कानूनगो क्षेत्र, पिपराइच और राजधानी (जिला गोरखपुर) के गांवों में सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

5—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या राजस्व मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के कानूनगो क्षेत्र, पिपराइच एवं राजधानी के किन-किन गांवों में सीलिंग की जमीन कितनी-कितनी मात्रा में निकली है? इसमें कितने गांवों की भूमि की व्यवस्था सीलिंग की हो गई है तथा कितने में अभी बाकी है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जनपद गोरखपुर की तहसील सदर के कानूनगो क्षेत्र, पिपराइच एवं राजधानी के जिन गांवों में सीलिंग में अतिरिक्त भूमि प्राप्त होकर आवंटित हुई है उनकी सूची संलग्न है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ 138 पर)

जौनपुर में 1971 की बाढ़ में बाढ़ पीड़ित केन्द्रों द्वारा सहायता

6—श्री जंग बहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जौनपुर में सितम्बर, 1971 के मास की बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ कितने केन्द्र खोले गये थे? और प्रत्येक केन्द्र द्वारा कितने लोगों को क्या-क्या सहायता पहुंचाई गयी?

श्री उदित नारायण शर्मा—

बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ 25 केन्द्र खोले गये थे और प्रत्येक केन्द्र से पीड़ितों को आवश्यकतानुसार गेहूं, चावल, दाल, नमक, चना, गुड़, मिट्टी का तेल, दियासलाई और आटा वितरित किया गया। केन्द्रवार पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ठ 'च' में दिया गया है। इसके अलावा नावों द्वारा सचल चिकित्सालय एवं जीवनोपयोगी सामग्री की बिक्री का भी प्रबन्ध किया गया। आवागमन के लिये आवश्यकतानुसार मोटरबोटें और नावें भी उपलब्ध कराई गईं।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ 139 पर)

जौनपुर जिले में बाढ़ और अति वर्षा से गिरे मकानों को आर्थिक सहायता

7—श्री जंगबहादुर यादव—

क्या सरकार 1971 की बरसात में बाढ़ से तथा अतिवृष्टि से गिरे जौनपुर जनपद के मकानों के निर्माण के लिये आर्थिक सहयोग देने जा रही है? यदि हां, तो किन-किन स्थितियों में कितना धन दिया जायगा?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जी हां। क्षति की मात्रा को देखते हुये गृह निर्माण अनुदान की मात्रा निर्धारित की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति क्षतिग्रस्त कच्छा मकान 200 रु० तथा प्रति क्षति

ग्रस्त पक्का मकान 300 रु० निर्धारित है। इसके अलावा शहरों में क्षति ग्रस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिये 2000 रु० तक और देहातों में गैर-खेतिहरों को 250 रु० तक ऋण भी दिया जा सकता है। खेतिहरों को इसी उद्देश्य के लिये 2,000 रु० तक तकावी ऋण देने की व्यवस्था कर दी गयी है।

जिला मेरठ की तहसील, सरधना में दोषपूर्ण चकबन्दी का निदान

8—श्री प्यारेलाल शर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरधना तहसील, जिला मेरठ में चकबन्दी अधिकारियों ने चकरोड व रास्ते नहीं छोड़े हैं? यदि हां, तो उक्त दोषपूर्ण चकबन्दी को दुरुस्त करने हेतु पुनः चकबन्दी कराने के आदेश देंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जिला मेरठ की तहसील, सरधना में चकबन्दी क्रियाओं का विस्तार उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के मूल प्राविधानों के अनुसार 15 मार्च, 1955 की विज्ञप्ति द्वारा 1 मई, 1955 को किया गया था जिसमें चक रोडों व रास्तों आदि के संबंध में कोई प्राविधान नहीं था।

अब चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के पश्चात् नयी धारा 52— जोड़ कर व्यवस्था कर दी गयी है। इस धारा के अन्तर्गत चक रोड व रास्तों के लिये भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। पुनः चकबन्दी कराने की आवश्यकता नहीं है।

रायबरेली जिले में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को अहेतुक सहायता तथा लगान की माफी

9—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में सन् 1969-70 तथा 1970-71 में कितना धन बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अहेतुक सहायता तकावी व मकानों के ऋण के रूप में वितरित किया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

रायबरेली जिले में वर्ष 1969-70 में बाढ़ नहीं आई थी। 1970-71 में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित व्यक्तियों में रुपये 10,25,609.40 अहेतुक सहायता, रुपये 30,76,800 गृह निर्माण अनुदान, रुपये 10,40,000 तकावी तथा रुपये 75,450 मकानों के ऋण के रूप में वितरित किया गया।

10—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 1969-70, 1970-71 में कितना लगान रायबरेली जिले में माफ किया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वर्ष 1969-70 में रबी 1376 फसली की 3,36,115.28 रुपया मालगुजारी तथा 13.36 रु० लगान की छूट एवं वर्ष 1970-71 में खरीफ 1378 फसली की 17,68,404.22 रु० मालगुजारी तथा 2,093.12 रु० लगान की छूट स्वीकृत की गई।

जिला बस्ती के गांवों, तप्पों तथा तहसीलों की बाढ़ से सहायता

11—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री रामकरन सिंह—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में किन-किन तहसीलों में किस-किस तप्पा और कितने गांव में बाढ़ आई थी? उनमें से किस-किस तहसील के किस-किस तप्पों में कितना-कितना रुपया किस-किस प्रकार की सहायता में बांटा गया? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

वांछित सूची बहुत लम्बी होने के कारण उसे विधान सभा पुस्तकालय में रख दिया गया है जिसका अवलोकन माननीय सदस्य नहीं कर सकते हैं।

ग्राम पिपरहिया, तप्पा छपिया (जिला बस्ती) में सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

12—श्री सुखपाल पांडेय, श्री राम करन सिंह तथा श्री कृष्णदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पिपरहिया तथा छपिया, तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती में कितनी आराजी सीलिंग में निकली और आज तक उसका प्रबन्ध किस प्रकार किया गया?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम पिपरहिया तप्पा छपिया तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती में कुल 19 बीघा 17 बिस्वा 8 धुर भूमि की सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई जिसमें से 18 बीघा 10 बि0 18 धुर भूमि परगनाधिकारी, डुमरियागंज के आदेश, दिनांक 23 अगस्त, 1966 के अनुसार ताल अंकित की गई और यह भूमि इस प्रकार गांव सभा में निहित कर दी गई। शेष 1 बीघा 6 बिस्वा 10 धुर भूमि को स्थायी रूप से उसी गांव के निवासी, श्री जयकरन के साथ, जो कि हरिजन भूमिहीन खेतिहर मजदूर थे, आवंटित कर दिया गया था।

13—श्री सूबेदार प्रसाद—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

तहसील तिलहर (जिला शाहजहांपुर) के कतिपय गांवों को बाढ़ और अतिवर्षा से अहेतुक सहायता

14—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ा बझेड़ा की ग्राम सभा, रसेक भनपुरा कुआं डाडा, अगरौली, नवादा, जल्लापुर, बनडियाखुर्द, बनडियाकलां, वरी प्रसिद्धपुर तथा मरुआझाला को बाढ़ और अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ उसकी क्षति पूर्ति में सरकार ने आज तक कितनी अहेतुक सहायता, तकावी अथवा मकनों के निर्माण हेतु अनुदान दिया और कब?

श्री उदित नारायण शर्मा—

कथित ग्रामों में से केवल 6 ग्रामों नवादा, जलालपुर, अमरोली बनडियाखुर्द, वनडिया कलां तथा वरी प्रसिद्धपुर में फसलों को बाढ़ तथा अतिवृष्टि के कारण क्षति पहुंची। इन ग्रामों के प्रभावित व्यक्तियों में 6 तथा 7 दिसम्बर, 1971 को 25,700 रुपये तकावी वितरित की गई। स्थानीय नालों से पानी आ जाने के कारण ग्राम, मरुआझाला की आबादी में पानी आ जाने के

कारण घरों में रखे अनाज को क्षति पहुंची। अतः उक्त ग्राम के पीड़ित व्यक्तियों में 12 सितम्बर, 1971 को 180 रुपये अहेतुक सहायता बांटी गई। प्रश्नगत गांवों म अन्य किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं पाई गई।

भारत सरकार द्वारा खेलकूद परिषदों को स्टेडियम निर्माणार्थ आर्थिक सहायता

15—श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा श्री सच्चिदानन्द—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971-72 में खेल का मैदान बनाने के लिये केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कितनी और सरकार इसका निर्माण कहां-कहां करने जा रही है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

भारत सरकार की नीति के अनुसार खेलकूद परिषदों को स्टेडियम निर्माणार्थ 50,000 रुपये अथवा स्टेडियम बनाने पर अनुमानित व्यय की आधी धनराशि, जो भी कम हो, अनुदान के रूप में इस शर्त के साथ दी जाती है कि खेलकूद परिषद् के पास भूमि उपलब्ध हो तथा शेष धन-राशि की व्यवस्था खेलकूद परिषद् ने कर ली हो। उत्तर प्रदेश खेलकूद परिषद् ने चालू वित्तीय वर्ष में अल्मोड़ा, बांदा तथा पौड़ी-गढ़वाल जिलों में स्टेडियम निर्माणार्थ अपने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे थे। भारत सरकार से अभी तक केवल अल्मोड़ा में स्टेडियम निर्माणार्थ वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आशा है कि अनुदान भी शीघ्र प्राप्त हो जायगा।

थिरपाक तल्ला, दशोली में औद्योगिक हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की मांग

16—श्री शेर सिंह दानू—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार स्थान थिरपाक तल्ला दशोली में एक आश्रम पद्धति के औद्योगिक हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का विचार कर रही है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं।

जिला गोंडा में बाढ़ और अतिवर्षा से फसलों को क्षति तथा सहायता

17—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले में वर्ष 1971 में अतिवृष्टि से रबी की तथा बाढ़ से खरीफ की फसलों को हुई क्षति का विवरण क्या है? और सहायता के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री उदित नारायण शर्मा—

अतिवृष्टि के कारण 3,88,047 एकड़ भूमि की गेहूं, चना, जौ तथा अरहर आदि रबी की फसलों को क्षति पहुंची जिससे 4,39,64,600 रुपये की अनुमानित हानि हुई। बाढ़ से 65,279 एकड़ धान भदई, 30,309 एकड़ धान जड़हन, 1,56,720 एकड़ मक्का, 10,901 एकड़ गन्ना तथा 30,958 एकड़ अन्य खरीफ फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची जिससे 7,05,99,300 रुपये की अनुमानित हानि हुई। बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों में 1,08,945 रुपये की अहेतुक सहायता, 5,40,000 रुपये की तकावी, चारा, 13,43,090 रुपये की तकावी बीज, 28,155 रुपये गृह निर्माण अनुदान, 11,425 रुपये गृह निर्माण तकावी तथा 1,66,635 रुपये आपदा कालीन तकावी वितरित की गई। इसके अतिरिक्त 14,833 कुन्तल बीज, तथा 6,23,275 रुपये की तकावी खाद कृषि विभाग द्वारा वितरित की गयी है।

18—श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

19—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री राम करन सिंह—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित]।

[illegible] ग्राम सभा, सुरेला, नवादा तथा रेहटी (जिला जौनपुर) में ग्राम समाज की [illegible] भूमि का उपलब्ध न होना

20—श्री उमानाथ सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम सभा सुरेला, नवादा, रेहटी तहसील, केराकत, जिला जौनपुर में ग्राम समाज की कितनी भूमि भूमिहीनों को सन् 1969 के बाद पट्टे पर दी गई ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

ग्राम सभा सुरेला, नेवादा, रेहटी तहसील, केराकत, जिला जौनपुर में ग्राम सभा की कोई भूमि भूमिहीनों को सन् 1969 के बाद पट्टे पर नहीं दी गई क्योंकि वहां चकबन्दी हो रही है।

विरोधी दल के नेता के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यहां पर विरोधी दल के सम्मानित नेता इस समय कौन हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

चौधरी गिरधारी लाल, विरोधी दल के नेता इस समय हैं।

भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री हुकुम सिंह, भगवानदीन वैद्य, चन्द्रदेव तिवारी, यशपाल सिंह, रमेश चन्द्र शर्मा व शुगन चन्द्र शर्मा तथा श्री विक्रम अम्बालाल साराभाई व श्री गुलाम मोहम्मद सादिक के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, हम लोग कई महीने के बाद मिले हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि इस बीच में हमारे कुछ साथी, जिनमें कुछ विधान सभा के सदस्य थे और एक दो व्यक्ति ऐसे थे देश में जिनकी आज राष्ट्र को आवश्यकता थी, उनका निधन हो गया। हम सब उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये और उनके परिवार के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिये अपनी हार्दिक सम्वेदना प्रकट करेंगे। मान्यवर, हमारी विधान सभा के स्वर्गीय ठाकुर हुकुमसिंह, भूतपूर्व सदस्य थे और इस समय वह विधान परिषद् के सदस्य थे। उनका स्वर्गवास हो गया। बहराइच के ही हमारे बड़े बुजुर्ग और हम लोगों के आदरपात्र, श्री भगवान दीन वैद्य जो पहले हमारी विधान सभा के सदस्य रहे हैं, उनका भी निधन हो गया। एक देवरिया के बहुत ही अच्छे और कर्मठ कार्यकर्ता, लगन से काम करनेवाले, जिनकी अवस्था भी थोड़ी ही थी, वह भी हमारी विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे, श्री चन्द्र देव तिवारी उनका सहसा ही निधन हो गया। इसी प्रकार सहारनपुर के श्री यशपाल सिंह जी, जो हमारी विधान सभा के सदस्य रहे हैं, उनका भी निधन हो गया। अभी हाल ही में जौनपुर के एक रमेशचन्द्र शर्मा, जो यहां विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं, का निधन हो गया·····

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

मुजफ्फरनगर के श्री शुगनचन्द्र शर्मा भी हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

हां, वे भी हैं। यह सब निधन इन कुछ ही महीनों में हुये। इस आदरणीय सदन के बहुत से माननीय सदस्य ऐसे होंगे जो इन सब को बहुत नजदीक से जानते होंगे और उनके साथ सदन में तथा बाहर काम भी किया होगा। इन सभी का सार्वजनिक जीवन में एक विशेष स्थान रहा है। ठाकुर हुकुम सिंह जी तो इस विधान सभा के बहुत दिनों तक सदस्य रहे हैं और मंत्री पद पर रहे हैं। देश की स्वाधीनता के युद्ध में भी आरम्भ से उनका बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने उसमें भाग लिया है। वे कई बार जेल भी गये सन् 41-42 के आन्दोलन में। नैनी जेल में तो वे मेरे साथ रहे हैं। 1921 से ही वे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे हैं। सन् 37 में वे विधान सभा के, जो उस समय में कौंसिल कहलाती थी, सदस्य चुने गये और तब से बराबर वे यहां के सदस्य रहे हैं। कुछ समय पूर्व तक वे मंत्री थे और कई वर्षों तक वे मंत्री रहे। शुरू में वे सभा सचिव थे, जब सन् 37 में चुने गये थे, जब कि अंग्रेजी सरकार थी। वे काफी दिनों से बीमार थे। उनकी अवस्था करीब 80 वर्ष की थी। डाक्टरों का कहना था कि वे कैन्सर से पीड़ित थे। बलरामपुर अस्पताल में उनका देहावसान हुआ। हम सभी को उनके ऐसे व्यक्ति के चले जाने से हार्दिक दुःख हुआ है। उनके निधन से सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत हानि पहुंची है। जिस प्रकार वे यहां विधान सभा में काम करते थे उससे हम सभी लोग परिचित हैं। वे बड़े ही पुर-मजाक और हाजिर जवाब थे और बड़े ही मिलनसार थे। पुरानी रवादारी, मित्रता बनाये रखना, पारस्परिक मतभेद होते हुये भी अपने संबंधों को मधुर रखना आदि बातें उनमें विशेष रूप से पायी जाती थीं। उनके निधन से हमें बहुत क्षति हुई है।

उसी बहराइच के एक अन्य पं० भगवानदीन वैद्य का भी निधन हुआ। वे बड़े अच्छे वैद्य थे और बड़े ही अच्छे कार्यकर्ता थे। मेरा उनका साथ सन् 30 में हुआ जबकि वे बहराइच जिला कांग्रेस के मंत्री बने थे। तभी से उनको बहुत निकट से मैं जानता हूं। आयुर्वेद के वे बड़े अच्छे ज्ञाता थे। स्वाधीनता संग्राम में वे कई बार जेल भी गये थे। प्रदेश में उनका बड़ा आदर था। अपने जिले में उनकी बड़ी ख्याति थी और वह हमारी विधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं। प्रायः उनकी अवस्था भी वही थी जो ठाकुर साहब की थी। इन दोनों में जीवन भर कार्यकर्ता होने के नाते, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने के नाते बड़ा सम्बन्ध रहा है। थोड़े ही समय के हेरफेर में इसी मास में दोनों का निधन हुआ। लगता है जैसे दोनों कार्य करने में साथ-साथ रहे वैसे ही दुनियां को छोड़कर जाने में भी दोनों साथ साथ रहे।

श्री चन्द्रदेव तिवारी, जिला देवरिया के थे। पडरौना के बड़े मेहनती कार्यकर्ता थे। बाढ़ के दिनों में वह काम कर रहे थे। मालूम हुआ एकाएक एक दिन रात को 11-12 बजे उनका अन्त हुआ। हमें उनकी सूचना मिली, वह बाढ़ के सिलसिले में गल्ला आदि बांट रहे थे और रात को लौट आये। उन्होंने कहा कि हमारी छाती में दर्द हो रहा है और जब तक डाक्टर आए इसी बीच उनका देहान्त हो गया। अवस्था उनकी अभी थोड़ी थी, नौजवान यद्यपि नहीं थे, तो वृद्ध भी नहीं थे। एक ऐसे लगनशील कार्यकर्ता के चले जाने से एक गहरी क्षति हुई है, उस जिले की भी और प्रदेश के सार्वजनिक जीवन की भी।

पंडित रमेशचन्द्र शर्मा, हमारे जिला जौनपुर के कार्यकर्ता थे, विधान सभा के कई बार सदस्य रह चुके थे बरसीन इलाके से। अभी मैं 24 तारीख को जौनपुर गया था [illegible] पुल के शिलान्यास के सिलसिले में। तो इस संबंध में जो समारोह हो रहा था, उसमें वह आये [illegible] बैठे हुये थे। वह मुझे बहुत बीमार लगे, मैंने उनसे कहा अभी आपकी हालत ठीक नहीं मालूम पड़ती

[श्री कमला पति त्रिपाठी—]

है। उनको हृदय की बीमारी थी, आप यहां कष्ट कर क्यों आये ? उन्होंने कहा तबियत तो ठीक नहीं थी, लेकिन यह समारोह था, बहुत दिनों से हमारी मांग थी, आप सब लोग यहां पर आये, इसलिये मैं यहां पर उठ कर चला आया। उनका वहां आना वास्तव में शायद उचित नहीं था, क्योंकि उनके आने के दो ही दिन बाद वह गम्भीर रूप से बीमार हुए, बनारस ले जाये गये और वहां के सर सुन्दरलाल अस्पताल में भर्ती किए गये और वही पर उनका देहान्त हुआ। उनका परिवार है, बच्चे हैं, घर-द्वार है और बड़े सच्चे और कर्मठ तपस्वी कार्यकर्ता जौनपुर जिले के माने जाते थे। बड़ा उनका आदर था सार्वजनिक क्षेत्र में। हम सब के लिये दुःख की बात है, एक ऐसा व्यक्ति, जिसने जीवन-पर्यन्त सेवा की, ऐसे समय में उनका देहावसान हुआ और हमसे सदा के लिये वह बिछुड़ गये।

यशपालसिंह जी हमारे सहारनपुर जिले के थे, हमारे विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य थे। बचपन से सार्वजनिक जीवन में उन्होंने काम किया, स्वतन्त्रता संग्राम के वह सैनिक थे। 1947 में यद्यपि वह कांग्रेस से अलग हुये देश के बंटवारे के सिद्धान्त पर, लेकिन बराबर वह सार्वजनिक क्षेत्र में बने रहे। अभी अभी उनका भी देहावसान हुआ है, उम्र उनकी ऐसी नहीं थी और काम कर रहे थे। कुछ दिनों से बीमार थे। उन्होंने भी दुनिया को छोड़ा। मान्यवर, ये हमारे बहुत ही निकट के लोग हैं, जिनके चले जाने से हम सब को गहरा दुख हुआ है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे लोग जो काम कर रहे हों, जिनको अनुभव हो।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

श्री शुगनचन्द शर्मा का भी देहान्त हो गया है। अपनी जबान से उनका भी नाम ले लें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शुगनचन्द शर्मा जी का देहान्त हो गया है, मुझे खेद है इसकी सूचना पहले से नहीं थी। शुगनचन्द जी को हम भलीभांति जानते हैं, और स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक रहे हैं और हमारे विधान सभा के सदस्य रहे हैं। जैसा मैंने निवेदन किया ये सारी मूर्त्तियां ऐसी हैं जिन्होंने देश के सार्वजनिक जीवन में अपनी शक्ति, बुद्धि और अपने विचारों के अनुसार कष्ट उठा कर देश की सेवा की है। ऐसे समय ऐसे अनुभवी और कर्मठ कार्यकर्ताओं के चले जाने से एक स्थान रिक्त हो जाता है जो जल्दी भरा नहीं जा सकता। कार्यकर्ता बनता है,काम करता है तो काफी दिनों के अपने परिश्रम और तपश्चर्या के बाद एक स्थान बना पाता है, उसके चले जाने से स्थान रिक्त हो जाता है, परिवार के प्रति सहानुभूति होती है, सार्वजनिक जीवन को जो क्षति पहुंचती है वह ऐसी होती है जिसकी पूर्ति बहुत आसानी से नहीं होती। ये सब हमारे प्रदेश के, हमारे परिवार के लोग थे, इनके प्रति हम समवेदना प्रकट करें, भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें शान्ति प्रदान करे, उनके परिवार के प्रति समवेदना और सहानुभूति और साथ ही साथ इस बात की कामना करें कि जो क्षति हुई है सार्वजनिक जीवन की, वह पूरी हो।

इसके सिवाय मान्यवर, इसी अवसर पर, आपकी आज्ञा से, यद्यपि वह हमारे विधान सभा से सम्बन्धित नहीं थे, दो व्यक्तियों का ऐसा निधन हुआ है जिससे सारे राष्ट्र को अपूर्णीय क्षति हुई है। विक्रम साराभाई के नाम से कौन परिचित नहीं है। वह देश के हमारे अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष थे। एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो हमारे देश के गौरव थे, जिनका अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान था। वे गुजरात के थे, गुजरात में ही उन्होंने शिक्षा पायी। वे बड़े प्रतिभावान व्यक्ति थे। बचपन से ही उनकी विज्ञान की शिक्षा–दीक्षा, उसके अध्ययन और पठन-पाठन की ओर अभिरुचि थी। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी में डाक्टर रमण के निदेशकत्व में विज्ञान का एक विशेष प्रकार से अनुशीलन और अनुसंधान किया और फिर धीरे-धीरे अपने जीवन को विज्ञान की सेवा में लगाते रहे। हमारे देश में डाक्टर भाभा के जाने के बाद जिनका ऐसे ही एकाएक निधन हो गया था, यह दुर्भाग्य है देश का, ऐसी विभूतियां यों ही कम आती हैं,

जो भी आयें वह चली जांय तो फिर एक ऐसी क्षति उससे हो जाती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। डाक्टर भाबा के जाने के बाद, संसार छोड़ने के बाद, यह समस्या देश के सामने हो गयी थी।

विक्रम सारा भाई ने उस काम को संभाला और न जाने कितनी वैज्ञानिक संस्थाओं के वे जो हमारे देश की हैं, अध्यक्ष संचालक तथा सदस्य थे। सारा देश उनकी ओर एक बड़ी आशा से देखता था। हमारे देश की स्पेस रिसर्च, अनुशीलन तथा अनुसंधान में उन्होंने विशेष रूप से गहराई के साथ तथा रुचिपूर्वक भाग लिया। शून्य के पर्यवेक्षण, उसके तत्वों को निकालने की दिशा में उन्होंने विशेष रूप से काम किया। मेरी कुछ समय पहले उनसे बातचीत हुई थी कि हमारे प्रदेश में एक अणुशक्ति का संस्थान बनने वाला है। उसके विषय में कमीशन आया था, जांच पड़ताल हुई थी और उसके लिये स्थान देखा जा रहा था। बुन्देलखंड तथा नरौरा में जिसके लिये हम वर्षों से चेष्टा करते रहे हैं कि हमारे यहां एक आटोमेटिक पावर का प्लांट लगाया जाय। बिजली की अत्यधिक आवश्यकता इस प्रदेश को है। वह उससे हमको मिले। वह बड़ी सहानुभूति पूर्वक उस पर काम कर रहे हैं। उनका बड़ा उत्तर प्रदेश के प्रति सद्भाव था।

अभी हाल में अपने वैज्ञानिकों के कमीशन की बैठक में अखबारों में यह निकला था कि उत्तर प्रदेश के लिये उसने निश्चय किया है कि एक प्लांट इस तरह का बने। उसके लिये वैज्ञानिकों के माध्यम से स्थान का निर्धारण हो रहा है और वहां इसकी व्यवस्था की जायगी। जिस रोज उनके निधन की खबर आई है उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली में उनसे टेलीफोन मिलाता रहा ताकि विक्रम शाह जी से बातचीत कर सकूं और यह कह सकूं कि अगर फैसला हो गया हो तो शीघ्र ही आटोमेटिक प्लांट के लिये आदेश भेज दें क्योंकि भारत सरकार यह कह रही थी कि बस उनके स्थान के चयन के बारे में रिपोर्ट आ जाय तो फिर शीघ्र ही प्रमाणिक फैसला कर दिया जायगा। उनसे बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि वे कहीं गये हुये थे। सहसा उनके हृदय की गति रुक गई।

कहते हैं वह रात को सोये और प्रातःकाल दरवाजा नहीं खुला। जब किसी प्रकार खोला गया तो वह इस संसार में नहीं थे, उनका शव पड़ा हुआ था। आजकल इस प्रकार का व्यक्ति जो एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में लगा हो, उस श्रेणी का दूसरा व्यक्ति न मिल सकता हो, थोड़ी ही जिसकी अवस्था हो, उसके निधन से देश की बड़ी क्षति हुई और सारा देश उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा और हम सब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रकट करेंगे क्योंकि हम सबकी क्षति हुई है, राष्ट्र की क्षति हुई है।

हमारे काश्मीर के सादिक साहब का ऐसे समय देहावसान हुआ जिस समय काश्मीर पर आक्रमण हो रहा था। बीमारी की हालत में वह चंडीगढ़ लाये गये और वहां उनकी मृत्यु हुई। उनसे हम सब परिचित हैं। बहुत दिनों से वह वहां के मुख्य मंत्री तथा एक मात्र नेता थे। अपनी सच्चाई, अपनी राष्ट्रवादिता, अपने देश प्रेम के लिये, काश्मीर की जनता की सेवा और उसकी एकता को बनाये रखने के लिये जिस प्रकार सफलतापूर्वक प्रयास उन्होंने किया और दूरदर्शिता के साथ अपने पथ पर वह डटे रहे जिसके फलस्वरूप हमारे देश की एकता, राष्ट्रीयता और धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्तों को इतना बल मिला। वे स्वयं उसके प्रतीक हो गये थे, उनका देहावसान हो गया।

काश्मीर में जब पहले आक्रमण हुआ था तो उन्होंने अपने राष्ट्रीय सेना के शेख साहब का साथ दिया था। शेख अब्दुल्ला उनके अच्छे मित्रों में से थे। जब शेख साहब ने अपना एक दूसरा ही रास्ता बदला तो सादिक साहब उन से अलग हो गये और उन्होंने उनके विचारों के स्तर पर और कार्य के स्तर पर भी गहरा विरोध किया और फलस्वरूप वे निखरकर ऊपर आये जिससे कि जनता में उनका सम्मान हुआ। सन् 65–66 में जब काश्मीर के ऊपर आक्रमण

[श्री कमला पति त्रिपाठी--]

हुआ था तो सादिक साहब ने वहां का पूरा भार सम्हाला और हम सब जानते हैं कि उन्होंने बड़ी वीरता और दृढ़ता से उस समय काश्मीर की जनता के साथ नेतृत्व किया और साम्प्रदायिक भावों को उत्तेजित करने वाले तत्वों के बावजूद भी वे काश्मीर में दृढ़ता से डटे रहे। वहां का प्रतिनिधित्व सादिक साहब कर रहे थे। इसके बाद भी वहां पर एक अन्य संकट आया और यह विश्वास था कि सादिक साहब वहां पर हैं, काश्मीर सुरक्षित है, वहां पर धर्मनिरपेक्षता सुरक्षित रहगी और काश्मीर की जनता वहां की राष्ट्रवादिता एवं राष्ट्रीय प्रेम का परिचय देगी जिसे कि काश्मीर की जनता ने दिया भी। वे एक ऐसे संकट के समय हमारे बीच से उठ गये। जैसा कि मैंने कहा है कि यद्यपि उनका हमारी विधान सभा से कोई सम्बन्ध नहीं था किन्तु देश के इतिहास से सम्बन्ध था इसलिये उनके निधन की हम उपेक्षा नहीं कर सकते थे। इससे हमारे देश को गहरी ठेस लगी है।

मान्यवर, इन सबके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुये भगवान से उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करने हेतु आपके माध्यम से विनम्रपूर्वक यह निवेदन करूंगा कि हमारी भावनायें आप उनके परिवारों तक पहुंचा दें और देश को जो क्षति पहुंची है और जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति राष्ट्रीय प्रतिभा कर सकेगी और करे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। श्रीमन्, इन शब्दों के साथ मैं इन सब लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी इन भावनाओं को उनके परिवारों तक पहुंचा दें।

श्री गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)--

अध्यक्ष महोदय, अभी जो दुखद समाचारों के प्रस्ताव हम लोगों के सामने आये हैं उनमें हमारे एक राष्ट्रीय नेता, गुलाम मोहम्मद सादिक और डा० साराभाई जो एक बड़े साइन्टिस्ट थे, रिसर्च करते थे और अटोमिक इनर्जी के अध्यक्ष, जिनकी देश में कमी थी, थे, का निधन हो गया। इसके अलावा ठाकुर हुकुम सिंह, भगवान दीन मिश्र, चन्द्र देव तिवारी, शुगन चन्द्र शर्मा, यशपाल सिंह व रमेशचन्द्र शर्मा जो कि हमारी विधान सभा और विधान परिषद् में सदस्य थे इन लोगों ने नाना प्रकार से इस सूबे के अन्दर काम किया। आजादी से पहले देश के संग्राम के अन्दर वह हमेशा आगे रहे और बड़ी से बड़ी कुर्बानियां उन्होंने की हैं और पूरा योगदान किया है।

जहां तक ठाकुर साहब की बात है, बड़े हाजिर-जवाब थे। उनके व्यंग्य, उनके कटाक्ष जो होते थे उनको हमारा सदन भूलेगा नहीं, उनसे वह एक जीवन पैदा कर देते थे, एक हंसी का विस्फोट पूरे सदन के अन्दर हो जाता था। ये सब बातें उनकी याद रहेंगी। बड़े तजुर्बेकार थे, बड़े प्रैक्टिकल आदमी थे। यही बात भगवानदीन मिश्र की थी। वह बड़े असाधारण और ईमानदार व्यक्ति थे, बड़ी सादगी से, गरीबी से, जनसेवा के अन्दर लगे रहते थे और हमेशा खामोशी से अपना सब काम करते थे। कोई गलत बात, जो मौजूदा पालिटिक्स की टेक्निक है वह कभी भी उनको बरदाश्त नहीं होती थी और उसके विरुद्ध उनके अन्दर से ईमानदारी की भावना तर्क जाग्रित कर देती थी। ये सब बातें उनकी हमेशा याद रहेंगी।

रमेश चन्द्र शर्मा एक बहुत खामोश किस्म के गम्भीर कार्यकर्ता थे। हमारे सदन के भी सदस्य रहे और पार्लियामेंट के भी वह सदस्य रहे। शुगनचन्द्र शर्मा हमारे मुजफ्फरनगर के थे, एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे और हमारे इस सदन के और विधान परिषद् के सदस्य भी रहे हैं। यही बात यशपाल सिंह की है। वह पिछड़े वर्ग से आते थे और कर्मठ युवक थे और वह बहुत खूबसूरती और हंसमुख ढंग से अपनी बातों को रखते थे। बहुत चतुर थे और एक ऐसे वर्ग से थे जो पिछड़ा वर्ग कहलाता है। सो मैं अपने आप को नेता सदन ने जो यहां पर एक शोक प्रस्ताव रखा है उससे संबद्ध करता हूं और उनके परिवार के प्रति अपनी

संवेदना प्रकट करता हूं और साथ ही साथ आप से दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचा दें।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने इस सिलसिले में कहा है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं और अपने आप को सम्बद्ध करता हूं उसके साथ। छः हमारे विधायक और दो ऐसे सज्जन जो हमारे विधान मंडल के भीतर कभी नहीं रहे—विक्रम साराभाई और श्री सादिक—उन दोनों के निधन के सिलसिले में जो इजहार हमारे मित्रों ने किया है मैं उससे अपने आप को असोशिएट करता हूं। धीरे धीरे जो देश के काम करने वाले थे, जिन्होंने अंग्रेजों के जमाने में आजादी के लिए आवाज उठायी और काम किये उनकी पंक्तियां थिन होती जा रही हैं, यानी कमजोर होती जा रही हैं और इस पटल से एक-एक गायब होते जा रहे हैं। तो जैसा माननीय त्रिपाठी जी ने कहा, जो भी व्यक्ति यहां से जाता है उसके सर्वाइवर्स, उसके जो कुटुम्ब परिवार के लोग हैं उनको तो क्षति होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्षति सार्वजनिक जीवन की पब्लिक लाइफ, की होती है।

मैं अधिक समय न लेकर, फिर दोहराना चाहता हूं कि जो कुछ त्रिपाठी जी ने कहा कि परमात्मा उनकी आत्मा को शान्ति दे और उनकी जो क्षति हुई है निधन से उसकी पूर्ति हमारे देश में हो और जो उनके परिवार के लोग हैं उनके साथ हमारी संवेदना है, इससे मैंने कहा कि मैं पूरी तरह से अपने आप को सम्मिलित करता हूं।

एक बात जरा सी कहूंगा। वह यह कि ये छः मित्र जो यहां सदन में रहे हैं, काम किया, उनके साथ मुझे भी और त्रिपाठी जी बहुत से लोगों को काम करने का सौभाग्य मिला है। जहां तक माननीय हुकुम सिंह जी का संबंध है, उनके साथ मुझे पार्लियामेंटरी सेक्रटरी की हैसियत से काम करने का अवसर मिला था। वह सबसे पुराने विधायक थे और 22 साल से अब तक रहे। 1962 तक विधान सभा के सदस्य और अब विधान परिषद् के सदस्य थे और उनको कभी पराजय का मुख नहीं देखना पड़ा। उनका इस सम्बन्ध में असाधारण रिकार्ड रहा है। उनका सदैव हंसमुख रहना, जटिल से जटिल बात को हंस कर उड़ा देना, ऐसी बात थी जो सब को प्रिय मालूम होती थी और बहुत दिनों तक उनकी गैरहजिरी अखरती रहेगी।

एक बहुत नाजुक बात है। लेकिन कहने का अवसर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कंवेंशन रहा है कि जो पार्लियामेंट का मेम्बर है उसी के लिये यह प्रस्ताव आते हैं। विक्रम साराभाई के निधन से और सादिक साहब के निधन से देश की राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी हानि हुई है। इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर एक ऐसी परिपाटी रखी गई तो ऐसे प्रस्तावों की कोई सीमा नहीं रहेगी। अगर सारे चीफ मिनिस्टर्स की बात रखें, साइंटिस्टस की रखें, जर्नलिस्ट्स की रखें, एडमिनिस्ट्रेटर्स की और लाइयर्स की रखें सभी लोगों को मौका मिलत है देश की सेवा करने का और उनमें से बहुत से ऊंचे दर्जे के हैं तो किस का रिफ्रेंस हो और किस का न हो, इसमें दो रायें हो सकती हैं। इसलिये यह एक अच्छी परिपाटी है कि सिवाय उस व्यक्ति के निधन के स्वीकार करने कि जो उनके पार्लियामेंट का मेम्बर रहा हो और किसीका नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह एक बहुत नाजुक बात है लेकिन मैं समझता हूं कि यह इस बात के इशारा करने का मौका है। मैं समझता हूं कि त्रिपाठी जी इस संबंध में बात कर लें और आग के लिये ऐसी चीज होनी चाहिये जो सर्वमान्य हो। गांधी जी की बात एक अपवाद हो सकती है। इस तरह से इसमें बहुत से अपवाद होते रहेंगे। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने हुकुमसिंह जी, चन्द्रदेव जी, भगवानदीन जी, रमेशचन्द्र जी, शुगन चन्द्र जी तथा यशपाल जी के बारे में जो भावनायें व्यक्त की हैं उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। इन स्वर्गीय आत्माओं के जीवन के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके विधायकी जीवन से वे अधिक सम्पर्क में थे और हम लोगों की अधिक जानकारी न होने के कारण हम लोग अधिक नहीं कह सकते हैं। ऐसे अवसर पर सार्वजनिक कार्यकर्ता का निधन बहुत खलता है। हम में से एक एक करके उठते जा रहे हैं।

एक व्यक्ति स्वर्गीय हुकुम सिंह जी हम लोगों के साथ रह चुके हैं। यहां मंत्री की हैसियत में मैंने उनको एक बार देखा। उनके बारे में मेरी बड़ी श्रद्धा थी, वह बड़ी आत्मीयता से बात करते थे और बड़ी आत्मीयता के साथ दूसरे की बात सुनते थे और वे बड़े हाजिर जवाब थे। एक मर्तबा जब मैं नेता सदन विरोधी दल था, मुझे स्मरण है कि मेरी उनसे कुछ झड़प हो गई थी। जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि वे जटिल से जटिल बात को हंसी में उड़ा देते थे। मैंने काशी के बारे में एक प्रश्न पूछा था। वह जवाब देते हैं कि काशी के प्रश्न न्यारे हैं वे केवल यही कह कर बैठ गये। इतने गम्भीर प्रश्न को उन्होंने नान-सीरियस बना दिया। मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि सरकार में ऐसे भी मंत्री हैं जो इतने गम्भीर प्रश्न को और गंभीर बना देते हैं। मेरे कहने का लहजा जरा कड़ा था। शाम को जब वे मुझे मिले तो प्रेम से मेरे कंधे पर हाथ रख कर उन्होंने कहा कि उस समय उसका कोई जवाब ही नहीं तो मैं क्या कहता। इस प्रकार की मजाक की बातें वे नित्य प्रति करते रहते थे। जब वे खड़े होते थे तो मैं सोचता था कि कोई न कोई वे हंसी की बात कहेंगे ही। श्री मैनेजर सिंह जी से कभी कभी दो हाथ हो जाया करते थे। जब वे बोलते थे तो मानों थकान मिट जाती थी। ऐसे भी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके बारे में जो विचार, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय चौधरी साहब ने, व्यक्त किये हैं, मैं उनका पूर्णतया समर्थन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं तथा उनके परिवार वालों को शान्ति प्रदान करे। हम लोगों की संवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

एक बात और अन्य दो व्यक्तियों के बारे में जो विचार माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रकट किये मैं उनसे अपने आपको तथा अपने दल को संबद्ध करता हूं। यह सच है कि इन दोनों व्यक्तियों के जाने से राष्ट्र की गहरी क्षति हुई है। एक बात जरूर है कि हमारे देश के अन्दर जो भी व्यक्ति चले जाते हैं, उनके स्थान पर, हमारे देश में ऐसी प्रक्रिया प्रतिभा विद्यमान उसकी पूर्ति करने के लिये लोग आ जाते हैं। यही सहारा है वरना तो साराभाई की जो क्षति आज के अणुयुग में हुई है, वह बड़ी भारी क्षति है।

सादिक जी भी काश्मीर के योग्य मुख्य मंत्री रह चुके हैं और उनके बारे में भी जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनसे मैं सहमत हूं। इन शब्दों के साथ मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी शान्ति के लिये भगवान से प्रार्थना करता हुआ मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, देश के राजनेता और विश्वविख्यात वैज्ञानिक, जिनका नाम अभी माननीय सदस्यों ने लिया, उनके निधन से मैं व मेरा दल बहुत दुखी है। उनके बारे में जो विचार अलग अलग माननीय सदस्यों ने रखे हैं, उन सब से मैं अपने को संबद्ध करता हूं।

उनमें से दो व्यक्ति, माननीय हुकुम सिंह जी और वैद्य जी के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। एक से जब वे बहराइच अस्पताल में बीमार थे, उस वक्त और दूसरे के यहां

केवल दर्शन ही नहीं हुए, उनको इस सदन में काम करते हुए भी देखा। ठाकुर हुकुम सिंह जी एक जिन्दादिल और विनोद प्रिय व्यक्ति थे और सदन में वे अनगिनत ठहाके लगवाया करते थे। एक बार कुछ दिन हुए तब उन्होंने मुझसे कहा कि उस सदन में इतना तनाव क्यों पैदा हो जाता है, लेकिन जब हम थे तब कभी किसी तरह का तनाव नहीं होता था। सचमुच जब आप इस सदन में थे और कभी भी कोई तनाव या तलखी की बात आती थी तो तुरन्त ही उनके हस्तक्षेप पर ठहाके लग जाते थे तथा तलखी और तनाव दूर हो जाता था। वह ऐसे आदमी थे। यह सदन उनको हमेशा याद रखेगा। इस अवसर पर मैं सरकार से चाहूंगा कि उनके जो विनोद इस सदन में हुए हैं, उनको संकलित कराया जाय और किसी पुस्तक के रूप में उनको जनता के सामने लाया जाय। यह उनकी एक बहुत अच्छी यादगार होगी।

वैद्य जी और माननीय ठाकुर साहब शुरू से ही अपनी जिन्दगी के घनिष्ट मित्र रहे, साथी रहे, सहयोगी रहे। और यह भी सहयोग है कि एक के जाने के बाद दूसरा भी जल्दी चला गया। अभी पिछले नवम्बर में, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था, जब मैं बहराइच गया था तो वैद्य जी के दर्शन वहां पर अस्पताल में हुये थे और ठाकुर साहब वहां से एक गाड़ी में जिस वक्त हम दाखिल हो रहे थे लौट रहे थे। पता चला कि वैद्य जी को ही देखने आये थे। उसके कुछ ही दिन बाद पता चला कि यहां उनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरह की उनकी दोस्ती जिन्दगी में भी निभी और करीब-करीब साथ ही साथ अन्त भी हो गया।

विक्रम साराभाई के निधन से भी हम लोग बहुत दुखी हैं। उनके निधन से राष्ट्र की अपूर्व क्षति हुई है। हमारे दो बड़े वैज्ञानिक—भाभा जी और साराभाई—इन दोनों की मृत्यु कुछ रहस्यमय सी परिस्थितियों में हुई। एक की तो यूरोप में आल्प्स के पहाड़ पर जहाज के क्रश हो जाने से, वहां कहीं बरफ में वह गिरे होंगे और दूसरे के बारे में आपने भी पढ़ा होगा कि जब सबरे देखा गया तो वह मरे पाये गये। इत्तफाक से ऐसा संयोग भी बना है कि जो यह भारत-पाक की लड़ाई हुई उसके प्रायः तुरन्त बाद यह मौतें हुईं। अच्छा होता कि इस सम्बन्ध में कुछ जांच-पड़ताल भी हो जाती क्योंकि ऐसे व्यक्ति, जैसा कि नेता सदन ने कहा, सदियों में हुआ करते हैं। साधारण राजनीतिज्ञ या दूसरे लोगों की जगह पूरी हो सकती है लेकिन जब इस तरह के बड़े वैज्ञानिक चले जाते हैं तो फिर उनकी क्षति बहुत बहुत मुश्किल से पूरी होती है। तो अच्छा हो कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस मामले में पहल करें, भारत सरकार को सुझायें कि अगर जांच वगैरह हो जाय तो अच्छा हो।

इन शब्दों के साथ में मृत आत्माओं की शान्ति के लिये कामना व्यक्त करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी और अपने दल की हार्दिक समवेदना व्यक्त करता हूं और आप से भी निवेदन करता हूं कि मेरे दल और मेरी तरफ से यह भावनायें उनके परिवार तक पहुंचा दें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने इस सदन के दिवंगत सदस्यों के बारे में और अन्य नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं अपने और अपने दल को उनसे सम्बद्ध करता हूं। जहां तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, उन तमाम माननीय सदस्यों से कभी भेंट होने का अवसर नहीं मिला लेकिन यह जाहिर है कि वे तमाम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे और आज जब इस प्रदेश के निर्माण के लिये इनके मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तो वे हमारे बीच में नहीं हैं।

जहां तक साराभाई का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमारे राष्ट्र के लिये एक बहुत बड़ा आघात है। आज जब हम उम्मीद करते थे कि न्युक्लियर और स्पेस साइंस

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

जगत में भारत अपना स्थान बनाने जा रहा है ऐसे समय पर हमारे महान् वैज्ञानिक का निधन राष्ट्र के लिये बड़ा आघात है।

सादिक साहब को कौन नहीं जानता कि किन कठिन परिस्थितियों में सादिक साहब ने काश्मीर की जनता का ही नहीं बल्कि सारे भारत की जनता का नेतृत्व किया और ऐसे समय में जबकि काश्मीर के सामने इतना बड़ा संकट था और माननीय सादिक साहब की काश्मीर को ही नहीं बल्कि पूरे हिन्दुस्तान की जनता को उनके नेतृत्व की आवश्यकता थी वह हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन हमको गर्व है कि सादिक साहब ने जो सिद्धांत काश्मीर के बारे में हमारे सामने और काश्मीर की जनता के सामने रखा है उसी सिद्धांत पर भारत की और काश्मीर की जनता चल रही है और अमल कर रही है। इन शब्दों के साथ मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी और मेरे दल की भावनाओं को इन संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने निदलीय साथियों को सम्बद्ध करना चाहता हूं। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप हमारी संवेदना उन के दिवंगत परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन व दूसरे मेम्बरान ने जो इजहार ख्याल साबिक मेम्बरान व दीगर अफराद के बारे में कन्डोलेंस के तौर पर किया है उससे मैं अपने को वाबस्ता करता हूं और मेरी दुआ है कि खुदा उन की रूह को सकून बख्शे। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी और मेरी पार्टी की तरफ से उन के कुनबे के लोगों को इत्तिला भेज दें कि हम भी उनके इस गम में बराबर के शरीक हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के नेताओं ने जो विचार दिवंगत आत्माओं के प्रति अभी सदन में व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और सदन को सम्बद्ध करता हूं। इस सदन के जो सदस्य रह चुके हैं जैसे माननीय श्री हुकुम सिंह, श्री भगवान दीन मिश्र, श्री चन्द्रदेव तिवारी, श्री यशपाल सिंह, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, श्री सुगन चन्द्र शर्मा आदि को आप अच्छी तरह से जानते थे और उनके गुणों उनके सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों से सम्पूर्ण सदन चिरपरिचित था। उनके देहावसान से सार्वजनिक क्षेत्र में जो रिक्तता आई है वह अपूर्णीय है। उन साथियों के चले जाने के बाद उन के गुणों और उनके कार्यों का अवलम्ब लेकर हम जीवन में अपने मार्ग का प्रशस्तीकरण कर सकते हैं। हमारे जो यह साथी अब हमारे बीच में नहीं रहे उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति जो संवेदना और जो विचार माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को आप सब की इच्छा के अनुसार यह संवेदना मैं भेज दूंगा।

इसके साथ ही हमारे देश के जीवन में जो रिक्तता आई है वह सादिक साहब के उठ जाने से भी आई है। वह हमारे राष्ट्रीय विचार धारा के उन लोगों में से थे जिन्होंने काश्मीर म एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में, तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां का कार्यसंचालन किया। राजनैतिक जीवन में उनके न रहने से जो रिक्तता आई है उसका पूरा होना कठिन है। उनके अलावा हमारे देश के जीवन में श्री विक्रम साराभाई के असामयिक निधन से एक ऐसी क्षति हुई है और यह ऐसा धक्का लगा है कि जब हम ने ऐसा सुना तो जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने कहा मेरा भी वैसा ही ख्याल हुआ कि पाकिस्तान के

युद्ध के बाद ऐसे ख्यातिनामा, ऐसे विश्वप्रसिद्ध व्यक्तित्व का हमारे बीच से उठ जाना हमारे राष्ट्रीय जीवन के लिये एक बहुत बड़ी रिक्तता पैदा करता है । रिक्तता पैदा होती है और जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है । ऐसी राष्ट्रीय आत्मायें और राष्ट्रीय चेतना बड़ी चीजें हैं । हम रिक्तता सह लेते हैं लेकिन हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में, अनुसंधान क्षेत्र में और आणविक क्षेत्र में जो हमारी प्रगति थी, उसको धक्का लगना स्वाभाविक है ।

उन व्यक्तियों को जो हमारे बीच में नहीं हैं । मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जैसा कि माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने चाहा है उनकी भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों तक भेज दूंगा । अब हम 2 मिनट खड़े होकर अपनी-अपनी श्रद्धांजलि दें ।

(सब सदस्य अपने-अपने स्थान पर 2 मिनट के लिये खड़े हुए ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समितियां (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1971

कृषि मंत्री (डाक्टर सीता राम)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समितियां (अल्पकालिक व्यवस्था) अध्यादेश, 1971 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रमण विनियमन) (पुन. अधिनियमन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1971

राजस्व उपमंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश भौमिक अधिकार (संक्रमण विनियमन) (पुनः अधिनियमन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1971 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1971

कृषि मंत्री (डाक्टर सीता राम)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1971 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971

सहकारिता मंत्री (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1971 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह भंडारी)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कर विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971†

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, 1971 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1971†

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1971 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1971

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1971 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

पंचायत संस्थाओं के सम्प्रेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन, 1969-70

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत संस्थाओं के सम्प्रेक्षण का वार्षिक प्रतिवेदन 1969-70 को लोक-लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे, 1962-63 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 1964 से संबंधित प्रतिवेदन की प्रस्तावना के पैरा 5 में की गयी सिफारिश के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, 1957 में प्रख्यापित संशोधन†

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम (क) विभाग की विज्ञप्ति संख्या 7818-एस-टी/36-ए/112-एस-टी-57, दिनांक 31 दिसम्बर 1957 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, 1957 ई० में संशोधनों को संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, १९४७ की धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या 2166 (एस-टी)/36-ए 102(एस०टी०)-57, दिनांक 20 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्यागिक झगड़ा नियम, 1957 में संशोधनों को संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) नियमावली, 1970‡

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या 4873(एस-टी)/36-ए-220(एस०टी०)-57, दिनाक 7 अप्रैल 1970 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) नियमावली, 1970 को संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ा का ऐक्ट, 1947 की धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापा नहीं गया ।

‡ छापी नहीं गयी ।

बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 1971

श्रम राज्य मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्रम विभाग की विज्ञप्ति संख्या 3970-(एस-टी)/36-ए 240(एस0टी)-70, दिनांक 6 सितम्बर, 1971 द्वारा प्रख्यापित बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (सेवायोजन की शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 1971 को बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 की धारा 44 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) की (पंचम संशोधन) नियमावली, 1971

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह भंडारी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संसदीय कार्य मंत्री, विधायिक विभाग की विज्ञप्ति संख्या 3070/सत्रह-286-69, दिनांक 22 जुलाई, 1971 के अधीन प्रकाशित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (पंचम संशोधन) नियमावली, 1971 में उक्त विभाग के शुद्धि-पत्र संख्या 4078/सत्रह-1971, दिनांक 30 सितम्बर, 1971 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम 1952 की धारा 5 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वर्ष 1969-70 का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र†

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधा कृष्ण गोस्वामी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इंडियन इलैक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, 1948 की धारा 69 की उपधारा 5(ए) के प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वर्ष 1969-70 का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन) नियमावली, 1971††

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या 694/1-क-2-1(11)-70, दिनांक 12 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पंचम संशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1971††

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या 190/1-क-8-5(1)-70, दिनांक 31 जुलाई, 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उप धारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1971††

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या 450/1-क-3-1(2)71, दिनांक 14 अक्तूबर 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 1971††

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

मैं श्रम अनुभाग (5) की विज्ञप्ति संख्या 352-वि36-पांच, दिनांक 7 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश दूकान वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 40 की उप धारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1971††

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैध)--

मैं श्रम अनुभाग (5) की विज्ञप्ति संख्या 580(वि) 936-पांच --510(वि)-71, दिनांक 21 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1971 को उत्तर प्रदेश दूकान वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1962 की धारा 40 की उप धारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

††छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1971-72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971†

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1971–72 का अनुपूरक) विधेयक, 1971 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 के उपवेशन में पारित किया था जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 सितम्बर, 1971 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 सितम्बर, 1971 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1971 का उत्तर प्रदेश का 26वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेंट एण्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, 1971

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टैम्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (जारी रखने का) विधेयक, 1971 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 11 अगस्त, 1971 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 अगस्त, 1971 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर, 1971 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1971 का उत्तर प्रदेश का 27वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1971 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 19 अगस्त, 1971 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 31 अगस्त 1971 के उपवेशन में पारित किया था राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 31 अक्तूबर, 1971 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1971 का उत्तर प्रदेश का 28वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ रेन्ट एण्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) कन्टोल आफ रेन्ट एन्ड इविक्शन (संशोधन) विधेयक, 1971 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपन दिनांक 31 अगस्त, 1971 के उवेपशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 17 सितम्बर, 1971 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 12 नवम्बर, 1971 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1971 का उत्तर प्रदेश का 29 वां अधिनियम बन गया।

---

†छापा नहीं गया।

श्री महेश चन्द्र, एस० पी०, जिला बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष —

मेरे पास माननीय सुखपाल पांडेय ने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न एस० पी०, बस्ती के विरुद्ध दिया है। अवहेलना का प्रश्न इसमें निहित नहीं है। यह शिष्टाचार का प्रश्न है। मैं इसको माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज रहा हूं क्योंकि सरकार के आदेश और परिपत्र हैं कि माननीय सदस्य जब किसी कलेक्टर या किसी अन्य अधिकारी या एस० पी० से मिलने जांय तो उपयुक्त शिष्टाचार उनके साथ बरता जाय। तो यथा अपेक्षित कार्यवाही के लिये मैं इसको मुख्य मंत्री जी के पास भेज रहा हूं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध में समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मैं इसी सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष —

मैं इसको रख देता हूं। बाद में कहियेगा। "कार्य-मन्त्रणा समिति अपनी 30 दिसम्बर की बैठक में सदन के कार्यक्रम के सम्बन्ध म सदन के दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 तथा 3 जनवरी, 1972 के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं।

(1) दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 को 4 बजे अपरान्ह तक बंगला देश व भारतीय जवानों से संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया जाय। ४ बजे के उपरान्त उत्तर प्रदेश होम गार्डस (संशोधन) विधेयक, 1971 तथा उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969, जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उनका पारण किया जाय।

(2) ३ जनवरी, 1972 को पहले नागर अचल सम्पत्ति पर सीमा आरोपण करने के लिये कानून बनाने का अधिकार संसद को देने के निमित्त संकल्प पर विचार एवं उसका पारण किया जाय।

इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1971 विचार एवं पारण हेतु लिये जायें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा निवेदन सुन लें.....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले सरकार की तरफ से प्रस्ताव तो आ जाये, फिर आप कहें।

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)—

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 तथा 3 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में की गयी सिफारिशें कें जिसकी सूचना सदन को आज दी गयी है स्वीकार करता है।

*श्री गोविन्द सिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालें कि यह सदन 31 दिसम्बर को ही क्यों बुलाया गया, इसके पहले भी बुलाया जा सकता था या फिर जनवरी में बुलाया जाता। अगर जनवरी में बुलाया जा सकता था तो फिर माननीय राज्यपाल महोदय को इस सदन को सम्बोधित करना पड़ता और उस समय हमें सरकार की कुछ नीतियां भी मालूम होतीं और सदन को उन पर चर्चा करने का एक अवसर मिलता। इस एजेन्डे के अनुसार हमें कोई भी अवसर ऐसा नहीं मिल रहा है जबकि हम सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा कर सकें। यह माननीय सदन की मर्यादा और माननीय सदस्यों के अधिकारों का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न के औसित्य पर प्रकाश डालें कि आखिर ऐसी कौन-सी बात थी कि सदन को 31 दिसम्बर को ही बुलाना पड़ा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, माननीय नेगी जी ने जो विचार व्यक्त किया है मैं उससे सहमत हूं। मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। मैं पहले भी अपना विचार व्यक्त कर चुका हूं कि आखिर 31 तारीख को ही यह सदन बुलाने की क्या आवश्यकता थी, इसका क्या अभिप्राय था? मैं उसको रिपोट नहीं करूंगा, मैं यह कह चुका हूं। मेरी धारणा यह है कि सरकार इस समय अपनी स्थिति डांवा-डोल समझती है। वह समझती है कि कौन जाने नयी सरकार आकर कौन सी नीति निर्धारित करेगी। इसलिये वह नीति संबंधी कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं लायी। इतने दिनों तक असेम्बली नहीं बुलायी गयी। मैं एक बात कहना चाहता हूं। चाहे 10-5 दिन ही यह सरकार रहे, मगर हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिये था। इसी सदन ने सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया था कि साल में कम से कम ३ अधिवेशन अवश्य होंगे। उसकी भी अवहेलना हुई। यह सरकार बहुमत में है, मैं यह मानता हूं।...होते भी जा रहे हैं और होते जाएंगे। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि इन्होंने सेशन नहीं बुलाया। बीच ही में इन्होंने इतने अध्यादेश जारी कर दिए और अब चाहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से उन पर विचार भी न कर सकें, बहस न कर सकें, क्योंकि उन पर हमें समय बहुत कम दिया गया है। मेरा एक निवेदन है जो अध्यादेश इन्हों ने जारी किए हैं, उनपर विचार करने के लिए हमें एक-एक दिन का समय दिया जाए। यदि कोई छोटे हैं तो आधा दिन दे दिया जाए। लेकिन सरासर ऐसे न चला जाए कि एक-एक दिन में ३-३, ४-४ पास करा दिए जाएं।

*श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं, जो हमारे माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने दिया। एक तरफ जब देश में संकट आया तो हमारे देश की प्रधान मंत्री ने आह्वान किया देश के सारे दलों से और सारी जनता से एकता प्रदर्शित करने के लिए और सारी पार्टियों और जनता ने अपने सभी मतभेद भुलाकर मजबूत एकता का परिचय भी दिया। उसी समय संकट काल में प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि सारे देश में भविष्य में कोई भी चुनाव या उपचुनाव नहीं होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आज सत्ता के मद में आकर इनकी सरकार ने दूसरा ही कदम उठा लिया है। जैसे ही लड़ाई खत्म होती है घोषणा की जाती है सब चुनाव यथा समय होंगे।

समाचार पत्रों में बार बार सूचना आती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होंगे, लेकिन आज संदेह का वातावरण व्याप्त है। यह बड़े महत्व का प्रश्न है कांग्रेस अध्यक्षा और मुख्य मंत्री के लिए हमारे राज्यपाल जी भी यहां मौजूद हैं इस अनिश्चित और अस्थिर वातावरण का तत्काल निराकरण होना चाहिए। जब उनकी सरकार को बहुमत प्राप्त है और सन् 1947 तक चल सकती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धर्मवीर---]

है, तो उहापोह की जो बात चल रही है वह नहीं चलनी चाहिए । 67 से अब तक प्रदेश में कई चुनाव हो चुके हैं और सारे प्रदेश की जनता आज यह सोच रही है कि क्या सरकार के पास केवल चुनाव कराने के अन्य कोई काम ही नहीं है । विरोधी दल के नेताओं ने अपनी एकता और निष्ठा का परिचय दिया है और संकट काल का सामना किया है और जब हमारे देश में हजारों लाखों नौजवानों ने खून बहाया है और जिन ललनाओं के मांग के सिंदूर पूंछ गये हैं उनके आंख के आंसू अभी सूखे भी नहीं हैं, देश के पिछड़ेपन, गरीबी और अशिक्षा तथा बेरोजगारी का हल खोजने के बजाए, यह सरकार चुनाव की तरफ जाना चाहती है और जनता के दिलों में मनमुटाव पैदा करना चाहती है । कुछ स्वार्थी तत्व सत्ता प्राप्त करने के लिए विधान सभा और विधान परिषद् का दुबारा बीच ही में चुनाव चाहते हैं । इनको इसीलिए इन अध्यादेशों को यहां से पास करा लेने की इतनी जल्दी पड़ी है । मुख्य मंत्री जी इस अनिश्चयात्मक वातावरण को समाप्त करने के लिए सदन में घोषणा करें और स्पष्ट घोषणा करें कि वह क्या चाहते हैं । क्योंकि यह अधिकार मुख्य मंत्री को है कि प्रदेश में चुनाव कराए जांए या न कराए जायं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

हमारे मुख्य मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि जो सदन में निर्णय हो उसका पालन जरूरी है । १० मार्च, ७० में इसी सदन में पास हुआ था कि तीन सत्र हमारे हाउस के होंगे . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप कार्यमंत्रणा समिति के कार्यक्रम के बारे में ही जो कहना चाहें कहें, यह प्रश्न उसमें कहां आता है । इस समय सदन के समक्ष कार्यमंत्रणा समिति का कार्यक्रम है, जिस समिति के आप सदस्य थे और आप की सहमीत से वह तय हुआ है । इसके कहने का क्या औचित्य है ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

उसके ही सदर्भ में तो मैं अपनी बात कह कर यह जानना चाहता हूं कि ५ मार्च को सदन क्यों नहीं बुलाया गया, ३१ दिसम्बर को क्यों बुलाया ?

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

मालूम होता है कि बाहर संकटकालीन स्थिति समाप्त हो गयी है, भीतर संकटकालीन स्थिति आ गयी है, इसलिए शंका हो रही है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

सैनिकों के खून पर यह कुर्सी बनाना चाहते हैं ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

मुझे खेद है, इस निर्दोष प्रस्ताव पर जो सर्वसम्मति से कार्य मंत्रणा समिति द्वारा स्वीकृत हो चुका है, सभी दल के प्रतिनिधियों ने स्वीकार कर लिया, उस पर आज इस प्रकार टिप्पणी का अवसर आया ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मैं सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं । सम्मानित सदस्य, जनसंघ की स्थिति डांवाडोल दिखायी देती है, अनिश्चितता दिखायी देती है । हमारे मित्रों को चिन्ता और भय सताये हुए है । अगर चुनाव के सम्बन्ध में कोई निर्णय हुआ होता, तो आज सदन नहीं बैठता । जहां जहां

चनाव हो रहे हैं, विधान सभाएं भंग कर दी गयी हैं, वहां पर केअर टेकर मंत्रिमंडल कार्य कर रहा है। हा यहां बैठ कर कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर विचार कर रहे हैं, यह इसका सबूत है कि कोई अनिश्चितता नहीं है, कोई भी व्यवधान नहीं है, चुनाव नहीं हो रहा है।

श्री धर्मवीर--

आपके यहां ऐसे तत्व हैं, जिन्होंने माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व पर शंका प्रकट की है। वह उनको नहीं चाहते हैं। वह चाहते हैं कि ऐसा वातावरण बने, ९ तारीख को प्रधान मंत्री आ रही हैं, माननीय मुख्य मंत्री के ऊपर दबाव दें। माननीय मुख्य मंत्री सही निर्णय पर हैं। लेकिन आपके ही यहां की बात है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

हमें कोई शिकायत नहीं है। बाजपेई जी ने तीन बयान दिये, होगा, नहीं होगा। उनको समझाएं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं स्वयं उस सम्मेलन में मौजूद था।

मुख्य मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)--

मान्यवर,

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, पंडित जी रफू कर देंगे।

श्री कमला पति त्रिपाठी--

रफू नहीं करूंगा, रफूचक्कर कर दूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

यही कहना चाहता था, इसको रफूचक्कर कर देंगे।

*श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, अगर विरोधी दल के साथ और मित्र यह चाहते हों, कि चुनाव करा दिया जाय, तो आज कहें, कल चुनाव करवा दें। अगर वह नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो तो चुनाव यहां नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? सो बताइये। इसी मानी में मैंने कहा कि रफूचक्कर कर दूंगा, आपको हटाने के मानी में नहीं। एक गीता का पद याद आ गया--

"नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः"

जो संशयात्मक होता है उसे न इस लोक में, और दुनिया छोड़ कर चला जाय तो परलोक में भी उसको सुख नहीं मिलता है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

केवल राजनीति में उसको सुख मिलता है।

श्री कमला पति त्रिपाठी--

राजनीति शंकाओं का खेल नहीं है, गणनाओं का खेल है। कैलकुलेशन का खेल है, सस्पिशन और डाउट का खेल नहीं है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आपके मन में हो, कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलापति त्रिपाठी--]

चुनाव हो तो आप को साफ कहना चाहिए कि चुनाव करवा दो । दूसरे प्रदेशों के नेताओं ने, मंत्रिमंडल के लोगों ने और विरोधी दल में जो बैठते हैं, सब ने मिल कर कहा कि संकटकालीन स्थिति समाप्त हो गयी है जहां-जहां चुनाव होना चाहिए वहां एक साधारण जीवन हमारा चलना चाहिए, कोई भयग्रस्त नहीं होना चाहिए वहां चुनाव हो रहे हैं । हमारे धर्मवीर जी ने कहा कि क्यों चुनाव करवा रहे हैं, आपके यहां के नेताओं ने कहा कि चुनाव होना चाहिए, विरोधी दल के नेताओं ने कहा कि हो जाने दो चुनाव । आप कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री चुनाव करवा रही हैं । क्यों आपने कहा कि चुनाव हो जाना चाहिए ?

एक आध को छोड़ कर सबकी राय थी कि चुनाव हो जाना चाहिए । पहले चुनाव इसलिये रोका गया था कि एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी । वह अब नहीं रही । जब साधारण जीवन चलने लगा तो वहां चुनाव हो रहा है । उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा यह एक हवा यहां से बनाई गयी । कोई कारण नहीं है कि यहां चुनाव हो । हमारी अध्यक्ष जी बैठी हैं उनका स्टेटमेंट निकल चुका है । दूसरी बार गलत खबर छपी तो उसका भी खंडन हो चुका है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप चाहेंगे तो चुनाव हो जायगा । आपकी कृपा रही और आप नहीं चाहेंगे तो चुनाव नहीं होगा । अब मारे संशय, मारे भय तथा त्रास के आप अपना जीवन क्यों दुखी बना रहे हैं ? आनन्द से काम कीजिये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

31 दिसम्बर से अधिवेशन शुरू होने वाले मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ?

*श्री नारायण दत्त तिवारी--

कार्य मंत्रणा समिति में यह प्रश्न उठा था और उसका मैंने वहां यथाशक्ति समाधान करने की चेष्टा की थी । राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वर्तमान वर्ष की नीतियों के लिये नहीं होता है, वह आगामी वर्ष के लिये होता है । आने वाले वर्ष 1972-73 में जो विधान सभा का अधिवेशन होगा उसमें राज्य सरकार की ओर से क्या कार्यक्रम होगा और सरकार की क्या नीतियां रहेंगी उनकी चर्चा राज्यपाल के अभिभाषण में होती है । वर्तमान सरकार की इस वर्ष की सरकार की क्या नीतियां हैं उसी की मदद के लिये यह 31 दिसम्बर, का सेशन बुलाया गया है । यह मांग हुई थी कि विधान सभा का अधिवेशन जल्दी बुलाया जाय और मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा कर दी थी कि वह दिसम्बर में सेशन बुलायेंगे । उसकी तारीख निश्चित होने वाली थी लेकिन युद्धकालीन संकट इस बीच आ गया । इस पर विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत हुई और उन्होंने तब यह कहा कि यह अवसर नहीं है कि सिविल डिफेन्स के कार्य में सारा प्रशासन लगा हुआ है उसको यहां विधान सभा के अधिवेशन में लगाया जाय, इसलिये उस अवसर पर विधान सभा का अधिवेशन नहीं बुलाया गया । जैसे ही वह स्थिति समाप्त हो गयी 31 दिसम्बर को अधिवेशन बुला लिया गया । अगले वर्ष राज्यपाल का अभिभाषण होगा, नीतियों पर भी चर्चा होगी और उस पर विवाद का अवसर सदन को मिलेगा । सरकार अपने उस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होना चाहती ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि पार्लियामेंट के लिये एमरजेंसी नहीं थी, हमारे लिये थी । उनका यह कहना सही नहीं है कि गवर्नर का जो एड्रेस होता है उसमें फ्यूचर पालिसी होती है, पास्ट की पालिसियां भी होती हैं कि आज तक सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं । क्योंकि कोई आपकी आज तक उपलब्धियां हैं नहीं, अब आप उनको बनायेंगे । आपकी बदनीयती की ओर जो विरोधी पक्ष ने इशारा किया है वह इस कारण सत्य है, निराधार नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 तथा 3 जनवरी, 1972 के कार्यक्रम के संबंध में की गई सिफारिशों को, जिनकी सूचना सदन के आज दी गयी है, स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के लिये चार सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में कार्यक्रम की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना मैं दे दूं । उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति में कार्य करने के लिये 4 व्यक्तियों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है--

नाम निर्देशन पत्रों के प्राप्त करने की अन्तिम तिथि, तथा समय 4 जनवरी, 1972 के अपरान्ह 3 बजे तक ।

(2) नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा--4 जनवरी, 1972 को अपराह्न 4 बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में) ।

(3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय 7 जनवरी, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक।

(4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 11 जनवरी, 1972 को दिन के 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 के लिये तीन सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

सूचना उप मंत्री (श्री गुलाब सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन पुनः संगठित किये जाने वाले प्रशासकीय बोर्ड में उक्त अधिनियम, की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, का निर्वाचन करे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन पुनः संगठित किये जाने वाले प्रशासकीय बोर्ड में उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य भी होगी, का निर्वाचन करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

इसमें वही कार्यक्रम है जो कि मैंने आपको पहले सूचित कर दिया है कि (1) नाम-निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय 4 जनवरी, 1972 के अपराह्न, 3 बजे तक । (२)

[श्री उपाध्यक्ष---]

नाम-निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म-परीक्षा---4 जनवरी, 1972 को अपराह्न 4 बजे (सचिव विधान सभा के कमरे में)। (3) नामों की वापसी की अंतिम तिथि तथा समय 7 जनवरी, 1972 के अपराह्न 3 बजे तक। तथा (4) निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक 11 जनवरी, 1972 को दिन के 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि 6 अक्तूबर, 1971 तक थी किन्तु समिति इस अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी, अतः इस विधेयक पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसम्बर, 1971 तक और बढ़ा दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि 6 अक्तूबर, 1971 थी किन्तु समिति इस अवधि में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी, अतः इस विधेयक पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 31 दिसम्बर, 1971 तक और बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1979 पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन†

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) विधेयक, 1970 पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

प्रतिवेदन की प्रतियां नहीं मिली हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तो इसी में लिखा हुआ है कि प्रतिवेदन की प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।

---

†छापा नहीं गया।

सीतापुर जनपद के शिक्षाधिकारी एवं श्री रामकुमार भार्गव के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

*श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला-मथुरा)---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूंकि श्री रामलाल राही, सदस्य, विधान सभा द्वारा सीतापुर जनपद के शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 31 अगस्त, 1971 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के परन्तुक के अन्तर्गत उक्त प्रश्न पर समिति का प्रतिवेदन 1 अक्तूबर, 1971 तक प्रस्तुत किया जाना था किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी और उसे प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में 31 जनवरी, 1972 तक के समय की और आवश्यकता है, अतः समिति द्वारा उक्त प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 31 जनवरी, 1972 तक बढ़ा दिया जाय, और चूंकि श्री सी०पी० एन० सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री रामकुमार भार्गव के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न 16 सितम्बर, 1971 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 268 के परन्तुक के अन्तर्गत उक्त प्रश्न पर समिति का प्रतिवेदन 16 अक्तूबर, 1971 तक प्रस्तुत किया जाना था किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकी और उसे प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में 7 जनवरी, 1972 तक के समय की और आवश्यकता है, अतः समिति द्वारा उक्त प्रश्न पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 7 जनवरी, 1972 तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव लक्ष्मीरमण जी ने रखा है विशेषाधिकार समिति की ओर से समय बढ़ाने का, 31 जनवरी और 7 जनवरी, तक के लिये वह स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971

वित्त राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरः-स्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरः-स्थापित करने की सदन द्वारा अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---]

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1971 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 129 पर)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

नियम 56 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुयी थीं। जिसमें से माननीय शम्भूनाथ चौधरी की जो सुरहाताल के बारे में भेजी गयी है वह अविलम्बनीय प्रश्न की नहीं है, उसके संबंध में अल्पसूचित किया जा सकता है ।

माननीय माधव प्रसाद आदि ने जो काशी विश्वविद्यालय में अशांति की स्थिति के संबंध में भेजा है, यह केंद्रीय विषय है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मैं मानता हूं कि यह केंद्रीय विषय है, लेकिन ला ऐंड आर्डर का भी प्रश्न हमारी सरकार के लिये है और वहां बैठे हुए हमारे वाइसचांसलर जी हैं वह वाइसचांसलर नहीं हैं, वह एक राजनीतिज्ञ हैं और मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध उन्होंने स्टेप लिये हैं जो विद्यार्थियों के संबंध में लिये हैं, उनके गुड आफिसेज में नहीं हैं । मैं बिलकुल स्पष्ट कह रहा हूं । शांति व्यवस्था का दायित्व मुख्य मंत्री जी पर है और उनके गुड-आफिसेज का इस्तेमाल करके हम देखना चाहते थे कि वहां के वाइसचांसलर ने जो विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार किया है, वह चीज दूर हो जाय और विद्यार्थी कक्षाओं में जाने लगें, अपनी परीक्षा दें । जब मुख्य मंत्री जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जितने विद्यार्थी थे उनके खिलाफ मुकदमें हटा लिये, अनुशासन की कार्यवाही हटायी गयी, एक बड़ा ही सामान्य वातावरण फैल गया ।

उसके बाद अगर मुख्य मंत्री जी वह नहीं कर पा रहे हैं तो उसका केवल यही कारण है कि यहां के वाइसचांसलर उनकी बात मानने के लिये तैयार नहीं हैं, एक पालिटिशियन बनकर बैठे हुए हैं । पिछले 9 महीने से बनारस में 144 लगी हुई है । ऐसा कोई शहर आपने देखा कि 9 महीने से जहां 144 धारा लगी हो और हमारी सरकार विवश है । वहां विद्यार्थी मारे गये बुला करके । उन्होंने विद्यार्थियों से वादा किया था उनकी मांगें पूरी करने का तो कहा कि हमारा तुम्हारा मामला पलट गया । जो तुम्हारी मांगें मान लीं, उनको भी कार्यान्वित नहीं करेंगे । मीटिंग होने लगी तो पी० ए० सी० को बुलाकर पिटवाया और उनको घायल किया । उन्होंने एक तनाव का वातावरण पैदा कर दिया है । मुख्य मंत्री उसमें दखल देते और उस अव्यवस्था को ठीक करते लेकिन मेरे मन में आभास पड़ा है कि उनकी राजनीति के कारण शायद वह कुछ न कर पायें । इसलिये मैं कहना चाहता था कि यह ला-ऐंड आर्डर का प्रश्न है । बाद में इसे कोई नहीं ठीक कर पायेगा । मैं चाहता था कि इसके लिये अवसर दे दिया जाय, और हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(श्री अनन्तराम जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

इसी विषय में आपका भी प्रस्ताव था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह खाली केंद्रीय विषय नहीं है । मान लीजिये वहां पर शहर में और विश्वविद्यालय में धारा 144 लगी हुई है और सत्यागृह वगैरा की बात चल जाती है तो यह केंद्रीय विषय नहीं रह जायेगा और सीधा सीधा इसका राज्य से संबंध होगा । घर से पकड़ कर पुलिस द्वारा विद्यार्थियों को पीटा जाय और पी०ए०सी० द्वारा पीटा जाय और उनके गम्भीर चोटें आई जो चेक की जा सकती हैं । यह सारा मामला इतना तात्कालिक है कि अगर हमारी सरकार कुछ हस्तक्षेप नहीं करती है तो जब विस्फोट हो जायेगा तब क्या फायदा होगा । मैं आप से चाहूंगा कि पूरी स्थिति सामने आ जानी चाहिये । इसलिये इसको स्वीकार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

हस्तक्षेप सरकार कैसे करे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

ला ऐंड आर्डर के मामले में हस्तक्षेप करें । जब सरकार इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगी तो सरकार के प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालय के लोगों से बात करनी पड़ेगी ।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं भी इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगा । मैं वाराणसी से ही निर्वाचित हूं और वहां की परिस्थिति से परिचित हूं इसलिये मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपसे सहमत हूं । मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि विश्वविद्यालय न चले । लेकिन जहां तक हस्तक्षेप की बात है. . . .

*श्री शंकर प्रसाद जायसवाल---

इसी संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के प्रांगण में अगर प्रशासनिक अधिकारियों के गठबंधन के साथ कोई कार्यवाही होती है जैसे कि वहां एक महीने से पी०ए० सी० डटी हुई है और क्लासेज पी०ए०सी० की उपस्थिति में लग रही हैं और छात्रों को सभा तक करने की अनुमति नहीं मिलती है । यह बात अपनी जगह पर है । लेकिन कुछ छात्र पी० ए० सी० द्वारा गिरफ्तार किये गये हैं क्योंकि कुलपति ने पुलिस की सहायता मांगी थी वह अपनी जगह ठीक है । लेकिन यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या इस व्यवस्था से जो हमारे द्वारा दी गई है' उससे विश्वविद्यालय शांतिपूर्वक चल रहा है । यदि नहीं चल रहा है और विद्यार्थी जहां गिरफ्तार किये गये हैं पी०ए०सी० द्वारा, उनमें छात्र संघ के नेता भी सम्मिलित हैं । इस तरह से असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही है । जिन विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया उनको बुरी तरह से पीटा गया जिससे उनके गार्जियन्स में भी असंतोष की भावना उमड़ी है । मैं कहना चाहता हूं कि जो छात्र एम०ए० की परीक्षा दिये हैं और एम०एस०सी० की पढ़ाई की है उनको भी गिरफ्तार करके गम्भीर कैदियों के साथ जेल में रखा गया है जिनको नहीं रखा जाना चाहिये था ।

मुख्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन को आश्वस्त किया था कि वे छात्र नेताओं और कुलपति के बीच में सम्पर्क स्थापित करके प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार समस्या सुलझ जाये । मुझे तक पता है वह यह है कि वहां के छात्र नेता माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने पूरे अधिकार मुख्य मंत्री जी को सौंप दिये हैं कि जो वे फैसला करेंगे वह उनको मान्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शंकर प्रसाद जायसवाल]

होगा । फिर समझ में नहीं आता है कि कौन सी ऐसी बाधा पड़ रही ह जिससे गतिरोध समाप्त नहीं हो पा रहा है ? मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि असंतोष की भावना बढ़ती चली जा रही है और कहीं ऐसी स्थिति न आ जाय कि यह असंतोष पूरे प्रदेश में फैल जाय । इस नाते यह हमारे प्रदेश और नगर की शांति व्यवस्था से संबंधित है । इस नाते मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा और म आपसे अपील करूंगा कि इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मेरा तो सवाल राज्य सरकार से ही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको मैंने इसलिये अस्वीकार किया है कि वह सदन में कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं है। एक घटना है कि सुरहा ताल में पानी भरा हुआ है और पानी के भरे होने के कारण कृषि नहीं हो रही है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

श्रीमन्, 3 हजार एकड़ भूमि पानी में डूबी हुई है । माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये और उन्होंने आश्वासन दिया था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी वहां गये होंगे और उन्होंने वहां कुछ कहा होगा लेकिन इसके बारे में आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें । यह ठीक है कि बाढ़ का पानी भरा हुआ है और वहां कृषि के लिये खेत उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इससे यह अविलंबनीय लोक महत्व का नहीं हो जाता । इसलिये आप प्रश्न कर लें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

एक कटरा नाला जो गंगा में गिरता था उसको इस सरकार ने बन्द कर दिया है उसी के कारण ऐसी खराब स्थिति हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि इसको नियम 56 में स्वीकार किया जाय। इसलिये आप अल्पसूचित प्रश्न कर लीजिये और अगर उससे भी आपका समाधान न हो तो आप आधा घंटे की चर्चा मांग लीजिये ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उपाध्यक्ष जी, लड़कों के नाम वारंट कुर्की जारी किये गये हैं । यह तो सभी जानते हैं कि लड़कों के पास कोई जायदाद नहीं होती अतः उनके अभिभावकों की कुर्की की जा रही है। लड़कों को गिरफ्तार किया जा रहा है और गिरफ्तारी के बाद उनको पीटा जा रहा है । उसमें लड़कों की गहरी और गम्भीर चोटें भी आयी हैं। किसी तरह से असंतोष को व्यक्त करने का मौका भी नहीं मिल रहा है । अब उसका केवल एक ही रास्ता-हिंसा का रह गया है । मैं जानता हूं कि इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी को चिन्ता होगी, चिन्ता उन्हें होनी ही चाहिये एक जिम्मेदार मुख्य मंत्री के नाते । अतः यह कह कर कि यह केंद्र का विषय है अगर इसको खत्म कर दिया जायगा तो यह एक ज्यादती होगी। इस पर किसी तरह से चर्चा का अवसर अवश्य मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

तीसरा सवाल गन्ने के मूल्य के संबंध में है । (श्री कल्पनाथ सिंह के खड़े होन पर) मैंने तो उसको स्वीकार किया है नियम 51 में । उसकी तिथि कौन सी होगी यह बाद में बता दी जायगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैंने तो कामरो को प्रस्ताव दिया था । यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसको नियम 51 में स्वीकार किया गया है । नियम 56 का वह विषय नहीं है क्योंकि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आकस्मिक घटना तो यह है ही । सरकारी दूकानों पर 2 रुपया के भाव से चीनी दी जा रही है । दो रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकारी दूकानों से चीनी बिकवाने का प्रबन्ध किया गया है सरकार की ओर से । चीनी के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं । ढ़ाई सौ रुपये बोरी तक चीनी पहुंच गयी और गन्ने की कीमत ज्यों की त्यों रही । तो चीनी की कीमत बढ़ रही है और सरकार ने उसको रोकने का कोई इन्तजाम नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको नियम 51 में स्वीकार किया है नियम 56 में नहीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

तो नियम 51 के बाद ढ़ाई घंटे की चर्चा दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अभी कैसे कह सकता हूं ।

माननीय मुख्य मंत्री जी काशी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं तो इतना ही कह रहा था कि अगर माननीय सदस्य इस पर चर्चा करना चाहें तो यह कार्य-स्थगन का विषय तो नहीं बन सकता क्योंकि खुद ही आप कह रहे हैं कि केंद्र से इसका ताल्लक है, परन्तु अगर कुछ चर्चा करना चाहें तो आप कोई समय उन्हें दे दें और चर्चा हो जाय, स्थिति वहां की स्पष्ट कर दी जाय । क्यों कि जितनी बातें कही गयी है हमारे विरोधी दल की ओर से यह बिलकुल एक-पक्षीय बात हो गयी । हमारी यह उत्सुकता थी है और आग भी रहेगी और हमारा यह प्रयास रहेगा कि वहां का मामला सुलझ जाये । यह कि एसी परिस्थिति पैदा कर दी है वाइस चांसलर न, तो ऐसी बात नहीं है । यदि कोई चर्चा चाहते हैं तो आप कोई समय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अच्छा तो अब हम आग चलते हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

गन्ने के मूल्य के सम्बन्ध में हमारी सूचना आप पढ कर तो सुना दें ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

हमारे दल की तरफ से भी गन्ने के मूल्य पर कामरोको प्रस्ताव है । शायद रामधारी शास्त्री के नाम पर है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सब है । श्री शम्भूनाथ चौधरी का बलिया जिले में सुरहा ताल के बारे में है । सर्वश्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, शंकर प्रसाद जायसवाल, नित्यानन्द स्वामी, जगन्नाथ खन्ना, मोहनलाल कपूर, त्रिवेणी सहाय और अनन्तराम जायसवाल का काशी विश्वविद्यालय में अशांति की स्थिति के बारे में और सर्वश्री कल्पनाथ सिंह, महातम प्रसाद त्रिपाठी, राम बिलास पांडेय, राम हर्ष, गिरजा शंकर तिवारी, रामधारी शास्त्री और बांके लाल का गन्ने के कम मूल्य संबंधी नीति के कारण प्रदेश के गन्ना किसानों में असंतोष के संबंध में है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

गन्ने वाले विषय में शायद नियम 51 काफी न हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो नियम 51 में लिया गया है । अगर उससे सदन को संतोष नहीं होगा और आप चाहेंगे कि आपकी शंका का निवारण अन्यथा हो तो देखा जायगा, उसको स्वीकार कर लेंगे अभी नियम 51 में 3 या 4 तारीख को तिथि निश्चित कर देंगे । स्वीकार तो किया ही है । और विश्वविद्यालय वाला भी स्वीकार कर लिया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

उसके लिये अगर समय पहले से मालूम हो जाय तो तैयारी कर लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी ही बता देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

नियम 52 में जो नोटिस दिया था कि प्रदेश के अन्दर गरीबी हटाओं के बजाय गरीबी बढ़ती जा रही है और उपभोक्ता सूचकांक आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, शीत लहर के कारण लोग मर रहे हैं । तो उसके ऊपर ढाई घंटे की चर्चा जैसे आप बाढ़ पर दिया करते हैं, करवा दें। आप इसे एकदम रिजेक्ट न करें, पेंडिंग में रख लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो हमने उसे अस्वीकार किया है, आप फिर दें, अभी यह निश्चित नहीं है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने तो महंगाई के आंकड़े दिये हैं अगर यह सब दिया है कि कितनी महंगाई कितनी गरीबी और कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितनी बेकारी बढ़ी है और इनके कारण आज सूबे में भीषण स्थिति व्याप्त है ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह नियम 56 के बारे में लिखा है, कार्य-स्थगन के बारे में मद 34 है और नियम 52 वाला हमारे नियम 40 में कार्य सूची में आता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

नियम 301 में जो दिया था उस पर कोई समय निर्धारित करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

जो नियम 56 के संबंध में सूचना दी गई है उसके बारे में मैंने कहा आपका 52 म आयेगा तो....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने श्रीमन्, 301 में दिया था कि हमारे वित्त मंत्री जी हिमांचल प्रदेश से जो इतना बड़ा फैसला कर आये बिना इस सदन को कांफिडेंस में लिये हुये उस पर सारे प्रदेश में क्षोभ है, इस जमुना परियोजना पर हमारा 106 करोड़ रुपया लग रहा है। और उन्होंने बिना सदन को...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उस पर वक्तव्य दिलवा दूंगा लेकिन एकदम इस तरह से यहां सवाल नहीं उठाना चाहिये, आपने नियम 56 का नोटिस दिया है उसके बाद नियम 52 का नोटिस है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

ठीक है, आप वक्तव्य दिला दें।

बांगला देश से सम्बन्धित प्रस्ताव किये जाने वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह द्वारा सझाव

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री, आइटम 35।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

इस प्रस्ताव के लिये जाने से पहले श्रीमन्, एक जरा सा निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप बाद में कर दें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, सूबे में आज किसानों को खाद नहीं मिल रही है, हमारे यह डाक्टर सीताराम जी यहां मौज मार रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि खाद में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है और ब्लैक मारकेटिंग हो रही है जिसकी कोई इनतिहा नहीं है। इस पर मैंने नियम 51 की सूचना दी है ताकि सदन का मैं ध्यान आकृष्ट कर सकूं। आप कृपया ध्यान रखें और उसको स्वीकार करने से पूर्व शाम को हमें सुन लें।

(पुनः माननीय मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मेरा आइटम 35 के संबंध में ही एक सुझाव है....

श्री उपाध्यक्ष—

पहले उसे पेश होने दें फिर आप कह लें।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

इसी के सम्बन्ध में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को जरा सा अपना सुझाव देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जब प्रस्ताव के रूप पर कार्य मन्त्रणा समिति के समक्ष सभी नेताओं और दलों के प्रतिनिधियों ने विचार कर लिया और एक सर्वसम्मत प्रस्ताव आ गया तो इस तरह से अब नहीं वह बदलेगा। आप यह सुझाव पहले ही अपने दल के प्रतिनिधि को दिये होते तो ठीक होता।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

केवल एक मिनट में मैं वह रख दूंगा...

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक ढंग नहीं है, जो प्रस्ताव आया है और जिस पर आपके नेता की और सबकी सहमति है, उसको मानना चाहिये। हर बात यहां कहकर अपनी प्रसिद्धि का लोभ कम होना चाहिये। जो सब लोग चाहते थे, जो आप के दल के लोग चाहते थे उसे पंजीकृत कर लिया गया। आपके नेता ने कल जैसे कहा, जैसे बढ़कर सुनाया वह मान लिया। आप पहले से उनसे कहते। अभी वह सुझाव हमारे सामने नहीं हैं और आपका सुझाव पहले है। आपको यह सुझाव पहले ही अपने नेता को देना चाहिये था। वह गवर्नमेंट को देते तो... अब मुख्य मन्त्री जी प्रस्ताव को प्रस्तुत करें।

*श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि प्रस्ताव वह पेश करें मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते थे लेकिन जब आप ने उन को बुलाया तभी तो कोई अपनी बात कह सकता है। मैं आपके द्वारा एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, इसकी अब बहुत ज्यादा कोई अरजेंसी भी इस वक्त नहीं है, जो होना था वह तो हो चुका लेकिन प्रस्ताव चूंकि महत्व का है इसलिये अच्छा यह हो कि जब यह लिया जाय तो सदन में ज्यादा से ज्यादा सदस्य उपस्थित हों और वह शायद शोभाजनक होगा।

माननीय मुख्य मन्त्री जी भी चाहेंगे कि अगर 400 सदस्य सदन में न हों तो कम से कम 350 तो अवश्य हो। हम सब में से बहुत से लोग इस प्रस्ताव पर बोलना चाहेंगे तो अगर 3 तारीख को ठीक प्रश्नों के उपरान्त इसे ले लिया जाय तो अच्छा होगा। इस समय इसे लेने से खाली जाब्ता पूरा हो जायगा। हमारे मन में भी कुछ बातें कहने को हैं तो दिल से बातें कहने का समय नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसे आप फिर लें ले।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन, मैं भी माननीय चरण सिंह जी की बात से सहमत हूं। यह बात कार्य मन्त्रणा समिति में आई होगी लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर हम लोगों ने जो दलों के नेता हैं इस पर बैठ कर माननीय मुख्य मन्त्री जी से बात कर ली होती तो दूसरी बात थी। उस पर विवाद का तो कोई प्रश्न नहीं है लेकिन अगर इसको किसी दूसरे वक्त पर रख दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी))—

3 तारीख के लिये कार्य मन्त्रणा समिति ने जो कार्यक्रम बनाया है, उसका क्या होगा? मुझे कोई विशेष आपत्ति नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आप जो अर्बन सीलिंग वाला संकल्प ले रहे हैं उसको आगे कर देंगे ।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जो विधेयक 3 और 4 तारीख को लेने हैं, उनको अगर ले लिया जाय तो फिर 4 को यह संकल्प हो सकता है । ये 4 विधेयक हैं इनमें कोई बहुत बहस नहीं होने वाली है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अगर 4 तारीख तक का प्रोग्राम तय हो गया है तो 5 को ले लें क्योंकि अब तो समय बढ़ने में दिक्कत का प्रश्न नहीं है । एक दिन बढ़ जायगा तो कौन सी आफत आ जायगी जब सदन में सब की भावना है तो आप ऐसा कर लीजिये ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कार्य मन्त्रणा समिति में आप सबकी राय से निर्णय लिया गया है । लेकिन सदन को पूरा अधिकार है कि अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो सब की सहमति से कार्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा नहीं हो सकता है । जब सदन में कार्य मन्त्रणा समिति का प्रस्ताव रखा गया था, उस समय यह बात उठानी चाहिये थी । उस समय शायद माननीय चौधरी साहब सदन में नहीं थे और शायद माननीय त्रिपाठी जी को उस समय स्मरण नहीं आया । अब यह प्रस्ताव पास हो गया है । अब उसके बाद यह सुझाव आ रहा है । जब कोई कार्य समय से नहीं होता है तो कठिनाई पड़ जाती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन, जब सदन इस बात के लिये सक्षम है कि इसको पारित करे तो वह उसमें संशोधन भी कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर ऐसा कर लिया जाय तो बहुत बुरी परिपाटी भी होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

अगर सदन चाहे तो नियम को भी स्थगित कर सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन तो सब कुछ कर सकता है । लेकिन अभी 10 मिनट पहले सदन एक फैसला करे और फिर यह कहे कि यह ठीक नहीं है तो इससे अच्छी परम्परा नहीं पड़ सकती ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

अभी नेता सदन से और आप से भी कहा गया है कि आप इसको स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन नियम यही है । जो सवाल आपने उठाया है वह है गलत ।

श्री चरण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, वह तो गलत हो गया। उसको अभी किसी तरह से निभाइए। आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की कहानी मालूम है...

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारे अन्य नेताओं का भी सुझाव है और आप इस बात को भी मान लें। जो बिजनेस तय किया है उसमें आसानी हो जायेगी। यह जो तीन तारीख का प्रस्ताव पेश किया यह अपनी जगह पर रहेगा। मेरे पहले जैसा कहा गया उस प्रस्ताव के पहले यह बांगला देश का प्रस्ताव ले लिया जाय और तीन तारीख का कार्यक्रम वैसे ही रहे वह पीछे पेश हो जाय और उसके पहले शुरू में जसा कहा है कि बांगला देश का प्रस्ताव ले लिया जाय और नियम 328 के अन्तर्गत नेता सदन की ओर से प्रस्ताव आ जायेगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

यानी यह प्रस्ताव पहले हो जायगा ...

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 328 इस प्रकार है—

"सदन द्वारा विनिश्चित सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा जब तक कि सदन नेता द्वारा परिवर्तन न किया जायगा....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा आग्रह है कि आप इसको स्वीकार कर लेंगे। मैं नेता सदन की ओर से आग्रह करूंगा मौखिक रूप से कि जो तीन तारीख के लिये निर्धारित समय है उसमें प्रश्नों के बाद बांगला देश का प्रस्ताव ले लिया जाय और उसके बाद तीन तारीख का निर्धारित कार्यक्रम ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मंत्रणा वाली बातों को यहां न उठाइये। अब एक प्रस्ताव आ गया है कि न लिया जाय। उस वक्त तीन तारीख के लिये ले लिया जाय प्रश्नों के बाद।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन, प्रश्नों के तुरन्त बाद बांगला देश का प्रस्ताव ले लिया जाय और उसके बाद तीन तारीख के निर्धारित कार्यक्रम उसके बाद ले लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

नियम यह है कि जो कार्यमन्त्रणा समिति में तय हुआ उसको यहां या तो स्वीकार कीजिये, यदि अस्वीकार करते हैं तो उस पर बाहर विचार करते हैं, ऐसी परम्परा रही है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ऐसी बात नहीं है कि कार्य मन्त्रणा समिति ने जो निश्चय किया है उसे अस्वीकार किया जा रहा है। वह तो स्वीकार हो गया। हमारे विरोधी दल के साथियों ने इच्छा प्रकट की कि इस चीज को क्योंकि देर हो चुकी है, टाइम निकल चुका है और सदन जब पूरी तरह से बैठ रहा हो तब लिया जाये। हमारे चौधरी साहब ने कहा, त्रिपाठी जी ने भी कहा, जायसवाल जी ने भी कहा। चौधरी जी और त्रिपाठी जी सहमत हैं कि तीन तारीख को प्रश्नों

के बाद इस प्रस्ताव को ले लिया जाय और इसके बाद कार्य-मन्त्रणा समिति का प्रस्ताव न लेकर परसों ले लिया जाय और उसके बाद कार्य-मन्त्रणा समिति के जो कार्यक्रम हैं उस रोज का उनको इस कार्यक्रम के बाद पूरा कर दिया जाय। इसमें असहमति की कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

सामंजस्य कर दिया जाय। आप सबकी राय है तो...

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपको याद होगा कि कार्य-मन्त्रणा समिति में शास्त्री जी बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव की चर्चा के लिये पर्याप्त समय मिल सके इसलिये इसी तरह से इसमें लगाया जाय। मान लीजिए किसी तरह से कोई दिक्कत होती है तो पांच तारीख को ले लिया जाय। आपने तय किया है कि तीन-चार तारीख के लिये पांच तारीख को ले लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका यह तो ब्योरे का सवाल हुआ...

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में केवल नेता ही नहीं है सदस्य लोग भी बोलना चाहेंगे यह तय कर लें।

हम सब लोग इसमें बोलना चाहते हैं तो 3 तारीख का कार्यक्रम 5 बजे के बाद भी लिया जा सकता है। शाम को उस दिन हम बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

तो मैं ऐसा करता हूं कि आज उस प्रस्ताव को सिर्फ सदन के सन्मुख रख दिया जाय और उस पर भाषण 3 तारीख को हो जायेंगे। इससे कार्य-मन्त्रणा समिति की इच्छा भी पूरी हो जायगी।

पाकिस्तान के आक्रमण, बांगला देश की मुक्ति, भारतीय सेना की वीरता, केन्द्रीय सरकार के परिपक्व नेतृत्व तथा रूस एवं पोलैण्ड के सहयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरा सौभाग्य है कि आपकी अनुमति से उस प्रस्ताव को इस सदन के सन्मुख प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है:---

विगत 24 वर्षों के तानाशाही, क्रूर एवं बर्बर पाकिस्तानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति पाकर धर्म-निरपेक्ष, समाजवादी एवं सार्वभौम "गण प्रजातन्त्री बंगला देश" के अभ्युदय का यह सदन हार्दिक स्वागत करता है और वहां की जनता, मुक्तिवाहिनी एवं सरकार का अभिनन्दन करते करते हुए उन्हें बधाई देता है। यह सदन बंगला देश के राष्ट्रपति, श्री मुजीबुर्रहमान की तुरन्त रिहाई की अपनी मांग पर पुनः बल देता है, जिससे वे स्वतंत्र बंगला देश का नेतृत्व कर सकें।

2---पाकिस्तान द्वारा भारत पर एक बार फिर अकारण, शर्मनाक आक्रमण करने की यह सदन तीव्र भर्त्सना करता है। भारतीय जल, थल एवं नभ सेना के वीर जवानों ने भारत

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

की अखण्डता एवं सार्वभौमिकता की सफलतापूर्वक रक्षा, व बंगला देश की मुक्ति के लिये जिस अदम्य साहस, वीरता एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया है उसके लिये यह सदन उनकी प्रशंसा करता है। साथ ही, उन शहीदों के प्रति, जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर वीरगति पाई है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये उनके संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक सहानुभूति एवं सम्वेदना प्रकट करता है और उन्हें यह आश्वासन देता है कि यह प्रदेश उनको यथाशक्ति सहायता देने के लिये कृत संकल्प है।

3--राष्ट्र के इतिहास में महान संकट की इस कठिन घड़ी में हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी और केन्द्रीय सरकार ने जिस राजनीतिक सूझ बूझ तथा सबल, परिपक्व एवं दृढ़ नेतृत्व का परिचय दिया है उसके लिये यह सदन, प्रधान मन्त्री जी एवं केन्द्रीय सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हुये उन्हें बधाई देता है। इस सदन को गर्व है कि राष्ट्रीय संकट की इन घड़ियों में प्रदेश एवं देश की जनता व राजनीतिक दलों ने एक बार फिर अभूतपूर्व एकता और सहयोग का परिचय दिया है।

4--यह सदन उन सभी देशों विशेषतया सोवियत रूस व पोलैन्ड के प्रति, जिन्होंने राष्ट्र की इस कठिन घड़ी में हमें अपना सहयोग दिया है, अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। फ्रांस, ब्रिटेन आदि जिन देशों ने तटस्थ रहकर अपनी सहानुभूति दी है, उनको भी यह सदन धन्यवाद देता है। साथ ही, अमेरिका और चीन जैसे देशों की वास्तविकता से आंख मूंदकर पाकिस्तान की जघन्य कार्यवाहियों को बढ़ावा देने की नीतियों के प्रति यह सदन क्षोभ प्रकट करता है।]

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से आदरणीय सदन के सन्मुख यह प्रस्ताव रखता हूं।

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971*

गृह उपमन्त्री (श्री रामकृष्ण द्विवेदी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 पर विचार किया जाय।

(इस समय 2 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगवीर सिंह पीठासीन हुये)

श्रीमन, होम गार्ड्स वास्तव में राष्ट्र की एक द्वितीय रक्षा पंक्ति है जिसकी स्थापना चीनी आक्रमण काल में 1962 में हुई थी। उस समय इस विषय में भारत सरकार के सुनिश्चित निर्देश उपलब्ध नहीं थे। 1969 में केन्द्रीय सरकार ने इसका एक प्रारूप तैयार किया जिसका अर्थ यह था कि इस संगठन को और अधिक उपयोगी एवं सक्षम बनाया जाय ताकि यह देश की आन्तरिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। देश के विभिन्न राज्यों में इस संगठन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से ही केन्द्रीय सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया। इस दृष्टि से हमें भी अपने यहां कुछ परिवर्तन करना आवश्यक हो गया। अब जो संशोधन किये जा रहे हैं उसके द्वारा इसको और अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है। यह परिवर्तन इसलिये भी आवश्यक था कि ऐसा होने पर इस संस्था पर होने वाला व्यय का 50 प्रतिशत भार केन्द्रीय सरकार वहन करेगी। अगर हम केन्द्रीय सरकार के प्रारूप के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं करते तो 50 फीसदी जो भारत सरकार की सहायता है, उससे हम वंचित रह जाते। इस दृष्टि से इस अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किये जा रहे हैं।

---

*24 अगस्त, 1971 की कार्यवाही में छपा है।

मान्यवर, अब तक जो बटालियन संगठन था उसको समाप्त करके, अब बटालियन कमान्डेंटट न रहकर जिला के स्तर पर एक जिला कमान्डेंट बनाया जायगा। पहले जो आनरेरियम उनको दिया जाता था उसमें भी परिवर्तन किया गया है और उसकी जगह उनको अब वेतन मिलेगा। अब वैतनिक अधिकारी जिला कमान्डेंट होंगे। इसी दृष्टि से अब धारा खं० में (क), धारा 6 उपधारा (3), धारा (8) खं० (क) और धारा 13 उप-धारा (4) और (5) म परिवर्तन किया गया है।

भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप के अनुसार वर्तमान होमगार्ड संगठन को पुनर्गठित करने के लिये, मंडलीय तथा राज्य स्तर पर परिवर्तन करने के साथ-साथ प्रशिक्षण की अवधि और उसके स्तर में भी परिवर्तन किया गया है। उनके स्तर को भी और ऊंचा बढ़ाया गया है।

अब मान्यवर, जिला स्तर पर कम्पनियों को उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी के सीधे नियंत्रण में रखा जायगा और बटालियन का गठन समाप्त कर दिया जायगा। मण्डलीय स्तर पर जिलों को 9 मण्डलों में समाविष्ट किया जायगा और इन मण्डलों को पुलिस अधीक्षक या मेजर के स्तर के पूर्णकालिक अधिकारी के अधीन रखा जायगा। एस० पी० स्तर के लोग ही उसके आर्गेनाइजर बनाये जायेंगे। पहले जो रीजनल कमान्डेंट पद थे उनको समाप्त कर दिया जायगा। राज्य स्तर पर भी मान्यवर, अब 2 वरिष्ठ और 2 कनिष्ठ अधिकारी तथा एक लेखा एवं प्रशासकीय अधिकारी होंगे। जिससे कार्य सुविधाजनक ढंग से स्वचालित हो सके और यह संगठन लोगों के जन-जीवन में प्रवेश कर वहां की जनता की सुरक्षा, शांति व्यवस्था और साम्प्रदायिक सद्भावना की दिशा में योग प्रदान करते हुये, उन्हें नई गति और नई जिन्दगी प्रदान कर सके।

इनके साथ लेखा और प्रशासकीय अधिकारियों के दो पदों का सृजन किया गया है और प्रशिक्षण अवधि बढ़ा दी गई है। इसके अनुसार हम प्रदेशीय स्तर पर एक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने जा रहे हैं। जिसका पुलिस अधीक्षक, श्रेणी 1 संचालन करेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रशासकीय अधिकारी, तीन ज्येष्ठ प्रशिक्षक तथा 130 अन्य कर्मचारी होंगे। प्रशिक्षण अवधि 42 दिन के बजाय 50 दिन की कर दी गई है। इसमें एक साथ 400 अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, जो सभी जिलों से चुनकर नेतृत्व प्रशिक्षण के लिये बुलाये जायेंगे। प्रथम स्टेज में केवल आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, बरेली, गोरखपुर और फैजाबाद में 'ए' श्रेणी की तथा झांसी में 'सी' श्रेणी के जिला प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जायेंगे।

जिलों में 9 समादेष्टाओं के अतिरिक्त 9 प्रशासकीय सूबेदार, 9 क्वार्टर मास्टर 9, स्टोर कीपर, 9 हवलदार क्लर्क, 34 प्लाटून कमान्डर, 181 हवलदार प्रशिक्षक तथा 9 अन्य पदों का भी सृजन किया गया है। इनके अतिरिक्त 223 अन्य पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पदों के फलस्वरूप ब्लाक आर्गनाइजर के 179 तथा वाहिनी प्रशिक्षक के 171 पदों को हमें नई सेवाओं के गठन को प्रस्तुत करते समय, समाप्त करने के लिये बाध्य होना पड़ा है। यह वस्तुस्थिति आपसे छिपी नहीं है। इन परिस्थितियों में जब हम प्रशिक्षण के नये प्राविधान की रचना कर रहे हैं और जब हमारा राष्ट्रीय इतिहास एक नये मोड़ पर खड़ा हुआ है, होम गार्ड्स की उपादेयता स्वतः बढ़ जाती है।

यह निर्विवाद सत्य है कि चीनी आक्रमण काल में उसने अपने जान की बाजी लगाकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्तुत्य कार्य किया था--चाहे वह अफवाह फैलाने वालों की गतिविधियों को रोकने का काम हो, चाहे तोड़-फोड़ करने वालों को चेक करने का काम हो या स्पाइंग पर कड़ी दृष्टि रखने का कार्य हो। उसने इन सभी दिशाओं में जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया, जो शानदार भूमिका अदा की वह भुलाई नहीं जा सकती है। इसके अतिरिक्त शान्ति काल में कुम्भ आदि मेलों के अवसरों पर जन जीवन में प्रवेश करके, शांति

[श्री रामकृष्ण द्विवेदी]

व्यवस्था बनाये रखने में अप्रतिम योग दिया है। बाढ़ की विभीषिका से सन्त्रस्त होकर जब हमारा प्रदेश डिब्रूगढ़ विनाश की प्रतीक्षा कर रहा था, पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में बाढ़ के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई थी, ऐसे समय में इस संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक जुट होकर अपने कठोर परिश्रम और ईमानदारी से डूबने वालों की प्राण रक्षा कर उन्हें रसद पहुंचा कर प्रदेश की जो सेवा की, वह भी एक शानदार और अनुकरणीय उनका कार्य था।

इसके साथ उन्होंने भारत-पाक युद्ध काल में अपने शौर्य और बलिदान का जो और ऐतिहासिक ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया उसकी जितनी भी सराहना की जाय थोड़ी है। होमगार्ड्स के ये जवान राष्ट्र भूमि की रक्षा के लिये रक्तरंजित मोर्चे पर विजय की तमन्ना लिये सीमा पर मजबूती से खड़े हुये थे। शत्रु केवल हमारा दमन ही नहीं करना चाहते थे, स्वाभिमान को ही चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, वरन् हमें अपनी तटस्थता की नीति से विलग करना चाहते थे। साम्राज्यवादी काली ताकतों और काली शक्तियों का यह प्रयास था कि यह राष्ट्र को सदा के लिये हड़प जायें। उस स्थिति में महत्वपूर्ण स्थलों पर—चाहे वह पुलों की रक्षा का प्रश्न हो, चाहे पावर हाउस के प्रोटेक्शन का सवाल हो, चाहे वाटर वर्क्स की सुरक्षा का सवाल हो, सारे होम गार्ड्स दृढ़ता के साथ खड़े होकर राष्ट्र रक्षा के कार्य में अहिनिश डटे हुये थे।

ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि उनको और भी प्रशिक्षण प्रदान करके एक ऊंचे स्तर पर हम उनको ला सकें और हमारे राष्ट्र का जो नया चित्र विश्व के मानचित्र पर उभरा है उसकी भूमिका को दृष्टि में रखते हुए इस द्वितीय रक्षा पंक्ति को समयोचित प्रशिक्षण प्रदान कर उसको गठित किया जाय तथा प्रदेश व देश के विभिन्न अंचलों में एक रूपता लाने का प्रयत्न किया जाय। इसी प्रयोजन से इस विधेयक में संशोधन किया जा रहा है। नयी योजनानुसार अब इस प्रशिक्षण में फायर फाइटिंग, शास्त्रों की दीक्षा आदि अनेक अन्य दीक्षायें भी सम्मिलित हैं। उपेक्षा की दृष्टि से उनको न देखा जाय, जन-जीवन की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके इसके लिये उचित मानदेय की व्यवस्था भी की गई है। जीवन-यापन के लिये उनको अनेक सुविधायें प्रदान की जायगी ताकि अपने मनोबल को ऊंचा उठा कर, दूरदर्शिता के साथ आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय जीवन में वह समुचित और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस दृष्टि से मेरा सदन से आग्रह है कि आज की इन परिस्थितियों में यह आवश्यक हो गया है कि सेकेंड लाइन आफ डिफेंस का रूप प्रदान करते हुए होमगार्ड्स के इस पुनर्गठन को सदन सर्वसम्मति से मान्यता प्रदान करे।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, अभी इसके पहले हमारे मुख्य मंत्री ने बंगला देश से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था और बंगला देश ने अपने अभ्युदय के बाद पहला कार्य जो किया वह यह किया कि अपनी बंगला भाषा को मान्यता प्रदान की। मुझे दुख है कि हम अब भी अंग्रेजी भाषा में इतने लिप्त हैं कि विधेयक का नाम देखें "होमगार्ड्स" यह अंग्रेजी भक्ति है। जब तक यह रहेगी देश को बचाना बहुत मुश्किल है। चीन के आक्रमण की चर्चा हमारे प्रस्तावक ने महोदय ने की और चीन के आक्रमण में हमने जो खोया उसका सबसे बड़ा कारण अंग्रेजी भाषा के प्रति हमारा प्रेम ही था। हमने अपनी तथा चीन की सीमा को बांधते समय कैलाश तथा मानसरोवर को भुला दिया और आज चीन हमारी छाती पर बैठा हुआ है, आज भी आपकी हिम्मत नहीं है उधर देखने की।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

जब आप दूसरी रक्षा पंक्ति की बात करते हैं तो उसमें दो राय नहीं हैं कि देश को जवानों की जरूरत है । जब हमारे जवान सीमा पर लड़ेंगे तब आन्तरिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये दूसरी रक्षा पंक्ति की जरूरत होती है, जो बहुत ही अनुशासित होना चाहिये। अगर आपको अंग्रेजी भाषा से प्रेम नहीं है तो आप घोषित करेंगे कि उसका नाम गृह-रक्षा वाहिनी है जैसे बंगाल में उसका नाम मुक्ति वाहिनी रखा गया। एक बार मुझे बुलाया गया और मैंने वहां पूछा कि होमगार्ड की परिभाषा जानते हो । एक भी नौजवान नहीं मिला जो कहता कि होमगार्ड का अर्थ क्या होता है। कमांडेंट आदि सब अंग्रेजी शब्द प्रयोग करने जा रहे हैं, इसे छोड़ें । मेरा सबसे बड़ा विरोध कार्य प्रणाली में है । इसको आप छोड़ें ।

दूसरे, मैं कहूंगा कि इसमें हरिजनों का जो नियमित प्रतिशत रहता है आज भी वह नहीं है, होम गार्ड जो आप चला रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जानकारी कर लेंगे। शायद बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है होमगार्ड में हरिजनों का प्रतिशत कुछ है ही नहीं । हरिजनों की भर्ती करें । हरिजनों, अल्पसंख्यक मुसलमान, पिछड़े वर्ग के लोग, इनको भी आप सुविधा दें । आज जो इसमें भर्ती हो रही है राजनीतिक रूप में हो रही है । एक दल के लोगों को, कांग्रेस के लोग, जो खद्दर की टोपी लगा कर इधर उधर घूमते थे, मालूम होता है कि उनको पेंशन दी जा रही है । इस पेंशन देने से रक्षा बनेगी नहीं । मेरा दूसरा सुझाव होगा कि इसको राजनीतिक दलदल से ऊंचा उठाओ जो भी पदों का सृजन करने जा रहे हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, उनमें आप का दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिये । यह कांग्रेसी है या विरोधी दल का है इस प्रकार का राजनीतिक भेदभाव कहीं भी नहीं करना चाहिये। राजनीतिक जो रोग हैं इस में उनको भर्ती करना ही नहीं चाहिये क्योंकि जहां देश की रक्षा का सवाल है, देश की आन्तरिक सुरक्षा का सवाल है, वहां अगर राजनीतिक लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर रखेंगे तो वह राजनीतिक अखाड़ा हो जायगा और जो हम उससे आशा रखते हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पायेगी । हम देखते हैं ब्लाक से लेकर ऊपर तक जितने भूतपूर्व जमींदार हैं सब पदाधिकारी बने हुये हैं । उनको वर्दी पहनने में लज्जा आती है, ऐसे लोगों को बना कर. जिनको वर्दी पहनने में लज्जा आती हो, जिन का कोई चरित्र न रहा हो ऐसे लोगों से काम ले सकें, यह असंभव है। मैं अधिक नहीं कहूंगा, क्योंकि मंत्री जी का संशोधन बहुत मामूली है । मेरा एक निवेदन है कि इसका जो नामकरण है, होमगार्ड इसका नाम बदल दें । और जहां-जहां इसमें अंग्रेजी शब्द आये हैं, अगर आप चाहते हैं कि बंगला देश से कुछ सीखें बंगला देश जिन्दाबाद, मुजीब जिन्दाबाद के नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, बंगला देश ने आपको चपत मारी है, आपको अहसास नहीं हो रहा है, आप इसको वापस ले लें और हिन्दी शब्द रखें । यह मेरा निवेदन है।

*श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, होम गार्ड संबंधी विधेयक आज सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ । मैं इसका स्वागत करता हूं । खासतौर से इसलिये कि इस देश की आजादी के बाद आज तक इस देश के सारे शासन को चलाने वाली जो प्रणाली है वह वही प्रणाली चल रही है जो अंग्रेजों ने बनायी थी । अब अंग्रेज चला गया किन्तु खुद की बात यह रही कि शासन और ऐडमिनि-स्ट्रेशन चलाने के लिये वही पुरानी पुलिस, वही पुराने अधिकारी रहे जिनकी वजह से पिछले 23, 24 सालों के अन्दर यह देखने में आया कि प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिये वह मशीनरी जो कि अंग्रेज छोड़ गये थे, कोई ज्यादा अच्छी साबित नहीं हुई बल्कि दिन ब दिन उस पुरानी मशीनरी और उसके काले करतूतों के कारण इस देश की प्रजातंत्रीय शक्तियों पर बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, लोगों के मन में यह भावना पैदा हुई, उनको डिस-सटिसफैक्शन हुआ और उनकी परेशानियां घटने के बजाय और बढ़ती ही गईं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

आज मुल्क के अन्दर एक ऐसी संकटकालीन स्थिति आई और उस संकटकालीन स्थिति से यह देश जिस कामयाबी के साथ निकला उसकी जितनी भी सराहना की जाय उसके रहनुमाओं की, उनकी शक्तियों की चाहे वह पैदल फौज, नेवल फौज या हवाई फौज हो थोड़े ही है । वह डटी रही । एक तरफ तो जहां हमारी सरहदों पर ये फौजें डटी हुई हैं और देश की रक्षा में लगी हुई हैं दूसरी तरफ देश के आन्तरिक मामलों को सुधारने के लिये कौन-सी आपके पास सेकिंड लाइन आफ दि डिफेंस है । इसीलिये मैं खासतौर से इस विधेयक का स्वागत करता हूं कि कम से कम आज पहली बार यह बात सोची गई कि होम गार्ड को बनाया जाय । इस होम गार्ड को सन् 62 में बनाया गया था ।

इसके अन्दर अवश्य कुछ तबदीलियां होनी चाहिए और कुछ इस तरह की बातें इसके अन्दर रखी जानी चाहिए ताकि यह जो हमारी सेकेंड लाइन आफ डिफेंस है वह ज्यादा ऐक्टिव हो सके और उसको ज्यादा बल मिल सके ताकि अगर कभी किसी वक्त देश को फिर संकटकालीन स्थिति का सामना करना पड़े तो अन्दरूनी मामलों में जो गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं, इसके पीछे जो शक्तियां काम करती हैं, जो कि देश और प्रदेश के हित में नहीं होती हैं, उनके ऊपर निगरानी रखी जा सके । उसके लिये यह होम गार्ड की जरूरत महसूस की गई । इसलिये इसको अधिक शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये ताकि वक्तजरूरत हम इससे काम ले सकें । अगर माननीय मंत्री जी इस लाइन के ऊपर सोचें कि अगर कोई समय ऐसा भी आ जाय इस मुल्क के ऊपर, कि जनता का किस प्रकार से इस पुलिस फोर्स और पुलिस संस्थाओं से डिस-सैटिसफैक्शन पैदा हो गया है और यदि इन संस्थाओं को डिजाल्व भी कर देना पड़े तो उस समय हमारे यह होम गार्ड की संस्था पूरी तरह से काम में आ सके । इसलिये इसको काफी मजबूत होना चाहिये ताकि वह हर मामले में कंट्रोल कर सके, समाज की सेवा कर सके और डिमो-क्रेसी मजबूत हो सके । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहता हूं कि होम गार्ड की संस्था को आप इस लाइन से सोचें उसको उसी प्रकार की तालीम और शिक्षा दें ताकि ऐसे मौकों पर वह काम आ सकें और उसका हम इस्तेमाल कर सकें ।

साथ ही साथ इस होम गार्ड को इस तरह की तालीम देनी चाहिये ताकि देश के अन्दर ऐसे तत्वों के ऊपर कड़ी से कड़ी निगरानी रखी जा सके । खास तौर से इसके ऊपर कंट्रोल रखा जाय कि यह फोर्स भी कहीं हमारे पुलिस फोर्स की तरह से गलत रास्ता अख्तियार करना शुरू न कर दें यह खास तौर से फर्ज हो जाता है । अगर इस होम गार्ड की संस्था को हमने प्रजातंत्र को महफूज करने के लिये उसकी रक्षा करने के लिये, जनता की सेवा करने के लिये, एक सेकेंड लाइन आफ डिफेंस की शक्ल में, जो भी प्रदेश के अन्दर गलत-सलत तत्व होते है, उन सब को कंट्रोल करने के लिये अगर हम इस होम गार्ड को हम सही तरीके से साबित कर पाये तो यह बड़ी भारी सफलता होगी, इस नये दौर की और नयी समझबूझ की । इन्हीं आशाओं के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)----

अधिष्ठाता महोदय, मैं सब से पहले तो जो हमारे गृह रक्षक हैं मैं बड़ा आभारी हूं चौधरी साहब का जिन्होंने सुझाव दिया कि हम होम गार्ड्स का नाम बदल दें और मेरा ऐसा ख्याल है है कि हमारे मंत्री जी अपने दिमाग के दरवाजे को बन्द कर के नहीं बैठे हैं, वह इसको स्वीकार भी करेंगे—तो यह जो गृह रक्षक वाहिनी हमारी है इसको बहुत बधाई दूंगा । हम सब सहमत होंगे कि जितना काम जवानों ने सीमाओं पर किया और नागरिकों ने किया तो गृहरक्षकों की जो वाहिनी है, जिसको होम-गार्ड्स कहते हैं उन्होंने कोई कम काम नहीं किया । उन्होंने दूसरी रक्षा की पंक्ति बन करके उन स्थानों की रक्षा की है वे उन जगहों पर काम आये हैं जहां पर बड़ा संकट था, बड़ी आवश्यक थी रक्षा करनी, जैसे कि बिजली के बड़े-बड़े केंद्र थे और सुरक्षा के स्थान थे, वाटर-वर्क्स थे ।

मैं समझता हूं कि जो आज संशोधन लाया गया है वह कोई बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है यद्यपि मैं इसका विरोध करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। लेकिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे कुछ इसमें लोगों के वेतन देने की बात तय करते हों बटैलियन कमांडर को जिले का कमांडर बनाने जा रहे हैं, यह कोई महत्व की बात नहीं है। अगर यह कुछ महत्व रखता है तो मैं दो-चार सुझाव रखता हूं।

एक तो श्रीमन्, सब इस बात से सहमत होंगे कि जो हमारा सैनिक सेवा से निवृत्त हो जाता है उसकी सेवाओं का हम सदुपयोग नहीं कर पाते। कई बार तो वह दूर-दूर के गांव में खेती में लगा रहता है, कहीं हरों में समय बेकार करता है, सरकार से कर्जा मांगता है, दूसरे छोटे-छोटे कामों में लगा रहता है। क्या ही अच्छा हो अगर उनको इन सेवकों में अधिक से अधिक प्राथमिकता देकर अच्छे अच्छे पदों पर लगायें। उससे सैनिक को मालूम होगा कि सेवा से निवृत्ति होने पर उसे कुछ काम मिल जायगा। दूसरे, उसकी जो योग्यता है, अनुभव है, जानकारी है, उसका हमारी सुरक्षा पंक्तियों को लाभ होगा। यह जो गृहरक्षक का दायरा है उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिये। आज हम उस दायरे के अन्दर थोड़ी सी लोगों को शिक्षा देते हैं, लोगों को भरती करते हैं। मेरा निवेदन है कि देश और प्रदेश के अन्दर जितने तरुण हैं या ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं शारीरिक रूप से जो इस काम में आ सकते हैं, जो बीमार नहीं हैं, कम आयु के नहीं हैं या बिल्कुल वृद्ध नहीं हैं और श्रेणी बना लीजिये, रियासत साहब भी, हम लोग भी उसमें आ जायेंगे। मंत्री जी हाथ में बन्दूक लेकर शाम को परेड करेंगे, मैं भी रहूंगा और हर रोज इस देश का हर नवयुवक और हर वह व्यक्ति जो कि इस आयु की सीमा के अन्दर 16 साल से ऊपर और 45--50 साल की आयु तक का---हमारे जो पांडेय जी हैं राजित राम, ऐसे नौजवान भी होंगे और हमारे हाथ में बन्दूक होगी। एक-डेढ घंटे ट्रेनिंग लेंगे।

इसका आप एक बड़ा वसीय दायरा बना दीजिये। इसमें लोग कुछ पाने की कोशिश नहीं करेंगे। कोई यह नहीं कहेगा कि वेतन दीजिये, आनरेरियम दीजिये। बहुत से लोग इसीलिये आयेंगे कि उनको राइफल की ट्रेनिंग हो जायगी और आपकी गृह रक्षक पंक्ति में उनके नाम दर्ज हो जायेंगे। अगर हर शहर के अन्दर, हर गांव के अन्दर हर ब्लाक के अन्दर कई कई हजार लोगों को हम ट्रेनिंग दे पायेंगे और उनको इस दायरे में ले लेंगे उनको एक कतार में खड़ा होना सिखा देंगे, उनको देश भक्ति और देश प्रेम की भावना दे देंगे तो इस देश का नक्शा दूसरा ही होगा। इसमें मैं समझता हूं किसी संदिग्ध व्यक्ति को न लिया जाय।

मैं माननीय शम्भूनाथ जी सहमत नहीं हूं जिन्होंने कहा कि इसमें हर बिरादरी और जाति के लोगों को लेना चाहिये। मैं जातिवाद में नहीं जाना चाहता हूं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें संदिग्ध व्यक्ति को न लिया जाय। अब संदिग्ध व्यक्ति कौन है, कौन नहीं है? वह किसी भी जाति और सम्प्रदाय का हो सकता है। इसलिये इसकी छानबीन होना आवश्यक है। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि जो गृह रक्षक भर्ती किये गये हैं उनकी कोई जांच नहीं की गई है। जब सरकारी नौकरी में किसी को रखा जाता है तो उसके चरित्र का वैरीफिकेशन पुलिस द्वारा होता है। उसमें दीवान जी जाकर पूछ आते हैं। इस तरह की जांच नहीं होनी चाहिये। यहां पर जांच करनी होगी कि इसके परिवार का इतिहास क्या रहा है, इसने क्या-क्या काम किये हैं और यह कैसी कार्यवाही करता है क्योंकि कि गृह रक्षक को वाटर वर्क्स, बिजलीघर, नदियों के पुल तथा रेलवे लाइन की रक्षा के लिये रखा जाता है। अगर इसमें एक भी संदिग्ध व्यक्ति को आपने यदि ले लिया तो बाद को हटा नहीं सकते हैं। इसलिये ट्रेनिंग के लिये जब उनको लें तो उसी समय उनकी अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिये।

एक सुझाव यह है कि गृह रक्षक दो श्रेणी के हो सकते हैं। एक तो वैतनिक होंगे जिनको पूरे समय काम में लगाना होगा। दूसरे ऐसे हो सकते हैं जो अवैतनिक काम करेंगे।

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

उनको आप ट्रेनिंग दे दीजिये और जब मौका पड़े तो सर्विसेज ले लीजिये, इन सबको मालूम होना चाहिये कि उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं ? इसका विरोधी नहीं हूं कि परिवार नियोजन में जो नसबन्दी करा लेता है उसको आप कुछ सुविधायें देते हैं। इसी तरह से होम गार्ड्स के लिये भी कुछ सुविधायें तय कर दीजिये। इसको नौकरी में प्राथमिकता दी जायेगी, इसके बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी जायेगी, वगैरा। इस तरह की सुविधायें जब आप इनके लिये तय कर देंगे तो आपका यह संगठन सुदृढ़ होता चला जायेगा और इसमें अच्छे लोग आयेंगे। हमारे गृह मंत्री नव युवक हैं और वे अच्छी बातों को अपनाने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप इन सुझावों को स्वीकार करेंगे और मौके आने पर उनको कार्य रूप में परिणित करेंगे। इस विश्वास के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)----

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि हम लोग होम गार्ड्स के ऊपर अपने सुझाव दे सकें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के ऊपर जो आक्रमण दूसरे देश द्वारा हुआ उसको रोकने के लिये हमारे कितने ही वीर माताओं के लाल, पिताओं के पुत्र तथा पत्नियों के पति शहीद हुये हैं उनके लिये मैं सर्व प्रथम बधाई देता हूं। उन्होंने अपनी कर्त्तव्य निष्ठा से देश की रक्षा की है और अपने शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त की है जिसकी सारे संसार ने प्रशंसा की है। मान्यवर, मैं इस संबंध में आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के सभी स्त्री-पुरुषों को सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। ऐसा प्रस्ताव पारित करके हमें केंद्रीय सरकार को भेजना चाहिये। जब इस प्रकार की बात हो जायगी तभी हमारे देश के नौजवान बलशाली हो सकेंगे।

आज हम देखते हैं कि किसी मिनिस्टर या एम० एम० एल० का लड़का फ्रंट पर नहीं मारा गया है। मैं चाहता हूं कि चाहे मंत्री हो अथवा संतरी हो, सभी को तथा उन सभी के लड़कों को देश के लिये बलिदान होना चाहिये। जब मंत्रियों और काश्तकार के लड़के दोनों के हक बराबर होंगे तभी देश का सही कल्याण होगा। यह कोई अच्छी बात नहीं है कि फ्रंट के ऊपर जाकर देश के किसानों के लड़के ही जाकर मरें। जो हरियाणा तथा पंजाब के नौजवान शहीद हुये हैं मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन कुछ लोगों की ओर से यह कह दिया जाता है कि चमारों को मिलिटरी में नहीं लिया जाना चाहिये। यह ठीक नहीं है।

जिस प्रकार से सिविल में 18 फीसदी उनका स्थान है वैसा ही मिलिटरी में भी होना चाहिये और उनको भी देश की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिये। उन्हें भी अपने देश से प्रेम है, वे भी देश के लिये अपने प्राणों को निछावर कर सकते हैं। जब इस प्रकार से अपने देश की फौज का गठन करेंगे और फौजी शिक्षा अपने बालकों को देंगे तो अमेरिका आदि किसी भी बड़े देश को हमारी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। माननीय नित्यानन्द जी ने जो सुझाव दिया है, मैं उससे सहमत हूं। जब कि फ्रंट पर गरीब किसान और मजदूरों के 80 फीसदी लड़के मरे उस समय मंत्री और एम0एल0ए0 अपने घरों में लड़ाई की खबरें ही सुनते रहे। भले ही उन्होंने आर्डर दिये लेकिन दफ्तरों में बैठकर ही दिये। महाराजा, पटियाला और महाराजा जयपुर स्वयं लड़ाई में जाकर लड़े। इस तरह से लड़ना चाहिये। जब तक मंत्री और संतरी दोनों को समान अधिकार नहीं होंगे, देश का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि 18-25 वर्ष तक के विद्यार्थी और देश की सारी जनसंख्या के लिये फौजी शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। ताकि समय पर वे देश की रक्षा कर सकें और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे देश की ओर किसी को आंख उठाने की हिम्मत न हो सके। इन शब्दों के साथ मैं जय भारत जय हमारा हिन्दोस्तान, जय हमारे नौजवान और शहीद तथा जय उन लोगों की जिनके बेटे शहीद हुए, बोलता हुआ स्थान लेता हूं ।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

जिन मिनिस्टरों के लड़के नहीं हैं उसका भी कोई आल्टरनेटिव है?

श्री मुंशीलाल चमार—

जिन मिनिस्टरों के बच्चे नहीं है तो उनके बनाने के लिये मशीन भी अपने तैयार कर दी है, उससे बनवाये जांय ।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

आपके अगर नहीं हैं तो मुन्शीलाल जी को गोद ले लीजिये आपके बच्चे हो जायेंगे। (हंसी)

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, यह बिल जो आज प्रस्तुत किया गया है सचमुच में इसे प्रस्तुत करके एक खिलवाड़ किया गया है। आशा हम यह करते थे कि 20 साल की आजादी के बाद और खास करके इस लड़ाई के बाद होम गार्ड्स के महत्व को हम समझ पायेंगे। लड़ाई के जमाने में कितना काम ये करते हैं और आवश्यक चीजों की रक्षा में कितने तत्पर ये रहते हैं यह सारी बातें देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि होमगार्ड्स का अच्छा सुधार होना चाहिये और इसी के अनुसार अगर यह बिल आया होता तो आज मैं इसका स्वागत करता। लेकिन इसको पढ़ने के बाद मालूम यह होता है कि खाली एक कर्मचारी और बढ़ाने के लिये यह बिल लाया गया है न कि इसलिये इसमें होम गार्ड्स के सुधार की बात कही गयी है। खाली एक जिला कमान्डेन्ट की नियुक्ति की जायगी और सेन्ट्रल गवर्नमेंट उसके लिये पैसा देगी। इसमें एक चीज और भी हुई है। इसको आप जरा पढ़ें, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है :

"उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 के संबंध में वित्तीय ज्ञापन

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 के अधिनियमित हो जाने पर उसके खंड 2 (1) में प्रस्तावित धारा 2 (क) के अनुसार बटालियन कमांडेंट के स्थान पर जिला कमान्डेन्ट की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिये जिला कमान्डेन्ट के पद सृजित करने पड़ेंगे। परन्तु चूंकि जिला कमान्डेन्ट के पदों के सृजन के साथ-साथ होम गार्ड संगठन में बटालियन का प्रारूप समाप्त हो जायगा और कुछ अन्य पद भी समाप्त हो जायेंगे, अतः जिला कमान्डेन्ट के पद सृजित किए जाने पर कोई अतिरिक्त व्यय भार नहीं होगा।"

इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि जिला कमान्डेन्ट की नियुक्ति की जायगी और उसके ऊपर अतिरिक्त भार नहीं होगा। कैसे ? उसमें कुछ कर्मचारी हैं जिनको निकाल दिया जायगा। अगर यह बिल इसलिये लाया गया है कि एक कर्मचारी की नियुक्ति की जाय और कई कर्मचारी इस प्रदेश में निकाल दिये जांय तो मैं मूल रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

लड़ाई के जमाने में जिन होम गार्ड्स के जवानों ने मातृभूमि की सेवा करने में इतनी तत्परता दिखलाई थी क्या उनको यह कांग्रेस सरकार यही पुरस्कार देने जा रही है ? अगर इसकी यही भावना है तो इस बिल को तत्काल आप वापस ले लिजिये क्योंकि आज जो स्थिति हुई है पाकिस्तान की लड़ाई से और जब सन् 62 में चीन से लड़ाई हुई थी तो यही होमगार्ड्स के जवान थे जिन्होंने रेलों और पुलियों की रक्षा की थी, नगरपालिकाओं में वाटर टैंकों की रक्षा की थी और इस पाकि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री त्रिवेणी सहाय—]

स्तान की लड़ाई में वीरतापूर्वक खड़े होकर एक आदर्श स्थापित किया। आपकी सरकार यह कलंक का टीका लगाने जा रही है कि उन कर्मचारियों को जिन्होंने अहर्निश काम किया है, उन्हें निकालने जा रही है।

हमने और आपने शायद अपने घरों और पुलिस स्टेशनों में बैठकर यह जाना होगा कि लड़ाई में कितने लोग मारे गये लेकिन उन बहादुर जवानों से पूछिये जिन्होंने रात रात खड़े होकर देश की सेवा की है। क्या उसका परिणाम यही निकलना चाहिये कि जिला कमाडेन्ट की नियुक्ति की जाय और कुछ कर्मचारियों को निकाल दिया जाय ? अगर निकाला नहीं जायगा तो उनको भत्ता कहां से मिलेगा ? इसलिये मैं इस बिल का घोर विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको आप वापस ले लें। इसके अतिरिक्त नित्यानन्द जी ने जो सुझाव दिया उसके अतिरिक्त मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। अभी तक जिलाधिकारी होम गार्ड का इन्चार्ज होता था। आज आप जिला कमान्डेन्ट उसके स्थान पर लाना चाहते हैं जो सारी चीजों को देखेगा। जिस प्रकार से पुलिस ऐडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर रखा है। जिस प्रकार सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर रखा है और जिस प्रकार आपने पी0ए0सी0के एडमिनिस्ट्रेशन को अलग कर रखा है, उसी प्रकार से मेरी मांग है कि हमारा जो होम गार्ड का विभाग है जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उसको जिलाधिकारी के नीचे से निकालें और इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व खड़ा करें। ताकि यह अपनी अकल से कोई काम कर सके और किसी प्रकार के पौलिटिकल प्रैशर में न रह सके। तब मैं समझूंगा कि आपने होम गार्ड के लिए कोई एचीवमैंट किया है। वर्ना यह होगा कि जो जिला-कमांडैन्ट के पद होंगे उन पर आपके जो आई0 ए0 एस0के लोग होंगे उनकी इन पदों पर भर्ती हो जायेगी। इस समय जब कि पाकिस्तान के साथ हमारे लोगों ने बहादूरी का रिकार्ड कायम किया है इसको पुलिस से अलग न करना हमारे लिए कलंक का टीका होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक होम गार्ड के सम्बन्ध में पेश किया गया है, उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि यह कोई नयी बात नहीं है। हर विधायक को यह ज्ञात है कि जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय देश के लोगों ने सोचा कि यहां पर एक रक्षक दल तैयार किया जाय जिससे गांव और देश की रक्षा हो सके। सोचा गया कि हमारे देश में इस तरह की एक इमानदार संस्था कायम हो, इस तरह का संगठन हो जिससे हमारे गांव की रक्षा हो सके और देश को आगे बढ़ाने में हमें सहायता और बल मिल सके।

आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब इसकी बुनियाद पड़ी तो गांव-गांव में यह संस्था बनी, इसके ग्रुप लीडर बने और गांव में एक सेना तैयार हुयी जिससे बड़े-बड़े डाकुओं का मुकाबला किया गया और डाकुओं और चोरों द्वारा जो गांवों में अत्याचार हुआ करता था,उसकी रोकथाम हुयी। लेकिन हमारी कांग्रेसी सरकार ने इस काम में इतनी लापरवाही बरती कि हमारे जो गांव के सुरक्षा दल के सिपाही थे वे दिखायी नहीं पड़ते। आज आप होम गार्ड्स की बात करते हैं। उस समय रक्षक दल और अब रक्षक बाहिनी अगर उसे कहा जाय तो कोई बुरी बात नहीं है। सरकार की वही हालत है जैसे एक लोमड़ी की होती है। जब उसे ठंडक लगती है रात को तो वह कहती है "होत बिहान बिल खन्नो-खन्नो" और जब सवेरा होता है तो चुप हो जाती है। मैं साफ बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की लड़ाई में उनकी फौज का मुकाबला मुक्ति बाहिनी और हमारे देश के नौजवानों ने किया। हमें इसकी बुन्याद को मजबूत करना है न कि मौका पड़ने पर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज भारत के ईमानदार नौजवान और बच्चे बूढ़े सब इस बात का अरमान लेकर लड़ाई लड़े हैं कि हमें देश की रक्षा करना है । हमारा भारत दुनिया में एक देश है कि जहां पर लोगों ने सीक का बाण बनाकर मारा है, बड़े बड़े पहाड़ों को उठाकर इधर से उधर रख दिया गया है । भरत जी ने हनुमान जी को हिमालय पहाड़ से वाण मारकर लंका तक पहुंचा दिया । हमारा भारतवर्ष सदा से वीरों की भूमि रहा है केवल बीच के जमाने में कुछ गद्दारों की लापरवाही से हमें कुछ दिन गुलाम रहना पड़ा लेकिन हमारे देश की रगों में वह खून है, उसके अन्दर वह आत्मा और वह दिल है और वह सूझबूझ है जिस पर वह सदा विजयी रह सकता है और हमारी आज की सन्तानों के दिलों में भी वही बात बैठी है । होम गार्ड्स के विषय में मुझे महज यह कहना है कि जिला स्तर पर तो कमान्डरों की नियुक्ति हो जायगी यह कोई नई बात नहीं है लेकिन जो यह बुनियादी संगठन बनाये गये थे और जिस पर सारा गावों से लेकर जिला तक का संगठन रक्षा की दृष्टि से चलाना है उस के लिये केवल इस तरह कमान्डरों की नियुक्ति से काम नहीं चलेगा । हमारा यह संगठन ऐसा तैयार होना चाहिये कि जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर सक ।

आप सैकड़ों हजारों रुपया खर्च कर के सेना पर, पुलिस पर और फौज पर अपने देश की रक्षा करते हैं लेकिन आज जरूरत है कि एक एक बच्चे को फौजी ट्रेनिंग दी जाय, यह नहीं कि यहां जिला स्तर पर तो कमान्डर नियुक्त हो जाय और देहात में कोई ट्रेनिंग बन्दूक चलाने की न दें और किसी तरह से वहां के संगठनों को मजबूत न करें । मैं आप को बताना चाहता हूं कि आप के होम गार्ड्स ने लाठियां के बल पर रात-रात सड़कों की रक्षा की है, आप के बिजली घरों की रक्षा की है, बड़े-बड़े सरकारी सरकारी दफ्तरों की रक्षा की लेकिन आपको सोचना चाहिये कि होमगार्ड्स को इस सम्बन्ध में आपने क्या सहायता दी । उन पर कोई जोर नहीं दिया गया । उन को अपने बचाव के लिये ट्रेनिंग दी जाय, आप इस तरह से उनकी तैयारी करें ताकि वह संगठन कमजोर न रहकर मजबूत हो जाय । आप इसको एक मजबूत इकाई बनाये वर्ना आप को बाद में यह सोचना होगा कि आपने क्यों इन होम गार्ड्स को निहत्था बनाकर बेकार कर दिया । अगर आप उन को मजबूत बनायेंगे तो हमें विश्वास है कि वह अपनी ईमानदारी का परिचय देंगे ।

आप फौज और पुलिस के बल पर देश को जितना मजबूत बनाना चाहते हैं होम गार्ड्स की अवहेलना करके आप अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत नहीं बना सकते । आप को यह सूझ-बूझ तो आ गई कि पुलिस और फौज को मजबूत रखना है लेकिन यह नहीं कि जो हमारी गांवों तक पहुंचने वाला संगठन है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता । यह ठीक है कि हमारी फौज ने बड़ी बहादुरी से काम किया, हमारे देश के रुतबे को बढ़ाया लेकिन अगर आप उसके साथ ही इस होम गार्ड के संगठन को मजबूत करेंगे तो आप की रक्षा पंक्ति आरम्भ से ही मजबूत होगी और हर तरह की हिफाजत उसके द्वारा हो सकेगी । लेकिन अगर इसमें लापरवाही की गई और अफसरशाही को ही आगे बढ़ाने की कोशिश की गई तो हमारा मतलब पूरा न होगा । इससे हमारे देश की शान को बड़ा धक्का लगेगा ।

इस विधेयक के संबंध में मुझे कहना है कि इस तरह से बड़े अधिकारियों के बढ़ाने से काम न चलेगा । होम गार्ड्स को, उनके बच्चों को भी वैसी ही सहूलियतें दी जायं, उनको भी वही इज्जत दी जाय जो कि सेना और पुलिस के लोगों को दी जाती हैं । मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा काम न करे कि वक्त गुजर जाय और होम गार्ड्स की अवहेलना होती रहे । यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सरकार का ध्यान इस तरफ अब गया है जिस के प्रति 22 साल से बराबर एक दम लापरवाही बरती गई है । अब हमें उसे बहुत मजबूत बनाना चाहिये । कानून की शक्ल देकर उस के खोखलेपन को और नहीं बढ़ाना है वर्ना आप को बाद में पश्चाताप होगा और यही कहकर मैं सरकार से बार-बार पुनः निवेदन करता हूं कि हाय रे, हमारी बाइस साल की सरकार, उसको यह कहने का अवसर नहीं देना चाहिये कि 22 साल तक लापरवाही की है यह कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं ।

श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, होम गार्डों का जो बिल मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी मेरे माननीय साथियों ने अलोचना की कि बाइस साल तक इस होम गार्ड दल को उपेक्षा की गई। कांग्रेस सरकार की तरफ से लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार का ही सिर्फ क्या इसमें दोष है। दो बार संविद की सरकार बनी है। आपने कौन सी होम गार्ड के बारे में तरक्की की बात सोची या का उनको कौन सी तनख्वाह बढ़वाने की बात सोची। इन बेचारों को मिलता ही क्या है? जिस दिन वह ड्यूटी पर जाता है तो उस दिन उसको सिर्फ तीन रुपये रोज के हिसाब से मिलते हैं और जिस दिन वह ड्यूटी पर नहीं होता है तो उसको एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। अच्छा होता कि संविद की सरकार की तरफ से भी यह सोचा गया होता कि जितने होम गार्ड्स हैं उनको सबको पक्का किया जाता। उनकी तनख्वाहें तथा प्राविडेन्ट फन्ड्स की व्यवस्था की जाय। लेकिन इस तरह की बात न उठाकर एक साथी ने पहले यह कहा कि जिले में एक कमान्डर की नियुक्ति होगी। बाकी कई कर्मचारियों को सेवा से मुक्त कर दिया जावेगा। ऐसे प्रचार करने को मैं समझता हूं अपने दिल व दिमाग को धोखा देना होगा।

मैं यही कहूंगा कि आज जो सरकार ने निश्चय किया है कि हम होम गार्ड्स से काम लेना चाहते हैं और उनके कमान्डरों से काम लेना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। तो फिर उनकी नियत पर संदेह न करके समर्थन करना चाहिये। मैं इस सदन के माध्यम से और अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जितने भी होम गार्ड्स हैं उनको पुलिस के ही बराबर का दर्जा एवं बराबर ही तनख्वाह दी जाय और उनकी सेवाओं को पक्का किया जाय। उनको प्राविडेन्ट फन्ड की व्यवस्था एवं क्वार्टर्स दिये जायं और उनको हथियारों से भी लैस किया जाय। जिससे जब भी देश पर मुसीबत आये तो ये भी पुलिस, पी० ए० सी० और फौज की तरह देश की रक्षा के लिये उनके आगे की पंक्ति हीं में देश की सेवा कर सकें। यदि इन्हें निःशस्त्र रक्खा गया और इनको पूरा पैसा न देकर केवल उसी रोज के लिये इनको तीन रुपये ही दिये गये और जब ये काम न करें तो इनको टके में भी न पूछा जाय तो इनको निराशा होगी और इनका मनोबल गिरेगा। फिर कोई भी होम गार्ड्स में भरती के लिये तैयार न होगा। श्रीमन् जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो इन होमगार्डों ने रात दिन पहरा देकर रेल एवं जनता की बहुत बड़ी सेवायें की। इन्होंने अपने बच्चों एवं नौकरी की परवाह न करके परिश्रम किया है। इनकी सेवायें भुलाई नहीं जा सकती हैं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि होम गार्ड्स की बड़े पैमाने पर भर्ती हो क्यों कि प्रदेश में पुलिस की बहुत कमी है। गांव-गांव में चोरी डकैतियां होती हैं। पुलिस मौके पर पहुंच नहीं पाती है। यदि होम गार्ड्स की यूनिटें गांव गांव में कायम कर दी जांय और पुलिस जैसा काम इनसे लिया जाय जो आज जो बहुत सी राहजनी या तस्कर व्यापार या मादक वस्तुओं की नाजायज बिक्री होती है उसमें रोक थाम होगी। और उससे सरकार की आय भी बढ़ेगी। देश और प्रदेश की सुरक्षा बढ़ेगी और सरकार भी मजबूत होगी गांवों की गरीब जनता सुरक्षित होगी।

प्रत्येक गांव में इन होम गार्ड्स को तैनात किया जाय और इनको शस्त्रों से लैस किया जाय और इनकी तनख्वाह रोजनदारी के हिसाब के स्थान पर मन्थली की जाय। प्राविडेन्ट फन्ड दिया जाय और इनकी नौकरी पक्की की जाय जिस तरह से पुलिस, पी० ए० सी० और फौज का रैक्रूटमैन्ट होता है उसी तरह से इनकी भी भर्ती की जाय। और उसी प्रकार की नियमावली इन पर लागू हो। यदि इस तरह की गारन्टी उनको दी जायेगी तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के गांव भी रक्षित होंगे गांव के कृषकों को भी सुरक्षा मिलेगी और गांवों में सरकार की नींव भी जमेगी और जो अन्याय, अत्याचार और चोरी डकैती होती है या नाजायज वस्तुओं की जो बिक्री होती है उसमें रोकथाम होगी। यह तभी होगा जब इनकी नौकरियों को पक्का किया जायेगा और उन्हें सम्मान दिया जावेगा।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा ऋणी हूं कि आपने मुझे इस ईशु पर बोलने का मौका दिया। जो यह बिल पेश किया जा रहा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि इसको इतनी महत्ता दी जा रही है जिसकी उतनी जरूरत नहीं है। जितनी होम गार्डों की तारीफ की जा रही है उसके लिये मैं समझता हूं और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरी बातों को नोट कर लें और उस पर गौर करें। होम गार्ड का जो बिल पेश किया जा रहा है उसके लिये जो इतनी कुर्बानी से पेश कर रहे हैं उसके लिये मैं कहूंगा कि वे टिक-मार्क करें। जिनमें देश भक्त भी हैं। उनमें 20 साल और 25 साल और 30 साल के कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, जिनके गले पर आज आप यह छुरी चलाने जा रहे हैं। यह अगर ऐसा कर दिया गया तो फिर यह होम गार्ड नहीं बल्कि पुलिस गार्ड होकर रह जायेगा।

आज एक जगह भी होम गार्ड वालों के लिये जो ओरिजनल कार्यकर्त्ता हैं उनके लिए नहीं रखी गई है कि उनको परमानेंट किया जा सके। इसके अन्दर जो कमान्डेंट होंगे या असिस्टेंट कमान्डेंट होंगे वे सब पुलिस से ही आकर हो जायेंगे। आज इसमें ऐसे लोगों को ही रख दिया जाता है जो पुलिस से भ्रष्टाचार में निकाल दिये जाते हैं या मुअत्तिल कर दिये जाते हैं। पुलिस स्टाफ भी यहां आकर अफसर हो सकता है। वह पुलिस का अफसर वहां बैठकर होम गार्ड के ऊपर हुकूमत करता है। जिनका जनता से सम्पर्क रहता है और जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको वहां पर कोई स्थान नहीं मिल पाता है।

होमगार्ड के लोग या प्रान्तीय रक्षा दल के लोग जिन्होंने देश के लिये या होम गार्ड के लिये अपना रक्त दिया है उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जितनी जगहें क्रियेट होती हैं उन सब पर 20 साल से पड़े हुये लोगों को कोई जगह नहीं मिलती है। वे बेचारे अनकन्फर्म ही पड़े रह जाते हैं। मैं मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरह का विधेयक पेश करके उन लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं जिन्होंने बार्डर पर बहुत अच्छा काम किया है और इस प्रदेश की सेवा की है। उन लोगों ने दिन रात कोशिश करके इसको बनाया है लेकिन वे लोग बेचारे अनकन्फर्म ही रिटायर होंगे। उनको चान्स नहीं दिया जा रहा है।

मेरा निवेदन यह है कि अगर 4 पोस्ट क्रिएट की जायं तो उनमें कम से कम 2 पोस्ट उन लोगों को दी जायें जो 20, 30 साल से ऐसे ही अनकन्फर्म चले आ रहे हैं। बीच में यह पुलिस की दीवार है इसकी वजह से सारे फैक्ट मन्त्री जी के सामने नहीं आ पाते हैं। उनकी नजर से इस सच्चाई को दूर रखा जाता है। उनके साथ यह बड़ा भारी अन्याय किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस पर दोबारा गौर करें। आधे घंटे में इस विधेयक को पास करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके अन्दर धोखा है और इस तरह से 10 हजार आदमियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उनकी पोस्ट अनकन्फर्म रह जायगी और इस तरह से यह पुलिस गार्ड हो जायगा। इस तरह से इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि उन लोगों के लिये लाभदायक हो सके जो पुराने जनता में कार्यकर्ता रहे हैं। इसमें उनका इन्टरेस्ट रखना भी जरूरी है। प्रदेश का भी इसमें इन्टरेस्ट है कि इस बात पर विचार किया जाय। मन्त्री जी इन सब बातों पर विचार करें कि आप किस तरह से उनको गारन्टी दे रहे हैं।

प्यारे लाल जी मेरी बात को अनसुनी करके चले गये। वह उनके लिये तनख्वाह की बात करते हैं लेकिन जो इतने दिनों से काम करते चले आ रहे हैं उनके लिये भी तो कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र भान शर्मा--]

गारन्टी होनी चाहिये कि उनका लाभ हो। वे बेचारे 20 साल से अनकन्फर्म पड़े हुये हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन में जाने के लिये उनके वास्ते दीवार खड़ी कर दी गई है। यह सब बातें मन्त्री जी की आंखों से ओझल रखी गई हैं। इसलिये मैंने आग्रह करके यह कहा था कि आप दोबारा इस बिल पर विचार करें। यह तो आप ऐसा बिल पेश कर रहे हैं जिसके अन्दर होम गार्ड की गरदन काटी गई है। वे आगे के लिये क्या देश की सेवा कर पायेंगे जब आप इनके लिये कोई गुंजायश नहीं रख रहे हैं? बेहतर तो यह होगा कि या तो आप इस होम गार्ड को वाइन्ड अप कर दीजिये नहीं तो इन सब बातों को पढ़िये और देखिये कि किस तरह से उनके लिये यह लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

मेरा यह निवेदन है कि वैसे तो मन्त्री जी बहुत प्रोग्रेसिव व्यू के आदमी हैं लेकिन इस मौके पर दुम दबा गये हैं। इस तरह से होम गार्ड का सत्यानाश हो जायगा। मेरा मन्त्री जी से आग्रह है कि वह इसको दोबारा पढ़ें और देखें कि वे बातें इसमें आ सकती हैं या नहीं। अगर जल्दी में इस बिल को पास किया जायगा तो इस बिल की इससे आत्महत्या हो जायगी और असल जो इसका मकसद है वह खतम हो जायगा। जो आप होम गार्ड की सेवा करना चाहते हैं वह सब खतम हो जायगा और होमगार्ड्स भी नहीं रह पायेंगे। उनका सम्पर्क जनता के साथ नहीं रह जायगा। यह होम गार्ड नहीं रहेगा बल्कि पुलिस गार्ड होकर रह जायगा। इन सब बातों को मद्देनजर रखकर आप इसका मस्विदा तैयार करें वरना आप बहुत से लोगों के साथ अन्याय करने जा रहे हैं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन, होम गार्डस् के सिलसिले में जो आज चर्चा यहां चल रही है, आज की परिस्थितियों में इससे बढ़कर कोई दूसरा संकल्प हो ही नहीं सकता। इसी से राष्ट्र की सुरक्षा हो सकती है। हमें विचार करना यह है कि आज हम होम गार्डस को मान्यता क्यों दे रहे हैं? वास्तव में जैसा कि कहा जा रहा है यह हमारी दूसरी रक्षा पंक्ति बन गई है। जब जब देश पर संकट के बादल छाये इन होम गार्डस् के लोगों ने बड़ा काम किया।

मान्यवर, आज अनेक माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां व्यक्त किये, मगर देखना यह है कि आज लड़ाई की असली विभीषिका है कहां पर? पर्वतीय क्षेत्रों में, गढ़वाल जिले में 13 बटालियनें सीमाओं पर लड़ रही हैं। क्षम्ब क्षेत्र में 4 बटालियन लड़ रही हैं, यहां पर कई बटालियनों का पता ही नहीं लग रहा है। हमारे यहां कम्पलसरी राइफल ट्रेनिंग महिलाओं को देने की बात तो की जा रही है, मगर जो हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुये हैं, जिनके पतियों का पता नहीं चल रहा है, उन विधवाओं की ओर हमारा ध्यान कतई नहीं जा रहा है। आज जो सुबह शाम तक राइफल ट्रेनिंग में व्यस्त हैं उनको अपनी रोजाना की चीजें तक उपलब्ध नहीं हो रही हैं। ढाई सेर के गुड़ की भेली 7 रुपये में उनको मिल रही है। मिट्टी का तेल 3 रुपये बोतल मिल रहा है। सरकार को चाहिये कि खाने पीने की चीजें तो पहले उनके लिये उचित मूल्य पर उपलब्ध कराये। आज गढ़वाल में और अल्मोड़ा में 4-4 बटालियनों का पता नहीं है। जो 17 से 25 साल की औरतें विधवा हो गयीं हैं, उनकी हालत को आज जाकर देखिये। जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि रक्षा की आज कहां आवश्यकता है।

मान्यवर, उत्तराखंड में आज एक और अन्धाधुन्ध कार्य चल रहा है। 10 दिसम्बर, 1971 को हरिद्वार में डिवाइन लाइफ सोसाइटी द्वारा एक सम्मेलन किया गया जिसमें 500

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिप्पियों ने भाग लिया। उसमें एक प्रचार किया गया कि अब एक अवतार पैदा हो गया है। और वह अवतार उत्तराखंड में पैदा हो गया है और अब इसके कारण से संसार में बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने पर्चे छापे और सब जगह पर्चे बांटें। उत्तराखन्ड के अन्दर जहां सर्वसाधारण का प्रवेश निषिद्ध होने के कारण प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जहां चमोली में विदेशियों के जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर इन रंगे सियारों और ढोंगियों ने जाने, प्रचार करने और काबिज होने की कोशिश की हैं। भोले-भाले लोगों को भड़काने की कोशिश की है। श्रीनगर और अल्मोड़ा के क्षेत्रों में साफ लिखा हुआ है, जगह जगह पर पोस्टर चिपके हुये हैं जिसपर लिखा हुआ है—'चाउ-माऊ जिन्दाबाद', 'पेकिंग नजदीक है और दिल्ली दूर है'। इस प्रकार की बातें देश के संकट को और ज्यादा बढ़ाने वाली बातें हैं। इस प्रकार की बातों पर यदि अभी से गम्भीरतापूर्वक नहीं सोचा गया तो आने वाले समय में देश की सुरक्षा नहीं हो सकती है।

डिवाइन लाईट मिशन की तरफ से एक और प्रचार खूब जोरों से हुआ जो मैं आप को बता देना चाहता हूं, ये कहते हैं कि देश में जब राम का युग था सुपर्णनखा के कारण विध्वंस हुआ, और जब महाभारत का युग था तो द्रौपदी के कारण भारी विध्वंस हुआ और कलियुग में जब अहिया खां के कारण विध्वंस का प्रयास हो रहा है, हमने एक अवतार पैदा कर दिया है—बाल योगश्वर भारत में अवतार लेकर आये हैं। मैं समझता हूं यह सब देश-द्रोहियों का प्रचार है। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह होम गार्ड्स जिनके लिये हमें आवश्यकता पड़ी है, उनको इतनी ही सुविधायें नहीं मिलनी चाहिये, बल्कि इसको सचमुच देश की दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में मान्यता होनी चाहिये। जिले में एक इसका मुख्य अधिकारी बना देने से केवल काम नहीं चलेगा।

हमारे प्रदेश की, देश की रक्षा के लिये प्रदेश के सीमान्त की महिलायें भी हाथ बंटा रही हैं और जहां 17 वर्ष से 45 वर्ष तक ही स्त्रियों के लिये राइफल ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई हैं, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था होम गार्ड्स की व्यवस्था के अन्तर्गत अनिवार्य हो जाती है। जिन हजारों स्त्रियों के पति मर गये हैं, उन विधवाओं को 25 रुपया देकर आप उन्हें आजीवन बांध नहीं सकते हैं, जहां एक मन गेहूं और एक मन चावल का मूल्य यहां के मूल्य से तिगुना है। कैसे वे अपना गुजारा कर सकती हैं, कैसे अपने छोटे से बच्चे की रक्षा कर सकती हैं। इसलिये आवश्यक है कि इस आपत्ति के समय में कम से कम सीमान्त क्षेत्रों में इसके लिये अनिवार्य कर दिया जाय कि हर जिले में इसकी व्यवस्था की जाय। जो भी सैनिक हैं 40–45 से ऊपर की उम्र के वह रिजर्व लिस्ट में होकर आ जाते हैं। फिर भी वे लड़ाई में समय-समय पर चले जाते हैं। इनमें से अधिकांश लोग अपंग होते हैं।

इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सीमान्त के जितने भी जिले हैं, वहां पर महिलाओं के लिये भी होम गार्ड्स की व्यवस्था कर दी जाय। और चूंकि उनके लिये राइफल ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जा रहा है, उनके लिये समुचित वेतन निर्धारित कर दिया जाय। विधवाओं के लिये उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाय। साथ ही साथ अंगविहीन लोगों के लिये भी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाय।

होम गार्ड्स की ट्रेनिंग में ऐसी व्यवस्था की जाय कि वे वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में काम कर सकें।

मान्यवर, एक बात और है, हमारे यहां होम गार्ड की एक विशेषता यह भी होगी कि जहां पानी के श्रोत हैं, वहां बड़ी-बड़ी घटनायें हुईं, वहां सुरक्षा का प्रश्न है इसी तरह से पुलों की बात है, पुलों की सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, और वह आज भी रिजर्विस्ट

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

लोग बिना वेतन के कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करके होम गार्ड को भी शक्ति मिलेगी। और हमारे उद्देश्य की पूर्ति भी होगी।

जहां तक इसको मान्यता देने का सवाल है, कई माननीय सदस्यों ने विरोध किया है। विरोध करना भी चाहिये। लेकिन इतना ही कहूंगा कि अगर विरोध की भावना को त्याग कर राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना से देखें तो किसी प्रकार से भी नुकसान नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था की आज हमारे देश को नितान्त आवश्यकता है। इस प्रकार का विधेयक लाकर माननीय मन्त्री जी ने राष्ट्र के लिये सुरक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध किया है। यह प्रशंसा योग्य ही नहीं वरन् स्तुत्य है। हर व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिये आगे कदम बढ़ायेगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं।

*श्री गिरजा शंकर तिवारी (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसमें कुछ सुझाव के रूप में मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं। जो मंसूबा माननीय मंत्री जी का है, होम गार्ड के संबंध में जिसके माध्यम से वह गांव की और सरकार की संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं यदि वह गहराई से इन सारी बातों को सोचेंगे तो आज होम गार्ड में जिला और प्रदेशीय स्तर पर हमने उन लोगों को रखा है, अधिकारियों के रूप में, जिनका चरित्र समाज के प्रति और सरकार के प्रति दूषित रहा है। मान्यवर, जिन पुलिस अधिकरियों को हमने होम गार्ड में यह समझ करके छोड़ दिया कि यह जांय, आज होम गार्ड की स्थिति दिनोंदिन गिरती जा रही है।

मान्यवर, यदि हम इस बात का भी ध्यान न रखेंगे कि जिन लोगों ने लगन के साथ, परिश्रम के साथ, देशभक्ति के साथ, आपत्ति कालीन स्थिति में हमारे समाज के साथ कदम से कदम मिला कर हमारी रक्षा की है, यदि इस विधेयक में हम उनको अलग रखते हैं तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके अन्दर कुछ लोग पुराने रक्षक दल के कार्य कर रहे थे, पुराने फौजी भाई इसके अन्दर कार्य कर रहे थे, पुराने रिटायर्ड लोग जो गांवों में जा कर बेकार हो गये थे, वह इसके अन्दर कार्य कर रहे थे यद्यपि उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी योग्यता उतनी उपयुक्त नहीं थी जितनी इन पुलिस अधिकारियों की। परन्तु उन्होंने बड़ी सेवा भावना से आपत्तिकालीन स्थिति में सहायता की है। मैंने देखा ऐसे अधिकारियों को आपने रखा है, जब मैंने ब्लाक स्तर पर इसको गहराई से देखा तो जहां पर अधिकारी काम करने वाले थे वहां यह काम संगठन का होता था वरना मैंने यह भी देखा कि लोगों के फर्जी नाम लिखे हैं, वह पैसा निकाल रहे हैं।

यह पदार्पण इसके अन्दर भ्रष्टाचार का हुआ और उन अधिकारियों के समावेश होने से इसकी यह दुर्गति हुई। आज गांव के लोगों को होम गार्ड्स की विशेष आवश्यकता है। आज गांव के लोग निर्जीव हैं, दबे हुये हैं और उनके ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है तो वहां कोई संगठन ऐसा नहीं है जो उनकी सहायता कर सके। जहां तक पुलिस प्रशासन का प्रश्न है वह इतना भ्रष्ट हो चुका है कि गांव में जब दरोगा जाता है तो गांव का साधारण आदमी उससे रक्षा की बात नहीं सोचता। यदि सरकार की यह रूपरेखा है कि वह गांव में छोटे लोगों की रक्षा करना चाहती है, गुंडागर्दी को समाप्त करना चाहती है, आपातकालीन स्थिति में देश की सीमा की तथा सरकारी सम्पत्ति की रक्षा करना चाहती है तो मेरा अनुरोध है कि हर गांव में इसका एक यूनिट खोला जाय और होम गार्ड्स को बड़ी संजीदगी के साथ गांव के लोग ही चुनें। यदि आप चाहते हैं कि आदमी पूरी जिम्मेदारी से काम करें तो उसको वह सारे साधन उपलब्ध कराने होंगे जो आवश्यक हैं। वैसे आज गांव के लोगों का जीवन है उसका कोई पुरसाहाल लेने वाला नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे इन सुझावों को अपने समक्ष रखेंगे।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राजित राम पाण्डेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है उस पर कई साथियों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सबसे पहले सन् 62–63 में होमगार्ड्स का विधेयक लाया गया था जब हमारे देश पर चीनी आक्रमण हुआ था। इससे पहले इस बात की और कोई तवज्जह नहीं दी गयी। आज भारत सरकार की ओर से यह बात कही जा रही है कि हर प्रान्त व हर जिले में होम गार्ड्स पर जो खर्चा आयेगा उसका 50 प्रतिशत खर्च भारत सरकार वहन करेगी। मैं त्रिपाठी जी को दाद दूंगा कि वह ऐसे अवसर पर यह विधेयक लाये। यह ठीक है कि हम विजयी हुये और लड़ाई हमने जीती लेकिन आज भी हमारे देश पर काले बादल मडरा रहे हैं और हमारा देश ऐसी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है कि हमको दुश्मन का सामना करने के लिये तैयार रखना होगा। मेरा भी एक भतीजा हवाई सेना में है और हमारे जो बच्चे मौत के घाट उतार दिये गये उनके घर वालों के दिलों से पूछा जाय तो पता चलेगा कि उन पर क्या गुजर रही होगी ?

20-22 साल से कांग्रेस की हुकूमत है और शासन की मशीनरी आज भी वही है जो अंग्रेजी के जमाने में थी। आज भी पुलिस को हम अच्छी निगाह से नहीं देखते। अगर देश में समाजवाद लाना है, जम्हूरियत लाना है तो होम गार्ड्स की जमात को ताकतवर बनाना होगा क्योंकि पुलिस में जैसा भ्राटष्चार पहले था आज भी है, हर जगह जहां भी आप जायें मैनपुरी वगैरह में, वहां पर इतना जरायम है, डकैतियां हो रहीं हैं, बदमाशियां हो रही हैं। अगर आप होम गार्ड को शक्तिशाली बनायेंगे, नये सिरे से उसको ट्रेनिंग दिलवायेंगें तभी वह ऐसी गड़बड़ियों को ठीक कर सकता है। जैसा कि पंडित जी इस विधेयक को लाये हैं, मैं उनको इस विधेयक के लाने पर दाद देता हूं कि वे इस तरह का विधेयक लाये हैं जिससे कि इसको और मजबूत बनाया जा सके। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बेधड़के से और बेखटके से इसको पास करें ताकि देश का आंतरिक ढांचा ठीक रहे और तानाशाही खत्म हो। इसी सदन में आप लोग कहते थे कि बंगला देश को मान्यता दो तो इसका सबूत आपको इंन्दिरा जी ने दे दिया है कि समय आने पर उसको मान्यता भी दे दी गई और वह एक.....

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

इनको होम गार्ड का रसोइया बनवाया जाय....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें, इतना समय नहीं है।

श्री राजित राम पाण्डेय—

चूंकि टाइम कम है इसलिये मैं सिर्फ आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप हम सब इस बिल का समर्थन करें और होम गार्ड को और शक्तिशाली बनावें ताकि हमारे देश की आंतरिक शांति.....(व्यवधान) बांकेलाल जी, आप हंसते क्यों हैं, आप तो हमेशा ही ऐसी बात करते रहते हैं। समझते बूझते तो कुछ हैं नहीं। आप तो पागल हाथी की तरह से बोलने लगते हैं.....आपको इन्दिरा जी ने सबक दिया है.....इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने होम गार्ड के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुये अपने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। मान्यवर, मुझे अपने उन माननीय साथियों से निवेदन करना है जिन्होंने कि इस विधेयक के सम्बन्ध में पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। यदि आप अपने प्रवचन या भाषण के पूर्व विधेयक के पन्नों को गम्भीरता पूर्वक उल्टे होते। तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण द्विवेदी--]

ऐसी बात न करते। मान्यवर, विधेयक की मन्शा कतिपय अधिकारियों की समाप्ति से नहीं है। विधेयक की स्पष्ट मन्शा यह है कि होम गार्ड के स्वरूप को युग की आकांक्षाओं,बदलते हुए मुल्कों और ढलते हुये राष्ट्र के अनुरूप बनाया जाय। इसी दृष्टि से होम गार्ड एक ओर तो द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में स्वीकार किया गया और दूसरी ओर दूसरी और चीनी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों का सामना करने हेतु इसे बनाया गया था। इस प्रकार एक ओर तो यह संगठन वाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा कर सकेगा और दूसरी ओर आंतरिक सुरक्षा और उसमें शांति व्वयस्था बनाये रख सकेगा।

माना कि जिला स्तरों पर कुछ पद समाप्त किये जायेंगे किन्तु यह भी निर्विवाद हैं कि हम बहुत से पदों का सृजन करने जा रहें हैं। हम 63 डी0 वाई0 एस0 पी0 के रैंक के पदों का सृजन करने जा रहे हैं। जिले और प्रदेश के मंडलों के स्तरों पर उसका पूरा स्वरूप और उसके चरित्र को बदलने जा रहे हैं। मान्यवर, हम उसको सीमित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि जिस प्रकार इन दिनों 132 बटालियस हमारे यहां हैं और 1165 कम्पनियां हैं जिनमें 1,29,000 की संख्या है, अब इस प्रारूप के अनुरूप हम 1,32,000 अपनी संख्या करना चाहते हैं। सम्प्रति 3,506 महिलाओं को भी स्थान है। हमारे एक मित्र ने सुझाव दिया है। यदि उस मित्र ने पढ़ने का थोड़ा भी कष्ट उठाया होता तो उसे लगता कि होम गार्ड के गठन में महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है। बावजूद इसके कि कुछ पद समाप्त किये जा रहे हैं जब तक इसका प्रारूप अपने फेजेज में फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज,थर्ड फेज में अपने पूर्णत्व को नहीं पहुंच जाता है तब तक जिस प्रकार 807 ग्रामीण कम्पनी कमांडर 2,256 प्लाटून कमांडर ये व्यवस्थायें चलती रहेंगी आर इनकी स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी।

कुछ और सुझाव आये हैं। दो एक मित्रों ने इंगित किया है कि होमगार्ड्स में राजनीति का प्रश्न भी है। तो कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि होम गार्ड राष्ट्र के लिये बरदान सिद्ध हुआ है। ऐसी स्थिति में मुझे उनको उत्तर नहीं देना है। ऐसा लगता है कि वह स्वयं राजनीति की दलदल में स्वयं को पहुंचा देना चाहते हैं।

मान्यवर, इसके प्रशिक्षण का स्वरूप बदल रहा है और विभिन्न स्थानों पर 48 केन्द्र खोलने जा रहे हैं। एक प्रदेश के स्तर पर प्रशिक्षण संस्थाओं की व्वयस्था की जा रही है जिसकी चर्चा मैंने अपने प्रारंभिक भाषण में की और इसका एक मात्र उद्देश्य है मान्यवर, अप्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रशिक्षित बना दिया जाय। अब ग्राम्य स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सभी स्तरों पर ट्रेंड कैडर रखेंगे जो कि समयोचित और उचित भूमिका अदा कर सकेंगे।

मान्यवर, हमें यह भी निवेदन करना है कि हमने दो टुकड़ियां 1600 व्यक्तियों की होम गार्ड्स की लेकर बी० एस०एफ० (बार्डर सिक्योरिटी फोर्स) में भेजी थीं जिन्होंने युद्ध के मोर्चे पर गौरावस्पद विजय दिलाने में बड़ी ही महत्वपूर्ण और सामयिक भूमिका अदा की है जिसकी आपने मुक्त कंठ से हमारे माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त हम प्रशिक्षण के स्वरूप को बदलने के साथ-साथ उनको शस्त्रों की भी दीक्षा देना चाहते हैं। उनकी वर्दी आदि का प्राविधान नहीं रहा है, वह भी हमारे दृष्टि-पथ में है और हम उसका प्राविधान करने जा रहे हैं। मान्यवर, रयूमर मांगरिंग, स्पांइग आदि, इन सब कार्यों पर खुली दृष्टि रखने के लिये होम-गार्ड की उपादेयता सर्वविदित है।

इसके साथ में यह भी आग्रह करना चाहूंगा मान्यवर, कई स्थल पर इम्पार्टेन्ट इंस्टीट्यूशंस बचाने में हमारी पुलिस और रक्षा पंक्तियों में जो कार्य किया है उसकी चर्चा करना अब मैं बहुत उपयोगी और संगत नहीं समझता। एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे साथियों ने इस बात की मांग की है कि होम गार्ड के पुनर्गठन और नये

लोगों की नियुक्ति के समय पिछड़े वर्ग के लोगों, हरिजनों और अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाय । हमारे प्रशासकीय आदेशों के अनुरूप जिस प्रकार से अन्य सर्विसेज में इन सब जातियों और इन पिछड़े लोगों को जो समाज के वे अंग हैं जो शोषित और दोहित रहे हैं उन शोषित और दोहित जनता को हम समाज का सम्बल मानव मानते हैं और नियुक्ति के समय माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत भावनाओं को भी दृष्टि पथ में निस्संदेह रखा जायगा ।

मान्यवर, अब एक दो बातों के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । एक तो यह मान्यवर, कि होम गार्ड्स के लिये यह भी आवश्यक हो जाता है कि जीवन के प्रत्येक स्थल पर और प्रत्येक अंचल में, प्रत्येक पक्ष में जिस प्रकार से अन्य प्रशासन के अंगों ने चाहे वह प्रशासकीय, सुरक्षा का या घरेलू मोर्चे का अंग रहा हो, बहुत उपयोगी भूमिका रही है तो आवश्यक है कि इसकी इमेज को प्रारम्भ से ही बढ़ाया जाय और इसमें सारे सर्वदलीय लोग जिस प्रकार से उन्होंने शानदार विजय दिलाने में सहयोग किया है उसी प्रकार से प्रशासन में सहयोग करें ।

आज की संकटकालीन घड़ी में जैसा विरोधी दल के नेताओं ने स्पष्ट घोषणा की है कि आज वह स्थिति उत्पन्न हो गई है कि देश में एक दल है एक नेतृत्व है, एक सुरक्षा पंक्ति है तो मैं समझता हूं कि इन भावनाओं से प्रेरित हो कर, अनुप्राणित होकर हमारे इस माननीय सदन के सभी आदरणीय सदस्य इस विधेयक को स्वीकार करने की कृपा करें....

श्री चन्द्रभान शर्मा--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आपने बताया कि 62 पोस्ट डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के कैडर की और कुछ आई0पी0एस0 की कायम करने जा रहे हैं तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो होम गार्ड्स 10/15 साल से कार्य कर रहे हैं उनके प्रमोशन की कोई गुंजाइश रखी है या पुलिस से उन जगहों पर आदमी लिये जायेंगे ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

मैंने प्रारम्भ में ही कह दिया था कि अभी तक अधिकांश लोग इसमें आनरेरी थे । इसलिये ऐसा प्राविधान किया जा रहा है कि उनको वेतन भोगी बनाया जाय और उनको पूरी तनख्वाह दी जाय । जो भी इस प्रारूप के गठन में सहायक सिद्ध हो सकता है उसकी योग्यता को दृष्टि में रखते हुए व्यापक दृष्टि कोण से इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा और उनकी भावनाओं को दृष्टि में रखा जायेगा ।

श्री धर्मवीर--

इसमें बहुत से लोग दूसरे विभागों में सर्विस कर रहे थे और इसमें भी कार्य करते थे तो उनको किस प्रकार से आप एडजस्ट करेंगे ?

श्री राम कृष्ण द्विवेदी--

यह निश्चय ही प्रश्न चिन्ह है । इसके अतिरिक्त जो राष्ट्र सेवा में रत रहना चाहता है उसके लिये सिविल डिफेंस आदि विभाग हैं । उनमें हमारे मित्र सहायक होंगे । अब तो ऐसी स्थिति आ गई है जब राष्ट्र का एक एक भाई हुतात्मा बनने जा रहा है । तो उसका कर्त्तव्य भी निर्धारित किया जायेगा अन्यथा यदि वे आधे मन से काम करेंगे तो सफल नहीं हो सकेंगे । एक व्यक्ति विधान सभा का सदस्य रहे और दूसरे काम भी करे तो वह बेमन से काम करेगा । जहां तक सिविल डिफेंस की सेवा को दृष्टि में रखने की बात है निश्चित रूप से उस पर विचार किया जायेगा । मैं आग्रह करूंगा कि इस प्रश्न पर बिना किसी मत भेद के एक स्वर से दृढ़ता के साथ, राष्ट्र सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुये सम्मिलित मोर्चे में आकर इसको पारित करने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक 1971 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 5, 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा निश्चित करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, 1963 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स अधिनियम, 1963 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में—

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय—

"(क) "जिला कमान्डेन्ट" का तात्पर्य किसी जिले में होम-गार्डस् के समादेशाधिकारी से है;"

(2) खण्ड (झ) तथा (ठ) निकाल दिये जायं।

धारा 6 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(3) जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण तथा निदेश के अधीन रहते हुये किसी जिले में होम-गार्डस् का प्रशासन जिला कमान्डेन्ट में निहित होगा और उसके द्वारा किया जायेगा।"

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 में, खण्ड [क] में शब्द "जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान पर शब्द "जिला मैजिस्ट्रेट या जिला कमान्डेन्ट" रख दिये जायं।

धारा 13 का संशोधन

5—मूल अधिनियम को धारा 13 में—

(1) उपधारा (4) में शब्द "बटालियन के कमान्डेन्ट" के स्थान पर शब्द "जिला कमान्डेन्ट" रख दिये जायं, तथा

(2) उपधारा (5) में शब्द "बटालियन का कमान्डेन्ट" के स्थान पर शब्द "जिला कमान्डेन्ट" रख दिय जायं।

श्री उपाध्यक्षज—

इसमें कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं खंडों को लेता हूं ।

प्रश्न यह है कि खंड 2,3,4,5 खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक का अंग बनें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामकृष्ण द्विवेदी—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश, होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) विधेयक, 1971 को पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (संशोधन) विधेयक, 1969†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, इसमें कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है । यह एक छोटा सा संशोधन विधेयक है । इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद से संबंधित इसको लाया गया है । हमारे प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, जमींदारी ऐक्ट, म्युनिसिपल ऐक्ट और तकावी ऐक्ट आदि ऐक्टों में यह व्यवस्था है कि उनकी बकाया धनराशि की वसूली लैन्ड रेवेन्यू की भांति की जायगी । लेकिन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मैनुअल में यह अधिकार दिया गया है टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, गाजियाबाद का अगस्त, 71 तक 23,56, 111.48 रुपया बकाया है। इतनी बड़ी धनराशि उस समय तक वसूल नहीं की जा सकती जब तक कि मालगुजारी की तरह से उसको वसूल करने अधिकार न दिया जाय । इसके लिये यह संक्षिप्त संशोधन यहां लाया गया है । मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करने का कष्ट करेगा ।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यद्यपि यह संशोधन विधेयक बहुत ही संक्षिप्त है लेकिन यह हैवानियत से भरा हुआ है । आज जो राजस्व की भांति रुपया वसूल करने की प्रथा है यह अंग्रेजों के जमाने से चली आती है । इसमें लोगों को पकड़ लिया जाता है और तहसील के कैदखाने में डाल दिया जाता है न उसको खाना दिया जाता है और न पानी दिया जाता है जब कि सामान्य कारागार में खाने, पीने और दवा आदि की व्यवस्था होती है । मैं समझता हूं लोगों के साथ इस प्रकार से हैवानियत का बरताब नहीं होना चाहिये। इसमें दो रायें नहीं हैं कि देश को बनाने के लिए पैसे की आवश्यकता है लेकिन उसके लिये ऐसी हैवानियत के रास्ते नहीं अपनाने चाहिये यह देश महात्मा गांधी का देश है, इसमें इस प्रकार का जो वसूली का तरीका है उसको बदला जाना चाहिये। मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे राजस्व विभाग के इस हैवानियत

---

†22 मई, 1970 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शम्भू नाथ चौधरी---]

के तरीके पर न चलें और सदन को आश्वासन दें कि जिस प्रकार लगान न देने पर लोगों को हफ्तों बिना खाने पीने के रखा जाता है, वैसी कार्यवाही न की जायगी, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)---

उपाध्यक्ष महोदय, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को इतने अधिक अधिकार दे दिये गये हैं मैं उनका विरोध नहीं करता परन्तु इस पर अंकुश जरूरी है। क्योंकि वह गरीब को न्याय नहीं देता, अमीरों का पक्ष लेता है । जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे गाजियाबाद में देखने को मिला । जमीन सस्ती ले लेते हैं और डेवलपमेंट चार्जेज बेहद ज्यादा लगा देते हैं जिसके कारण जमीन की कीमत बढ़ जाने से गरीब लोग उसको खरीद नहीं पाते। गरीबों के मकान गिराने के आदेश दिये जाते हैं और अमीरों को पैसा लेकर बचा दिया जाता है । सरकार ने एक सफेद हाथी बना दिया है जो सदा ही गरीबों का शोषण करता है, गरीबों को हलाक करता है और भ्रष्टाचार का अड्डा है ।

गरीबों को इससे कोई लाभ नहीं है । मेरे गाजियाबाद में लाखों आदमी उससे पीड़ित हैं तो जो इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और टाउन प्लानिंग का महकमा है उसके ऊपर कम से कम जनता के नुमाइन्दों की एक कमेटी बनाकर अकुंश रखा जाय जो यह देखे कि वह ठीक काम कर रहा है या नहीं, जमीन ठीक एक्वायर कर रहा है या नहीं, लोगों को कम्पेन्सेशन (मुआवजा) ठीक मिल रहा है या नहीं। जो हाई पावर कमेटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की या कन्ट्रोलिंग अथारिटी हैं उनमें जनता का कोई नुमाइन्दा नहीं है इसीलिये जनता के अधिकारों का अपहरण हो रहा है। गरीब झिझकता फिरता है । मैंने ही उन अत्याचारों एवं गलत योजना के विरोध में विधान सभा में भूख हड़ताल की थी लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला । हजारों मकानों के डिमालिशन का आर्डर निकल गया और अमीरों की कोठियां छोड़ दी गई। अमीरों के नक्शे जो पास नहीं होने चाहिये पास हो जाते हैं और गरीबों के जो पास होने चाहिए वह नहीं हो पाते हैं । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस महकमे पर अंकुश लगाएं और जनता के नुमाइन्दों की एक कमेटी बनायें जो इसके ऊपर हो । वह इनके काम को देखें । टाउन प्लानर लखनऊ में बैठे-बैठे लाल नीली पेंसिल फेर देते हैं और गरीबों का भविष्य अंधकार मय हो जाता है, यह नहीं होना चाहिये । तो इस तरह का जो महकमा है इसकी जो कमेटियां हैं, चाहे हाई पावर कमेटी हो, चाहे कंट्रोलिंग अथारिटी हो या प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हो, जनता के नुमाइन्दे उसमें हों ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके ।

श्री धर्मदत्त वैद्य---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शंभूनाथजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में कुछ कहा लेकिन कोई दूसरा सुझाव ऐसा नहीं दिया कि जिसके द्वारा देय धनराशि जो है, प्राप्त की जा सके । वह धन-राशि जो ट्रस्ट की निरन्तर बढ़ती चली जा रही थी और वसूल नहीं हो रही थी तब इस बात का प्रयास किया गया कि उसको रेवेन्यू की तरह से वसूल किया जाय । कोई मंशा इस बात से नहीं है कि जिन पर बकाया है उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाय । हमारा गाजिया-बाद में केवल एक ही इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट है जिस पर 23,56,111.84 रु0 की धनराशि बकाया है। उसको वह हानि न हो और वह रुपया वसूल हो जाय इसी के लिए संशोधन में व्यवस्था है।

जहां तक प्यारे लाल जी ने जो कहा उसका तो इन सब बातों से कोई संबंध नहीं है। जहां तक मास्टर प्लान का संबंध है, यदि आप नियोजित ढंग से अपने नगरों, कस्बों और शहरों को बसाना चाहते हैं तो मास्टर प्लान की आवश्यकता पर आपको विचार करना पड़ेगा। इसमें गरीबों के मकान गिराने का कहीं प्रश्न नहीं है । यह जरूर है कि जब भूमि ली जाती है तो उसके विकास पर जो व्यय होता है वह जिसको प्लाट दिये जाते हैं उसमें अवश्य लगा दिया

जाता है। और अगर विकास के बिना दिया जाय तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि हमारा अभिप्राय यह कोई नहीं है कि हम लोगों को तकलीफ दें।

श्री प्यारे लाल--

एक स्पष्टीकरण चाहता था।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप यह समझ लें कि इसमें है क्या। ट्रस्टी को देय कोई धनराशि मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी। यह है मुख्य सवाल। अपका जो सवाल है वह असम्बद्ध है इस बिल से। क्या आप चाहते हैं कि मालगुजारी के ढंग से वसूल न की जाय, यह बकाया ही रहे ?

श्री प्यारे लाल--

जहां तक टाउन प्लानर का सवाल है वह लाल पीली पेंसिल फिरा कर यहां एयर कण्डीशन्ड कमरे में बैठे बैठे गलत योजनाएं बनाता है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह दूसरा सवाल है। . . .

श्री प्यारे लाल--

आज तक बहुत सी ऐसी जमीनों का किसानों को मुआवजा नहीं मिला है जिन पर इमारतें और कारखाने बन गये हैं। हमारे यहां सवाल यह है कि 7-7 और 8-8 साल से लोगों को मुआविजा नहीं दिया गया है। मित्तल साहब कह रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है. . .आपको इम्प्रूमेंट ट्रस्ट पर अंकुश लगाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

एक बार बात हो गई फिर दूसरी बार आप अतिक्रमण करते हैं और दूसरे यह जो आप कह रहे हैं वह संगत नहीं है।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

य० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, 1919 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 1970 कहलाएगा।

यू० पी० ऐक्ट सं० 8, 1919 में नयी धारा 67 जी-जी का रखा जाना

2--यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, 1919 की धारा 67-जी के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्--

देयों और शास्तियों की मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली

"67--जी-जी--इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन व्यवस्थित वसूली की किसी देयों और शास्तियों की बकाया के रूप में वसूली अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शास्ति, क्षतिमूल्य, कर या शुल्क के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, जो इस अधिनियम के अधीन वसूली योग्य हों, अथवा जल-परिव्ययों या किसी भी अन्य परिव्यय या किराये या अधिमूल्य के रूप में अथवा ट्रस्ट द्वारा गृह-निर्माण या उसके सुधार के लिए दिये गये किसी ऋण के रूप में अथवा क्रयविक्रय पर बेचे गए गृहों के मूल्य के रूप में ट्रस्ट को देय कोई धनराशि, मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी।"

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्मदत्त वैद्य--

उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेण्ट (संशोधन) विधेयक, 1969 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 1969 जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

यह सूचनायें नियम 51 के अन्तर्गत आई हैं। ये 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक यह श्री चन्द्रपाल आजाद की है जो थाना राया, ग्राम सोनाई, जिला मथुरा के 3 व्यक्तियों को वहां के थानेदार एवं सिपाहियों द्वारा बुरी तरह मारे पीटे जाने एवं कारावास भेजने के बारे में है। यह मुख्य मंत्री जी के यहां कार्यवाही के लिये भेज दी गई है, इस पर जो कार्यवाही होगी वह आप को मालूम हो जायगी।

दूसरी सूचना यह श्री त्रिलोक चन्द और श्री शम्भूनाथ चौधरी की है जो सुरहाताल, जिला बलिया में पानी के जमाव के कारण रबी की बुआई न हो सकने के बारे में है। इस को मैंने अल्पसूचित प्रश्न के लिये स्वीकार किया है।

तीसरा यह श्री शफीक अहमद खां व श्री मुहम्मद असरार अहमद का है, यह भी स्वीकार नहीं किया गया है, इस के विषय में भी वह प्रश्न कर सकते हैं।

चौथी यह श्री कल्पनाथ सिंह का खाद के वितरण म भ्रष्टाचार के विषय में। इस पर भी वह कृपया अल्पसूचित प्रश्न कर लें...

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे प्रदेश का सवाल है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, ब्लेक मार्केट खाद का हो रहा है और किसान तबाह हो रहे हैं. . .

श्री उपाध्यक्ष--

इसके लिये आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें और उससे आप को सन्तोष न होगा तो वक्तव्य दिला देंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

फिर सरकार कह देगी कि 15 दिन में उत्तर देंगे और आप मजबूर हो जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा होगा तो सदन के उठने से 2 दिन पहले मैं वक्तव्य दिला दूंगा ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

जब श्रीमन्, आप की इतनी कृपा है तो मंत्री जी से इस पर अभी वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी को हम भेज देंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

उन के यहां सब रद्दी की टोकरी में जा पड़ेगा, आप इस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कहते हैं कि जैसी दशा आप के यहां है वैसी ही स्थिति प्रदेश भर में खाद के सम्बन्ध में होगी । जब कोई अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार किया जाता है तो उस पर लोगों की रुचि देखकर करते हैं । अभी हम कह दें तो वह दुराग्रहपूर्ण होगा, हमें उस के तथ्यों पर देखना होगा. . . . . .

(व्यवधान)

कार्यवाही के लिए मैंने इसको शासन के पास भेज दिया है ।

श्री चन्द्र पाल आजाद (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, तकावी में खाद नहीं मिलती है अगर कोई नकद लेना चाहता है तो उसे मिल जाती है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

श्रीमन्, इस बारे में आप लोगों को राय ले लीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष--

पहले आप पूरी बात सुन लीजिए और फिर अगर कोई ऐसा विषय रह जाता है तो सरकार नहीं चाहती है कि वह जवाब न दें और न मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से जवाब न दिया जाय । अगर यह प्रदेश भर की समस्या हुई तो हम वक्तव्य दिला देंगे । वक्तव्य देने से भागने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अब माननीय गोविन्द सिंह नेगी, माननीय छांगुर राम और हरिवंश सहाय जी का बसखारी, जिला फैजाबाद के बड़े एवं छोटे दरोगा द्वारा कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता, श्री ठाकुर प्रसाद को मारे पीटे एवं अपमानित किये जाने के बारे में है । यह भी शासन को भेज दिया है और मैंने उनको बता भी दिया है ।

[श्री उपाध्यक्ष]

अब माननीय रूपनाथ सिंह यादव जी का है जो इलाहाबाद होम्योपैथिक कालेज एवं अस्पताल को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर वे अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, इससे महत्वपूर्ण प्रश्न और क्या हो सकता है। वहां पर प्रधानाध्यापक ने छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया है जिसके विरोध में वहां के लड़कों ने और अध्यापकों ने प्रदर्शन किया है कि प्रिंसिपल को निकाला जाय। वहां पर मैनेजमेन्ट तानाशाही चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने अखबार में पढ़ा है कि वे प्रधानाचार्य जेल में हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

अगर वे गिरफ्तार हो गये तो फिर वक्तव्य आप दिला दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपका मन्तव्य पूरा हो गया है अब आप अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। आपके आशय की पूर्ति हो गयी है। आप इस सम्बन्ध में मुझ से मिल लीजिए मैं सब कुछ बता दूंगा।

अब माननीय त्रिवेणी सहाय (गोंडा) जी का है। इसमें उन्होंने गोंडा जिले में असामयिक घोर वर्षा के कारण हजारों मकानों के गिर जाने के बारे में कहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

श्रीमन्, पिछली मीटिंग में यह तय हुआ था कि मकानों के लिए धनराशि दी जायगी। इस जिले के लिए 22-24 लाख रुपया घरों के लिये दिया गया है लेकिन जुलाई से आज तक जो 16 हजार लोग बेघर बार हो गये हैं, उन्हें कोई धनराशि नहीं दी गयी है। वहां पर बैलों के लिए तकावी बट रही है। लेकिन जो लोग घाघरा नदी के किनारे छप्पर डाले पड़े हैं और बे घर बार हैं, उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है। पूरे जिले में भारी असन्तोष की भावना फैली हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इस सम्बन्ध में अल्पसूचित प्रश्न कर लें। इसके बाद देखा जायगा। लेकिन अगर यह देखा गया कि इसके बारे में और माननीय सदस्य भी दिलचस्पी रखते हैं तो फिर बहस का अवसर मिलेगा।

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, इसी प्रकार और जिलों में घरों का इतना नुकसान नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर एक जिले का है तो जवाब दिलवा देंगे लेकिन अगर यह देखा गया कि यह समस्या प्रदेश की है और अन्य माननीय सदस्य भी दिलचस्पी रखते हैं तो वक्तव्य भी दिला दूंगा लेकिन अभी इसे ऐसा कैसे मान लूं। हमारे पूछने का औचित्य नहीं है। वोट लेकर ही हो सकता है। अब जब हम देख लेंगे तो हो सकता है उस पर हम बहस का मौका देंगे, लेकिन कब मौका दें, यह देखना होगा। सब जिलों का आ जाय तो मौका दिया जाय। इसलिये इस समय स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है। एक जिले का सवाल है। तो आप इसमें खुद प्रश्न कर लें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह सारे प्रदेश का ही झगड़ा है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप भी लिखकर दे दीजिये। विधान सभा के कायदे से प्रक्रिया नियमावली के अधीन आप भी वाजे करें कि यह एक और लोक महत्व का प्रश्न है इस पर बहस होनी चाहिये।

श्री राम प्यारे जी की बात इसलिये नहीं स्वीकार की गई ह--जैसा कि उन्होंने लिखा है कि जनता को उजाड़ने की सम्भावना हो गई है...श्री रामप्यारे जी, आपने संभावित स्थिति की तरफ ध्यान दिलाया है। आप जो बोल रहे हैं वह लिख कर दीजिये। उस पर हम तभी तो अपना निर्णय देंगे।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप की आज्ञा से निवेदन कर रहा हूं कि दुद्धी में सारी जमीन ट्रांसफर हो गई है....

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्रियों से बात हुई है। उन सब समस्याओं को मैं जानता हूं जो स्थिति है। आप स्पष्ट स्थिति बतावें यह तो आपकी सम्भावित स्थिति की आशंका की बात है। आपने स्पष्ट स्थिति की ओर संकेत नहीं किया है। आप लिख कर दीजिये तब तो निर्णय करेंगे।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)--

मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव गन्ने की कीमत के बारे में दिया था। जब कि पूरे प्रदेश में नमक, मिट्टी का तेल और कपड़ा महंगा हो गया है...

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। आपको उसके लिये चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। आप उस वक्त नहीं थे।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

श्रीमान् उपाध्यक्ष जी, मैंने दफा 51 में सूचना दी थी। आपने बताया कि वह कार्यवाही के लिये भेज दिया है। लगता है कि आपने उसकी गम्भीरता की ओर ध्यान नहीं दिया है। राजनैतिक कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा पकड़कर शहर में घुमाया जाय, सड़कों पर घुमाया जाय। तो ऐसी स्थिति में राजनैतिक कार्यकर्ताओं का कैसे कल्याण हो सकेगा। यह बात अखबारों में आ चुकी है। क्या उसकी दुर्दशा की गई है.....

श्री उपाध्यक्ष--

आज के समाचारपत्र में छपा है कि हो सकता है कि जो बात आप कहते हों वह सही हो, और कुछ सही न भी हो। मैंने उस पर यह लिखकर दे दिया है कि इस पर कार्यवाही हो। अगर ऐसा हुआ है तो सरकार का कुछ जवाब आने दीजिये। सरकार से पूछा है कि राजनैतिक कार्यकर्ता को इस तरह से अपमानित कर पुलिस अधिकारियों द्वारा यह कैसे कुचेष्टा की गई है। अगर इसके बाद भी आपको सन्तोष नहीं होगा तो आपको बता देंगे कि मुख्य मंत्री की ओर से क्या जवाब आया है।

श्री छांगुर राम---

वह बात सही है लेकिन मेरा इतना निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी अगर बयान देदें तो सदन को यह बात मालूम हो जाती कि राजनैतिक कार्यकर्ता के साथ पुलिस क्या व्यवहार करती है। जांच वह कर लेंगे और उसकी हमको सूचना भी दे देंगे लेकिन यह बात मालूम हो जाती तो अच्छा था कि आज कल उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता के साथ क्या रवइया अख्तियार करती है।

श्री बांकेलाल---

आपके ऊपर तो यह बात गुजरी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कितना अपमान करती है। आप हमारे साथ जेल में रह चुके हैं। यहां पर गृह उप मंत्री जी की सारी जिम्मेदारी है। इनको आप आदेश दे दें कि यहां इस सदन में ये पुलिस की ड्रेस पहनकर आया करें।

श्री उपाध्यक्ष---

इसको देखा जायगा।

(इसके बाद सदन 4 बज कर 20 मिनट पर सोमवार 3 जनवरी, 1972 के 11 बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
31 दिसम्बर, 1971।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "क"

(देखिये ता० प्र० 9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

विवरण

जनपद, चमोली मे अब तक जो मोटर मार्ग बनाये गये हैं	सड़कों की कुल लम्बाई जो बनानी है (कि० मी० में)	सड़कों को कुल लम्बाई जो बन चुकी है लम्बाई (कि० मी० में)	उन मोटर मार्गों में अभी तक मोटर न चलने का कारण
1	2	3	4
1—मोहन खाल-चोप्ता (श्रेणी 1 वन प्रभाग)।	40	6	यह मोटर मार्ग अब तक 6 कि० मी० बना है और अभी 34 कि० मी० शेष है। 6 कि० मी० बने मोटर मार्ग में केवल 3 कि० मी० तक मोटर चल सकती है। इस मोटर मार्ग को पूरा करने में अभी 8–10 साल और लगेंगे।
2—गोचर-श्रीकोट-धनपुर (श्रेणी 1 वन प्रभाग)।	40	8	यह मोटर मार्ग अब तक 8 कि० मी० बना है और 32 कि० मी० अभी बनाना शेष है। 8 कि० मी० बने मार्ग में से 6 कि० मी० पर जीप चल सकती है। इसमें अभी काफी सुधार की आवश्यकता है। शेष मार्ग पूरा करने में अभी 8–10 साल और लगेंगे।
3—देवाल-सुयाल-कोट, देवाल-थराली (उत्तरी गढ़वाल, वन प्रभाग)।	27	17	यह मोटर मार्ग एक ओर देवाल से सुयाल-कोट 6 कि० मी० बन चुकी है और अभी 10 कि० मी० बनाना शेष है। दूसरी ओर देवाल से थराली तक 11 कि० मी० बन चुका है। थराली के निकट पिण्डर नदी पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पक्के पुल के निर्माण की योजना है। इस पुल के निर्माण के बाद ही थराली से देवाल तक यह मार्ग मोटर यातायात के योग्य हो सकेगा।
4—देवाड़ी खाल-दंडा मोटर मार्ग (पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग)।	30	3	यह मोटर मार्ग अब तक केवल 3 कि० मी० बना है और अभी 27 कि० मी० बनाना शेष है। 3 कि० मी० बना मार्ग यद्यपि मोटर चलाने योग्य हो गया है

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद, चमोली में अब तक जो मीटर मार्ग बनाये गये हैं	सड़कों की कुल लम्बाई जो बनानी है (कि० मी० में)	सड़कों की कुल लम्बाई जो बन चुकी है (कि० मी० में)	उन मोटर मार्गों में अभी तक मोटर न चलने का कारण
1	2	3	4
4—देवाड़ी खाल-दैडा मोटर मार्ग (पश्चिमी अल्मोड़ा, वन प्रभाग)—(समाप्त)।			तथापि जब तक यह 10–15 कि० मी० और नहीं बनाया जाता तब तक मोटर चलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं है। इस मार्ग को पूरा करने में अभी 8–10 साल और लगेंगे।
5—सुनला-बंडारा मोटर मार्ग (उत्तर गढ़वाल, वन प्रभाग)।	10	10	यह मार्ग यद्यपि 10 कि० मी० बन चुका है परन्तु केवल 3 कि० मी० ही मोटर चलाने योग्य है। शेष भाग पर अभी काफी सुधार और मरम्मत की आवश्यकता है जो कि की जा रही है। इस वर्ष बरसात में इस पर काफी हानि हुई है। आशा है यह मार्ग वर्ष 1973–74 तक मोटर यातायात के योग्य हो जायेगा।
6—ग्वालदम-नन्द-केशरी मोटर मार्ग (उत्तर गढ़वाल, वन प्रभाग)।	18	18	यह मार्ग पूरा बन चुका है और इस पर मोटरें चलती हैं। परन्तु बरसात में यह मार्ग बन्द रहता है क्योंकि यह एक अच्छे मौसम की सड़क है।

नत्थी "ख"

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत ता० प्र० सं० 27 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर]

परिशिष्ट—क

संलग्नक

गांव का नाम	1968—69		1969—70		1970—71	
	जमीन (एकड़ में)	मकान	जमीन (एकड़ में)	मकान	जमीन (एकड़ में)	मकान
1—हारनपुर—अहतमाली	66	..	46	20	..	184
2—किरतौली ..	10	26	551	25	15	44
3—फतेहपुर गंग	202	..	2	..	..	..
4—नगवली सकूरगंज	33	..	..	..	..	..
5—हारनपुर गैर-अहतमाली ।	115	..	76	..	58	..

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "ग"

(देखिये ता० प्र० 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर ।)

सूची

रिक्शा चालक सहकारी समितियों को बैंकों द्वारा ऋण दिये जाने की मुख्य-मुख्य शर्तों की सूची--

(क) जिले के सहायक निबन्धक, सहकारी समितियों की संस्तुति पर, रिक्शा क्रय करने हेतु इन समितियों को एक लाख रुपये तक का ऋण दिया जा सकता है ।

(ख) समितियों से 8 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा तथा समिति अपने सदस्यों से 10 प्रतिशत ब्याज ले सकती है।

(ग) समिति द्वारा अपने सदस्यों हेतु क्रय किये गये रिक्शे सम्बन्धित सहकारी बैंक के नाम से बंधक रहेंगे और ऐसे बंधक रिक्शों के पीछे यह साइनबोर्ड लटका रहेगा कि कथित रिक्शा उक्त बैंक के नाम से बन्धक है ।

(घ) समिति द्वारा अपने सदस्यों से रोजाना की निर्धारित किश्त वसूल करने के लिये उचित प्रबन्ध करना होगा ।

(ङ) रिक्शा चालक सदस्य को ऋण से सम्बन्धित आवश्यक कागजातों को भरने पर, अन्य दो सदस्यों की जमानत पर रिक्शा दे दिया जायगा ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "घ"

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर ।)

परिशिष्ट—ख

मांग सं०	राजस्व विभाग में कृत कार्यवाही का विवरण
1	बाढ़ पीड़ित क्षेत्र को अकाल पीड़ित घोषित करने की जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि बाढ़ का प्रभाव अल्प-कालिक होता है ।
2	बाढ़ से ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के शिक्षा शुल्क का व्यय जुलाई, 1971 से मार्च, 1972 तक शासन द्वारा वहन किया जायेगा । इसके लिये देवरिया जिले को 5 लाख रुपया दिया जा चुका है ।
3	बाढ़ पीड़ित असहायों को अहेतुक सहायता के रूप में 100 रु० खैरात देने की सीमा निर्धारित की गई है । उसमें से मुफ्त राशन भी दिया जा सकता है ।
4	एक एकड़ तक के जोत वाले किसानों को अधिकतम बीस किलो तक बीज मुफ्त देने के आदेश दिये जा चुके हैं ।
5	पशुओं के चारे की संपूर्ति बाढ़ क्षेत्रों में रियायती दर पर करने की व्यवस्था की गई है लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि देवरिया जिले में चारे का अभाव नहीं है । जिले को 5 लाख रुपया चारा तकावी के लिये आवंटित किया गया है ।
6	देवरिया जिले के संदर्भगत क्षेत्र में टेस्ट वर्क्स की आवश्यकता नहीं है ।
7	बाढ़ एवं वर्षा से गिरे हुए मकानों को पूर्णरूपेण सरकारी खर्चे से बनवाना संभव नहीं है । सरकार की ओर से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण तथा मरम्मत हेतु प्रति कच्चा मकान 200 रुपये एवं प्रति पक्का मकान 300 रुपये तक अनुदान देने की व्यवस्था है ।
8	4 हजार की यूनिट पर एक सस्ते गल्ले की दूकान और उससे अधिक पर दो दूकानें खुलवा दी गई हैं ।
12–13	जिन क्षेत्रों में खरीफ 1379 फसली को 50 प्रतिशत या इससे अधिक नुकसान हुआ है वहां सभी सरकारी देयों को चालू एवं बकाया वसूली को 15 जून, 1972 तक स्थगित करने के लिय आदेश दिए जा चुके हैं । तकावी की वसूली भी स्थगित है ।

नत्थी "ङ"

(देखिए तारांकित प्रश्न सं० 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

परिशिष्ट—क स्मृति-पत्र

सेवा में,

श्री मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

द्वारा

जिला अधिकारी, देवरिया ।

महोदय,

हम नीचे हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति देवरिया जिला के कोने-कोने से आए बाढ़ पीड़ितों के प्रतिनिधि हैं । बाढ़, कटाव, वर्षा से हुई बरबादी और उत्पन्न सवालों के हल हेतु नीचे लिखे सुझावों पर अमल करने की मांग करते हैं: —

देवरिया जिला को बड़ी नदियों के अलावे मझने, कुन्ना, सोनरा, कटा, कोरांची, दोहरी, कांची, करमहनी, किरही, पथदेवा नाला, सत नरवा, गुलाही बाड़ी, झरही, धाधी नालों और सिसवा, टडवा तैरनी इन्दूपुर, गौरी बाजार, सिरजम, बैतालपुर, रामाभार पथरदेवा ताल, करौटा, पड़ौली, थयउर, रामपुर, श्रीपाल, गोपालपुर, रामकोला, करमहा तालों तथा अन्य सैकड़ों चबरों की बाढ़ वर्षा पानी लगाव से तीन हजार से अधिक गांवों की फसलें व मकान बरबाद व क्षतिग्रस्त तथा पस्त हुई हैं । मगर देवरिया जिला के अधिकारीगण बाढ़ के व्यापक विनाश को छिपाया है और 35 प्रतिशत मात्र बरबादी माना है जबकि औसत 75 प्रतिशत फसल बरबाद हुई है । आठ लाख एकड़ जमीन में पानी था जिसमें 6 लाख से अधिक खेतों म फसल और 50 हजार मकान क्षतिग्रस्त हुये हैं । जिसके कारण जनपद को 32 करोड़ रुपयों का भारी नुकसान हुआ है गन्ना की फसल 65 प्रतिशत तक बरबाद है ।

बड़ी गण्डक की तरह राप्ती, घाघरा, गोरा, छोटी गण्डक नदियां भी गांवों की आबादी को अपनी धारा में विलीन करने में लगी है, राप्ती से आधा नरायन, वनकटी, भेड़ी, नगवा खास, सचौली, नवइल, गायघाट, मदिला आउल, नसिया कुर, घाघरा, कटहलवा मौर्रा वरहज कौंसल, भागलपुर, बलिया, पिण्डी मौर्रा से पिंडरी, इश्वरपुरा, जगत पाआ, करनपूरा, मेलउर जगदीशपुर, कांलआफा, नरायनपुर, शीतलपुर, माझ, माझ भीमसेन, डहराली गाजन, छोटीगण्डक से गठिया (हेतिमपुर) कोटवा, मथुरा छापर, मुडेरा मिश्र बिनबलिया, गोरबाघाट, मिखमपूरा, परासी चक लाल, पवासी, रतनपुरा करपुआ, खरांट बेलबलिया मुहई ग्राम की आबादी नदी में जा रही है । इन गांवों के लोगों को मकान में बसने के लिये घरों की जरूरत है । माझ नारायन ग्राम को सिचाई विभाग ने डुबोया है । जनपद भर में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या भी कम दिखाई गई है । बाढ़, वर्षा, कटाव से अन्न, चारा, रबी के बीज, रोजगार, पढ़ाई रखने मकान मरम्मत, जलायनी लकड़ी, यातायात, असमर्थों को भोजन आदि का भारी सवाल आ खड़ा हुआ है । इस साल एक नई समस्या भी आई है वह यह कि फसलों में खाद, दवा आदि के रूप में लागत पड़ी थी उसके वापस होने,सिचाई के लिये लगे ट्यूबवैल को पिछले 6 माह के बिजली के पेमेन्ट का भी सवाल है । इसके अलावा बाढ़ पीड़ित देवरिया को सफर में रोडवेज के बसों में अतिरिक्त किराया वसूलने टैक्सियों द्वारा सिर्फ अतिरिक्त किराया ही नहीं बल्कि भूसा की तरह ठूंस कर ले जाने का भी सवाल है ।

अस्तु निवेदन है कि नीचे लिखी मांग की पूर्ति हेतु देवरिया जिला को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय ।

(1) देवरिया जिला को अकाल पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय ।

(2) रुद्रपुर में बाढ़ की रोक थाम के लिये पटेल कमीशन के रपट के अनुसार गोरखपुर के मलौनी बांध को राप्ती के बांए किनारे देवरिया के मदनपुर तक बनवाया जाय। राप्ती जल कुन्डी योजना भी चालू की जाय।

(3) बाढ़ पीड़ितों को सस्ते दर पर भूसा उपलब्ध कराया जाय।

(4) जनपद भर में सस्ते गल्ले की दुकानें खोली जाएं और कछार में 6 एकड़ तक लोगों और बागर में तीन एकड़ तक लोगों को 12 छटांक प्रति व्यक्ति की दर से राशन दिया जाय असमर्थों को लंगड़ द्वारा मार्च तक भोजन दिया जाय।

(5) नदी की धारा में विलीन हो रहे गांवों के लोगों को बसाने के लिये जमीन सुरक्षित कर उसे ऊंचा कराया जाय जिन गांवों में पानी घुसा था उन्हें भी ऊंचा कराया जाय।

(6) बाढ़ के इलाके की सड़कें रुद्रपुर, नगवा, रुद्रदुर, गजपुर, और रामपुर कारखाना नवतन, हथियागढ़ को प्राथमिकता देकर अन्य सड़कों के साथ (विशेष अवसर के आधार पर) निर्माण कराया जाय। मुड़रा के लाडम पुलिया रेगुलेटर के साथ दिया जाय।

(7) सभी स्तर के छात्रों को फीस माफी मार्च तक की जाय और इसकी वसूली भी अभी से बन्द करा दी जाय रुद्रपुर के बाढ़ क्षेत्र के छात्रों को अतिरिक्त मासिक सहायता दी जाय।

(8) रबी के बीज की तत्काल समय पर व्यवस्था करके जिले में तीन एकड़ रुद्रपुर के बाढ़ क्षेत्र में 6 एकड़ तक के किसानों को पूरा बीज दिया जाय।

(9) बैलों के लिये तकावी दी जाय।

(10) क्षति ग्रस्त मकान मालिकों को समान सहायता दिया जाय जो तीन सौ रुपये से कम न हो। मकानों के लिए ऋण भी दिया जाय जो 40 सालाना किस्तों में वसूल हो। माझ नरायन ग्राम को मुआविजा दिया जाय।

(11) जलौनी लकड़ी की व्यवस्था भी कराई जाय।

(12) सभी उम्र और बूढ़े तक को काम देने के लिये टेस्ट वर्क खोले जाएं।

(13) रोडवेज में स्टेशनों तथा बसों में 5 से 30 पैसा तक आमतौर पर खुले आम अतिरिक्त पैसा वसूला जा रहा है बाढ़ पीड़ित देवयिया के साथ वह हरकत कोढ़ में खाज का काम कर रहा है तुरन्त समाप्त किया जाय।

(14) पुलिस व टैक्सी यूनियन के लोगों ने भारी मात्रा में मासिक पैसा लेकर देवरिया के बाढ़ पीड़ित टैक्सी वालों को मनमाना रेट से ज्यादा वसूलने का अधिकार दे दिया है साथ ही टैक्सियों में भूसा की तरह आदमी कसे जा रहे ह। जब तक मेन्ट बना न था तब तक पुलिस गाहे वगाहे पीछा करती थी खुली छूट मासिक मेन्ट के कारण है तुरन्त इसे रोका जाय। टैक्सी में आधे से ज्यादा प्राइवेट गाड़ियां टैक्सियों में पुलिस चलवा रही है। राजस्व का भारी नुकसान कराया जा रहा है।

(15) गन्ने का दाम 15 रु० क्विन्टल किया जाय और गत साल के गन्ने की कीमत को बाढ़ पीड़ित देवरिया को तुरन्त भुगतान करा कर उसी के पैसों से उसको सहायता की जाय। कोल्हू पर लगा प्रतिबन्ध हटाया जाय।

(16) जीवनोपयोगी वस्तुओं की बढ़ती कीमत से गरीबों के गिरस्तियों पर व्यापक बुरा असर पड़ रहा है। इससे सन्तुलित दाम नीति द्वारा ठीक किया जाय। मिट्टी का तेल, कपड़ा, खाद, लोहा, साबुन, सोडा का दाम ड्योढ़ा, दूना हो गया है तुरन्त उचित व्यवस्था में लाया जाय। मिट्टी के तेल की महंगाई 60 पैसा लीटर

से 1 रु० 50 पैसा लीटर तक हो गया है। उसमें होलसेलरों तथा सप्लाई दफ्तर के सांठ-गांठ से दाम इतना ऊंचा हो गया है। होलसेल के लोग खुद न बेंचे बिल्टी आने पर तुरन्त सूचना जिला अधिकारी को दी जाय तथा बटवारा कराया जाय।

(17) चकबन्दी के ग्रामों में बड़े कास्तकारों द्वारा आबादी बचत, चकरोड, जोतने के क्रम को रोका जाय और नए कानून के अनुसार गांवों के खेत मजदूरों, कारीगरों आदि को बसने के लिये तुरन्त जमीन उपलब्ध कराई जाय जिन गांवों में चकबन्दी हो गई है उन गांवों की सार्वजनिक जमीन के रख-रखाव बन्दोबस्त पर तुरन्त ध्यान दिया जाय नहीं तो इसके कारण भारी मात्रा में जरायम होंगे तथा हो रहें हैं।

(18) जिनके लोग बाढ़ वर्षा से मरे हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाय।

(19) खरीफ की फसलों में लगी उर्वरक की कीमत माफ की जाए।

(20) सिंचाई के लिये लगे ट्यूबवेल के बिजली के अप्रैल से सितम्बर तक के बिल को माफ किया जाय।

(21) छितौनी बांध के टूटने के जिम्मेदार ओ0डी0 शर्मा को मुअत्तल किया जाय और जांच करने से उन्हें रोका जाय।

भवदीय,

महेन्द्र सिंह यादव,

मंत्री,

जिला सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी " "

(देखिये तारांकित प्रश्न 26 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर।)

हरिजन कल्याण योजना, मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदन के अध्याय 6 में की गई संस्तुतियों पर जिनका सारांश अध्याय 12 में संस्तुति संख्या 246 से 291 पर हैं, की गई कार्यवाही

कार्यवाही का विवरण

संस्तुति सं० 264, 265 — प्रदेशीय हरिजन तथा पिछड़ी जाति कल्याण परिषद् तथा जिला स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जा चुका है।

266 तथा 271 — जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण जिस निदेशालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर पहिले से ही किया जाता रहा है परन्तु इस वर्ष अक्तूबर, 1971 में एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसके अनुसार समस्त जिला हरिजन समाज कल्याण कार्यालयों का निरीक्षण अप्रैल, सन् 1972 में पूरा कर दिया जायेगा। इस कार्यक्रम को भविष्य में चालू रखने का भी प्रयास किया जायेगा। इस निदेशालय के अधिकारी जब जिला कार्यालयों में दौरे पर जाते हैं तो जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी से विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उनके सफल संपादन हेतु विचार विमर्श करते हैं तथा जिलों में जो कठिनाइयां दृष्टिगोचर होती हैं उनका विवरण निरीक्षण आख्याओं में किया जाता है। निदेशालय के अधिकारियों की मासिक बैठकों में इन समस्याओं पर विचार किया जाता है और इनके निवारणार्थ आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

274 — राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के लिये प्रतिवर्ष जो परिव्यय शासन के नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाता है उसी के अनुरूप उस वर्ष का बजट भी बनाया जाता है। इसी प्रकार केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित परिव्यय के अनुसार ही व्यय किया जाता है।

277 — क्षेत्र समितियों के वैयक्तिक खाते में पड़ी हुई धनराशियां कोषागार को वापस कर दी गई हैं।

279, 280, 281, 282 — इस विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रति वर्ष भलीभांति किया जाता है। जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा आवेदन-पत्र मंगा कर उनकी समुचित जांच की जाती और आवेदकों की आवश्यकतानुसार सूची तैयार की जाती है। इस निदेशालय से जिलों को जो धनराशि आवंटित की जाती है वह जिलों की आवश्यकतानुसार तथा अंशदान की क्षमता एवं बजट प्राविधान को दृष्टि में रखते हुए की जाती है। प्रतिवर्ष विभिन्न योजनाओं हेतु जिन धनराशियों का बजट प्राविधान किया जाता है वह भी जिलों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होता है। पुनर्वास तथा कृषि उत्थान आदि जैसे कार्यों के लिये उन्हीं जिलों को धनराशि आवंटित की जाती है जहां भूमि उपलब्ध होती है, पानी की व्यवस्था होती है तथा बस्ती के निर्माण के लिये उपर्युक्त स्थान उपलब्ध होता है।

284 — हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों को शा० आ० सं० 2403/छब्बीस-1018-66, दिनांक जनवरी 24, 1968 द्वारा 2,500 रु० तक के पूर्णतः प्रमाण-पत्र देने के अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं।

285 जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों को पूर्णतः प्रमाण-पत्र देने के बारे में कोई विशिष्ट अधिकारी अभी तक नहीं है। पर शा० आ० संख्या 2064 / छब्बीस--470-1954, दिनांक सितम्बर 29, 1955 द्वारा पूर्णतः प्रमाण-पत्र देने की जो परिपाटी निर्धारित की गई है वही अब भी चल रही है। इसके अनुसार जिला नियोजन अधिकारी / अतिरिक्त जिलाधीश (नियोजन) सामान्यतः जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों को पूर्णतः प्रमाण-पत्र देने के लिये अधिकृत कर देते हैं।

287 विविध अनुदानों के लिये प्रार्थना-पत्र वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही मंगाने
288 का प्रयास किया जाता है जिससे इन प्रार्थना-पत्रों की जांच जिलों को अनुदान प्राप्त होने के पहिले पूरी की जा सके और अनुदान की धनराशि प्राप्त होने पर प्रार्थना-पत्रों को अविलम्ब स्वीकृत किया जा सके। जहां तक आवेदन-पत्रों की स्वीकृति हेतु जिला समितियों की बैठकें बुलाने का प्रश्न है उनको शीघ्रातिशीघ्र बुलाने का प्रयास किया जाता है।

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी "छ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 82 पर।)

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (सशोधन) विधेयक, 1971

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के बाइसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 1972, कहलाएगा। संक्षिप्त नाम

2—उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 की धारा 4 में— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1950 की धारा 4 का संशोधन।

(1) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(4) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारंभ होने पर राज्य सरकार दस करोड़ रुपये की और धनराशि राज्य की संहत निधि में से निकालेगी और उसे इस निधि में जमा कर देगी।"

(2) पार्श्वशीर्षक में अंक तथा शब्द '4 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' तथा शब्द 'का निकाला जाना' के बीच में अंक तथा शब्द 'तथा 10 करोड़ रुपये की एक और धनराशि' रख दिये जाएं।

उद्देश्य और कारण

क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने और कीमतों के बढ़ने तथा प्राकृतिक विपदाओं के दौरान तत्काल अतिरिक्त व्यय की आवश्यकताओं के कारण राज्य आकस्मिकता निधि में रखी हुई 10 करोड़ रुपये की धनराशि अप्रत्याशित व्यय को विधान मण्डल द्वारा अधिकृत किये जाने तक पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि 10 करोड़ रुपये की और धनराशि इस निधि में जमा कर दी जाय। अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
वित्त मंत्री।

नत्थी "ज"

(देखिये तां० प्र० सं० 42 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर।)

नाम तहसील	भूमि जो उपलब्ध हुई (एकड़ में)
1—चायल	63 31
2—सिराथू	79.74
3—मुंझनपुर	307.00
4—सोरांव	188.66
5—फूलपुर	181.46
6—हांडिया	1.90
7—करछना	1405.04
8—मेजा	6195.79
योग ..	8422.90

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 53 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

क्रम-संख्या	नाम संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	श्री गुर राम राय एजूकेशन मिशन, देहरादून	375–34
2	मैनेजिंग कमेटी, श्री गुर राम राय एजूकेशन मिशन, देहरादून रजिस्टर्ड द्वारा महन्त इन्द्रेश चरण दास (देहरादून खास) ।	77–57
3	मैनेजिंग कमेटी, गुर राम राय कालेज, देहरादून रजिस्टर्ड मैनेजर, महन्त, इन्द्रेश चरण दास, दरबार साहब स्कूल, देहरादून (देहरा खास) ।	81–59
4	मैनेजिंग कमेटी, लक्ष्मण विद्यालय, हायर सेकेन्डरी स्कूल, देहरादून द्वारा मैनेजर महन्त, इन्द्रेश चरण दास (देहरा खास) ।	91–86
5	महन्त, इन्द्रेश चरण दास, चेला लक्ष्मण दास, नशीनपुर, राम राय सहाय, झन्डा मुहल्ला, देहरादून (देहरा खास) ।	282–75
6	सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा, हरिपुर कलां	75–50
7	आचार्य सेवा संघ ट्रस्ट, हरिपुर कलां	180–88
8	सत्यनारायण खेती समिति, दोहरी माफी	337–73
9	राय वाला कृषि समिति	64–24
10	जवाहर संयुक्त खेती समिति, होरावाला	49–77
11	बागरवाला सामूहिक सहकारी खेती, लिमिटेड सेलाकुई द्वारा सेक्रेटरी, श्री नरेन्द्र कुमार जैन ।	71–97
12	टनवैली अफिसर्स हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी द्वारा श्री एस0 एस० रतूड़ी ।	151–88
13	बापू ग्राम वीरभद्र सहकारी समिति, ऋषिकेश	720–00
14	इस्टेब्लिशमेन्ट सेन्टर 22, रिहेबिलिटेशन, पिर्थीपुर द्वारा 56 ए0 पी0 ओ0 ।	90–00
15	मेसर्स, अनील फार्म लिमिटेड द्वारा डाइरेक्टर, श्री नरेन्द्र कुमार जैन (सेन्ट्रल होप टाउन) ।	45–42
16	ईस्ट होम टाउन टी0क0, ग्राम ईस्ट होप टाउन, जिला देहरादून ..	643–94
17	देहरादून टी0 क0 ग्राम आरकेडिया ग्रान्ट, देहरादून ..	1469–33

नत्थी 'ञ'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 58 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

विकास क्षेत्र, सकीट तथा सिड़पुरा, जिला एटा में हरिजनों के लिये वर्ष 1969–70 एवं 1970–71 में पेय जल कूप, आवास गृह एवं कृषि संबंधी दिये गये अनुदानों का विवरण ।

अनुदान की योजना	वर्ष	विकास क्षेत्र	पंचायत	ग्राम	अनुदान गृहीता का नाम	स्वीकृत धनराशि	मद
1	2	3	4	5	6	7	8
						रु0	
1–पेय जल सुविधा	1969–70	सकीट ..	जार ..	जार ..	श्री बुद्ध सेन मेहतर	150–00	नल
		सिड़पुरा ..	करमपुर ..	करमपुर ..	श्री रामदास जाटव	150–00	,,
			मगपुरा ..	मगपुरा ..	श्री बेदारी लाल धोबी	150–00	,,
			पहलोई ..	पहलोई ..	श्री रामदयाल जाटव	150–00	,,
			वाछमई ..	न0 चमन ..	श्री राम स्वरूप जाटव	500–00	कूप
					योग	1,100–00	
	1970–71	सकीट ..	गोपालपुर ..	गोपालपुर ..	श्री भगवानदास जाटव	500–00	कूप
			कबार ..	कबार ..	श्री सीताराम जाटव	150–00	नल
			कम्पापुर ..	कम्पापुर ..	श्री सूबेदार जाटव ..	150–00	,,
		सिड़पुरा	असटपुरा ..	असटपुरा ..	श्री गिरवर जाटव ..	500–00	कूप
			प्रतापपुर ..	प्रतापपुर ..	श्री इतवारी लाल जाटव	500–00	,,
			रानामऊ ..	बा0 रानामऊ	श्री जसरथ धोबी ..	150–00	नल

			न0 भीमसेन ..	न0 भीमसेन ..	श्री जसराम जाटव ..	150.00	नल
			वासी	वासी	श्री भीकम सिंह जाटव	150—00	,,
			जारई ..	जाराई ..	श्री शंकर लाल जाटव	150—00	,,
					योग	2,400.00	
					कुल योग ..	3,500—00	
2—आवास निर्माण	1970—71	सिड़पुरा ..	न0 ऊंचागांव ..	न0 ऊंचागांव ..	श्री गंगा दीन जाटव	500—00	भवन
3—कृषि उत्थान हेतु	—	कोई अनुदान नहीं दिया गया ।					
कार्य की प्रगति	—	उपर्युक्त सभी मदों के कार्य पूर्ण हो गये हैं ।					

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये ता० प्र० सं० 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53 पर)

सन् 1971 में तहसील भोगी, जिला मैनपुरी के बाढ़ से प्रभावित गांवों की सूची—

1—ऊंचा इस्लामाबाद
2—भदेई
3—ढकरोई
4—पुसैना
5—मोहनपुर
6—इटौरा
7—चौती खुर्द
8—दिलनपुर चौधरी
9—टिक्सुरी
10—उसमानपुर
11—मेरापुर गुजराती
12—हचन्दपुर मेरापुर
13—तोलकपुर
14—सरजनपुर
15—शाहआलमपुर
16—सैदपुर
17—अहंकारीपुर
18—कूंडी
19—महेशपुर
20—गंगदासपुर
21—नगला बाल
22—जल्लापुर दिखतमई
23—इलाहाबाद
24—पहाड़पुर
25—जखा
26—सलेमपुर पड़ौना
27—लालपुर अधार
28—शाहजहांपुर
29—अधार
30—हृदयरामपुर
31—नगला मिती
32—राजपुर कलां
33—लेखाराजपुर
34—चन्दरपुर
35—परिगवां
36—कुसुमा खेड़ा
37—मेरापुर बिजरपुर
38—सौनासी
39—बधौनी
40—बुढ़ौली
41—सुमेरपुर
42—मीरपुर कलां

मध्य प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

(देखिये अता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

तालिका

अहेतुक सहायता

नाम वितरण अधिकारी	ग्रामों की संख्या	बांटने की तिथि	वितरण कार्यक्रम की सूचना देने की तिथि
1	2	3	4
श्री दलवीर सिंह सिरोही, नायब तहसीलदार	1	10-9-71	9-9-71
	2	11-9-71	,,
	3	12-9-71	,,
	4	13-9-71	,,
	1	17-9-71	,,
	3	18-9-71	,,
	1	4-9-71	,,
	1	7-9-71	,,
क्षेत्र विकास अधिकारी, तिलहर	7	10-9-71	9-9-71
	2	12-9-71	,,
	1	16-9-71	15-9-71
	3	18-9-71	,,
	4	19-9-71	,,
	5	21-9-71	,,
	2	22-9-71	,,
	1	25-9-71	,,
श्री हजारी लाल कुलश्रेष्ठ, नायब तहसीलदार	5	11-9-71	9-9-71
	1	12-9-71	,,
	4	22-9-71	21-9-71
	2	23-9-71	,,
	3	24-9-71	,,
तहसीलदार, तिलहर	2	14-9-71	14-9-71
	2	16-9-71	,,
	1	17-9-71	,,
	2	18-9-71	,,
	1	20-9-71	20-9-71
	4	21-9-71	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1		2	3	4
परगनाधिकारी, तिलहर	..	1	16-9-71	16-9-71
श्री राजनारायन राम, नायब तहसीलदार	..	1	23-9-71	,,
		1	17-9-71	15-9-71
क्षेत्र विकास अधिकारी, जैंतीपुर	..	3	16-9-71	—
		3	17-9-71	—
		1	19-9-71	—
		1	20-9-71	—
		1	21-9-71	—
		3	22-9-71	--
		2	24-9-71	--
		1	25-9-71	--

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गृह अनुदान

नाम वितरण अधिकारी	ग्रामों की संख्या	बांटने की तिथि	वितरण कार्य-क्रम की सूचना देने की तिथि
1	2	3	4
श्री दलवीर सिंह सिरोही, नायब तहसीलदार	2	17-9-71	15-9-71
	1	21-9-71	19-9-71
	4	22-9-71	,,
	4	25-9-71	,,
	1	26-9-71	,,
परगनाधिकारी, तिलहर ..	4	18-9-71	16-9-71
	6	21-9-71	,,
	2	22-9-71	,,
	5	23-9-71	,,
क्षेत्र विकास अधिकारी, तिलहर	2	18-9-71	15-9-71
	4	19-9-71	,,
	7	20-9-71	,,
	9	21-9-71	,,
	2	28-9-71	,,
	1	30-9-71	,,
	1	1-10-71	,,
तहसीलदार, तिलहर ..	6	22-9-71	20-9-71
	8	24-9-71	,,
	1	27-9-71	,,
क्षेत्र विकास अधिकारी, निगोही	3	25-9-71	24-9-71
	2	26-9-71	25-9-71
	2	27-9-71	,,
	4	5-10-71	,,
	2	6-10-71	,,
श्री हजारी लाल कुलश्रेष्ठ, नायब तहसीलदार	1	25-9-71	21-9-71
श्री राजनारायन राम, नायब तहसीलदार	8	26-9-71	,,
	3	26-9-71	24-9-71
क्षेत्र विकास अधिकारी, जैतीपुर	1	21-9-71	—
	3	22-9-71	—
	2	24-9-71	—
	1	25-9-71	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अ0 ता0 प्र0 सं0 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

सूची उन ग्रामों की जिनमें सीलिंग की भूमि निकली तथा वितरण की गई ।

क्षेत्र का नाम	(क्षेत्रफल एकड़ में)
कानूनगो क्षेत्र, पिपराइच	
1—गौनर	0.88
2—डुमरीखास	15.94
3—पंसरही	0.45
4—अवधपुर	19.98
5—सथरी	4.59
6—अयोध्याचक	5.41
7—करमनी	10.00
8—नथुआ	9.25
कानूनगो क्षेत्र, राजधनी	
1—नदुआ ज्ञान पार	0.69
2—ब्रह्मपुर	0.32
3—हरपुर	25.80
4—हरया	6.24
5—महादेव झारखण्डी	32.34
6—खिरवनिया	14.89
7—सेमरादेवी प्रसाद	0.34
8—नौवा अव्वल	6.35
9—अगहा	1.02
10—जगदीशपुर	0.38
11—गौरी नं0 1	0.40
12—विश्वनाथपुर	1.21
13—गौरीमंगलपुर	0—64
14—सेमरौना	0.29
15—सेमरौनी	0.84
16—लालपुर टीकर	9.46
17—दीपा	5.14
18—सिलहटा मुड़ेरा	8.09
19—भरवछा	29.99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ढ़'

(देखिये अ० तां० प्र० सं० 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर ।)

परिशिष्ट—क

जौनपुर जनपद में बाढ़ सहायता केन्द्रों से दी गई सहायता का विवरण

नाम, बाढ़ केन्द्र	व्यक्तियों की सं० जिन्हें सहायता दी गई	संख्या दिनों में जिनमें सहायता दी गई	प्रति मनुष्य कितनी सहायता दी गई
1	2	3	4
1—कोतवाली ..	18,554	32	1/2 किलो चावल, 125 ग्राम दाल व प्रति मनुष्य प्रतिदिन दिया गया ।
2—सराय, पोखता ..	6,073	32	,, ,, ,,
3—रामदयालगंज ..	3,469	26	,, ,, ,,
4—लालाबाजार ..	2,253	26	,, ,, ,,
5—कलीचाबाद ..	11,100	32	,, ,, ,,
6—कलेक्ट्रेट, जौनपुर ..	10,402	32	,, ,, ,,
7—सराय, ख्वाजा ..	721	22	,, ,, ,,
8—धर्मपुर ..	538	21	,, ,, ,,
9—गोपीपुर ..	इस बाढ़ केन्द्र की सहायता क्रम-संख्या 3 रामदयालगंज में सम्मिलित है ।		
10—पिलकिछा ..	15,814	38	प्रति मनुष्य 7 किलो गल्ला, 277 ग्राम नमक, 4 लीटर मिट्टी का तल दिया गया ।
11—घनश्यामपुर ..	8,341	38	,, ,, ,,
12—उन्चनीकला ..	3,992	23	1/2 किलो आटा या चावल तथा 125 ग्राम दाल प्रति यूनिट दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नाम, बाढ़ केन्द्र		व्यक्तियों की सं० जिन्हें सहायता दी गई	संख्या दिनों में जिनमें सहायता दी गई	प्रति मनुष्य जितनी सहायता दी गई
1		2	3	4
13—सुदनीपुर	..	1,444	23	1/2 किलो आटा या चावल तथा 125 ग्राम दाल प्रति यूनिट दिया गया ।
14—मछलीशहर	..	2,328	5	400 ग्राम चना, 87 ग्राम नमक
15—बादशाहपुर	..	1,972	2	,, ,, ,,
16—अदारी	..	1,424	1	,, ,, ,,
17—सोनहिता	..	3,693	9	400 ग्राम चावल तथा 100 ग्राम दाल
18—सुजानगंज	..	7,428	17	400 ग्राम चना, 87 ग्राम नमक, 400 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल ।
19—मई	..	1,421	4	1/2 किलो गेहूं चावल या चना ।
20—नेपुरा	..	1,347	8	,, ,, ,,
21—जलालपुर	..	2,254	17	,, ,, ,,
22—सरकोनी	..	1,877	6	,, ,, ,,
23—केरावल	..	2,447	11	,, ,, ,,
24—बरहपुर	..	2,480	3	,, ,, ,,
25—चन्दक	..	4,357	16	,, ,, ,,
योग	..	1,16,229		

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 233 एल० ए०—1972—845 ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा